Page No. 1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त



मंगलवार, दिनांक १ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म.पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

(उद्योग, समाज कल्याण, यातायात, विद्युत्, चुनाव, स्वायत्त शासन, सहकारी, खादी ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग)

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न।

प्रश्न संख्या ३१

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२

### समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में विद्यार्थियों को प्रवेश

३२. **श्री हरिराम घारू (सिवाना-मु०) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि समाज कल्याण-विभाग के छात्रावासों में छात्रावास के स्थान से पांच मील के क्षेत्र के बाहर के रहने वाले विद्यार्थियों को ही भरती किया जाता है जिसकी वजह से हरिजन महतर छात्र जो अधिकांश में शहर या कस्बों में ही रहते हैं, इन छात्रावासों में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार हरिजन महतर छात्रों के लिये उपरोक्त प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**उप-मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :** राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ. १ (बी) (७) सक।६४ दिनांक १४-७-६५ के आदेशानुसार मेहतर छात्रों के लिये समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में प्रवेश के निमित्त ५ मील का प्रतिबन्ध हटा दिया गया है।

**श्री हरिराम घारू :** माननीय अध्यक्षजी, जिस दिन से हमारी लोकप्रिय सरकार ने यह कानून बनाया उस दिन से होस्टल में महतरों को भर्ती नहीं किया गया, ऐसा मेरा शंका है; तो क्या गवर्नमेंट इसके लिये जांच करेगी ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा :** जहां तक प्रतिबन्ध का सवाल था वह हटा दिया गया है; यदि इस पर भी शिकायत हो तो शिकायत आने पर जांच की जायगी।

**श्री हरिराम घारू :** हमारे लिये जो रियायत की है गवर्नमेंट ने, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

Page No. 2



श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सबसे बड़ी रियायत तो यह की है कि मुख्य मंत्री बनते-बनते बाल-बाल बच गये, हरिरामजी !

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

रोडवेज की बसों को कैंसिल करने के अधिकार

१३. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (चांदीकुई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान स्टेट रोडवेज् की विभिन्न रूट्स पर चलने वाली बसों में से किसी बस को कैंसिल करके उसकी जगह दूसरी बस लगाने के आदेश देने का अधिकार किस को है ?

उप-मंत्री, यातायात ( श्री भीमसिंह ) : यह अधिकार सम्बन्धित डिपो इंचार्ज को प्राप्त है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : डिपो इंचार्ज को दूसरी बस लगाने को कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमें यह अधिकार नहीं है ।

श्री भीमसिंह : डिपो हैड क्वार्टर पर एक्स्ट्रा नम्बर की विहिकल्स रहती हैं, जो डिपो इन्चार्ज है उनकी ड्यूटी है एक बस को कैंसिल करके दूसरी बस लगाने की ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने जो जवाब दिया था, क्या इस प्रकार के आदेश लिखित में दिए गए हैं कि डिपो इंचार्ज दूसरी बस लगा सकता है ? हमने तो बार-बार डिपो मैनेजर को कहा है, पर डिपो इन्चार्ज से हमें यही जवाब मिलता रहा है कि हमें यह अधिकार नहीं है । क्या नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : लिखित इन्स्ट्रक्शन्स से इस प्रकार के अधिकार डिपो इन्चार्ज को दिए गए हैं कि डिपो इन्चार्ज यदि कोई गाड़ी फेल हो जाय तो दूसरी गाड़ी को वर्कशॉप से बुलाकर भेज सकता है। कभी-कभी स्पेयर गाड़ी डिपो में नहीं होती है इस कारण कभी-कभी चाहते हुए भी डिपो मैनेजर गाड़ी सप्लाई नहीं कर सकता ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कभी-कभी का सवाल नहीं, यह तो रोजाना की तकलीफ है, रोजाना हमारे रूट पर एक दो गाड़ी कैंसिल होती है, चार-चार घंटे पैसेन्जर्स खड़े रहते हैं । फोन करते हैं तो डिपो मैनेजर कहते हैं कि वर्कशॉप में गाड़ी नहीं है । आपने फरमाया कि एक्स्ट्रा हैं, पर आप फीगर्स देखिये, इसमें दुर्भाग्य यह हुआ कि मेरे क्वेश्चन में ३ पार्ट थे । मैंने यह भी पूछा था कि कितनी गाड़ियां कैन्सिल हुई, वह पार्ट इसमें नहीं रहा । मैंने आपको भी लिखा, जनरल मैनेजर को भी लिखा और डिपो मैनेजर को रोज-रोज कहते रहते हैं, कोई दिन नहीं जाता जब कि एक-दो गाड़ियां कैन्सिल नहीं होतीं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, मैंने उसका जवाब भी भेजा था। मैं मानता हूं कि रोडवेज के पजेशन में जो गाड़ियां हैं उनमें से कई ड्यू हो गई हैं रिटायरमेंट के लिये पर वह हम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास पैसा

(श्री मथुरादास माथुर)
होते हुए भी नई गाड़ियां हमें नहीं मिली हैं। अब कुछ गाड़ियां मिली हैं, उनकी बेसिस बन रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि नई गाड़ियां आते ही उन्हें हम रिप्लेस कर देंगे। वरना डिपो मैनेजर यदि कोई यह कहता है कि उसे यह अधिकार नहीं है तो यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इनफिक्वेन्सी ऑफ रनिंग को ज्यादा बढ़ा कर गाड़ियां रिजर्व रखने में आपके क्या विचार हैं?

श्री मथुरादास माथुर: मैं सहमत हूं। हम कर रहे हैं। जहां जहां माइलेज शॉर्ट है वहां फ्रिक्वेन्सी बढ़ सकती है, लेकिन जहां कम है वहां नहीं। जहां बढ़ सकती है वहां हम बढ़ाए जा रहे हैं। तीन-चार महीनों में हम ठीक पोजीशन पर आ जायेंगे कि जो परसैन्टेज गाडियों की होनी चाहिए वह मेन्टेन करें।

श्री दलपतसिंह (आबू): क्या आपने डिपो मैनेजर्स को पॉवर दे रखी हैं क्या कि जहां रेग्यूलर बसेज चलती हैं वे अपनी मर्जी से बंद कर दें?

श्री मथुरादास माथुर: बंद करते नहीं, बंद हो जाती हैं।

श्री दलपतसिंह: अगर गाडियां फेल हो जाती हैं तो बात दूसरी है। लेकिन आबू-रोड से रेग्यूलर बसेज चलती रहीं १२ महीने तक, वे एकदम बंद क्यों कर दीं और ६ महीने से वह रूट बंद पड़ा है।

श्री मथुरादास माथुर: मैं नहीं कह सकता कि क्यों बंद कर दिया है, कोई वजह होगी। एक गाड़ी बंद करने का डिपो मैनेजर को अधिकार है और उसके बदले दूसरी गाड़ी लगाने का भी उसे अधिकार है। लेकिन यह डिपो मैनेजर ने स्वयं नहीं किया होगा, जनरल मैनेजर से पूछकर किया होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): क्या यह सही है कि अजमेर रूट पर जो गाड़ियां चलती हैं वह कभी बंद कर देते हैं; इन्क्वायरी भी हुई मगर उसका कोई कारण नहीं देते हैं। खासकर आखिरी गाड़ी बंद कर देते हैं। दो तीन-चार मुझको उसकी वजह से यहीं रहना पड़ा। ऐसी हालत में अगर इस प्रकार से बिना पूर्व जानकारी दिए, मनमाने तरीके से, गाड़ी बंद करते हैं, तो इसका क्या कारण है?

श्री मथुरादास माथुर: मनमाने तरीके से गाड़ी बंद नहीं होती हैं। कोई भी रोडवेज का अफसर गाड़ी बंद कराना पसंद नहीं करता है। मगर कोई गाड़ी पर्टीक्यूलर रूट पर जाने वाली है और फेल हो जाती है तो उस समय गाड़ी डिले हो जाती है या बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाता है तो कैंसिल करना पड़ता है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: मंत्री महोदय ने जो कहा है वह सही स्थिति नहीं है। अगर मैकेनिकल पाइन्ट ऑफ व्यू से खराब हो जाती है तो फिर किसी को शिकायत नहीं, हमारे यहां शिकायत यह है कि आपके यहां बराबर लिख रहे हैं, कोई इन्क्वायरी नहीं होती है। हमारे यहां वर्कशॉप और प्राइवेट बसेज वालों के बीच साजिश चलती है। जिस समय यात्रियों का जोर होता है, जैसे शाम को

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

४ ओर ६ के बाद में सारी गाड़ियां चलती हैं वे ही कैंसिल होती हैं और उधर से जयपुर आने वाली सुबह को १० बजे वाली बसेज, वे भी कैंसिल हो जाती हैं। बीच में कोई गाड़ी कैंसिल नहीं होती है। मैंने इस तरफ आपका ध्यान भी आकर्षित किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्या इन फीगर्स के साथ हमारे बीच में बैठकर इसके लिए कोई विचार किया जा सकता है कि आखिर वे ही गाड़ियां कैंसिल क्यों होती हैं और प्राइवेट बसेज वालों को फैसिलिटेट करने के लिए होती है और डिपो मैनेजर्स कहते हैं कि वर्कशॉप वाले कोई कहना नहीं मानते, वे इन्डिपेंडेन्टली काम करते हैं।

**श्री मथुरादास माथुर :** अगर साजिश के लिए, जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं, मुझे बताएं तो मैं साजिश के खिलाफ अवश्य कार्यवाही करूंगा।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर :** क्या आप पसंद करेंगे कि एक दिन मीटिंग रखली जाय और आपके डिपो मैनेजर्स को फीगर्स के साथ बुलाया जाय, ताकि हम आपको कन्विन्स करके फिर निराकरण करें? इसी सप्ताह या १५ दिन में करें।

**श्री मथुरादास माथुर :** मैं तो आज शाम को ही रख देता हूं।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर :** ठीक है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** ब्रेकडाउन्स का आपका आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या आपने कभी इन्क्वायरी करवाई कि यह आंकड़ा क्यों बढ़ता चला जा रहा है?

**श्री मथुरादास माथुर :** मैं इन्क्वायरी करा चुका हूं। जिन गाड़ियों को जितनी माइलेज करनी चाहिये थी वे यदि रन कर चुकी हैं, अब उसके अलावा चल रही हैं और कोई उसको रिप्लेस करने के लिए नई गाड़ी नहीं मिल पाती तो ब्रेकडाउन हो जाता है। मुख्य कारण ब्रेकडाउन्स का तो यही है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** आपके फोरमैन गाड़ी स्टार्ट होने से पहले फिटनेस सर्टीफिकेट्स इश्यू नहीं करते, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को हैरेसमैंट और ट्रबल होती है और आखिर ब्रेकडाउन हो जाता है! प्रोपर सर्टीफिकेट्स जो फिटनेस के हैं वे लेकर चलना चाहिए, लेकिन वे लेकर नहीं चलते हैं, जिससे ब्रेकडाउन्स इन्क्रीज होते हैं। बैटरी में पानी की कमी से बैटरी रुक जाती है या टर्मीनल रुक जाता है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (मालीन्द) :** आपने कहा कि ब्रेकडाउन्स की वजह से गाड़ियां बन्द हो जाती हैं, लेकिन वहां पर जो कम्प्लेंट बुक रहनी चाहिए डिपोज पर, वह नहीं रहती हैं और मांगने पर भी कम्प्लेंट बुक नहीं दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यात्रियों को इस प्रकार से कष्ट न हो और पूरी व्यवस्था हो।

**श्री दलपतसिंह :** अगर आपके डिपो मैनेजर्स से पूछते हैं कि रूट बंद क्यों कर दिया तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता और कहते हैं कि रूट पर जल्दी वापिस गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। आप पे गाड़ियां बहुत हैं तो एकदम बन्द कर देने का कारण क्या था?

Page No. 5



**श्री मथुरादास माथुर** : यह अलग प्रश्न है ?

**श्री दलपतसिंह** : क्या डिपो मैनेजर्स को पॉवर्स दी हुई हैं कि यह रूट बन्द कर दें ?

**श्री मथुरादास माथुर** : जनरल मैनेजर से पूछकर किया होगा।

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : क्या यह सही है कि गाड़ियां कैंसिल होने के कारण कुछ रूटों पर गाड़ियां बिल्कुल नहीं चलतीं ?

**श्री मथुरादास माथुर** : मेरे ख्याल में नेशनलाइज्ड रूट्स पर ऐसी शिकायत नहीं है कि कम्पलीटली रूट बंद कर दिया गया हो। आपने (श्री दलपतसिंह ने) जो रूट बताई है उसको मैं देख लूंगा।

**श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)** : डिपोज पर कितनी परसेंटेज गाड़ियां स्पेयर में रहती हैं ?

**श्री मथुरादास माथुर** : इसका पूरा प्रावधान है कि कितनी स्पेयर में रहनी चाहिए। प्रावधान की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, गाड़ियां नहीं मिलतीं। गाड़ियां मिलते ही······

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि जो माननीय सदस्य इस बारे में जो जानकारी चाहते हैं और सुझाव देना चाहते हैं तो वे उनसे मिलेंगे। इसलिए कोई समय निर्धारित करके जो माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं, वे मंत्री महोदय से मिल लें।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

**जयपुर नगर में बस्ती हसनपुरा को बिजली**

३४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में बस्ती हसनपुरा से १७ नवम्बर, १९६४ को या उसके आस-पास की तारीखों में बिजली के पोल उठा लिये गये थे ? क्या यह सही है कि बस्ती के लोगों ने पोल उठाने का विरोध किया था ?

(२) क्या यह सही है कि ये पोल इस बस्ती में फरवरी, १९६२ से पूर्व अर्थात् आम चुनावों से पहले डलवाये गये थे ?

(३) ये पोल इस बस्ती में किस लिए डलवाये गये थे और फिर क्यों उठा लिए गए ?

(४) क्या यह सही है कि इन पोल्स को उठाने में विद्युत् मंडल को नगर विकास मंडल की सहमति प्राप्त हो गई थी ?

(५) क्या नगर विकास मंडल ने, इस क्षेत्र में बिजली लगाने के लिए विद्युत् मंडल को कोई सुझाव भेजा है ?

**उप-मंत्री विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद)**:

(१) जी हां। इस प्रकार की इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(२) जी हां।

(३) यह पोल बस्तियां लगवाने के लिए ले गए थे। नगर विकास मंडल द्वारा पर्याप्त

# Page No. 6



(श्री चन्दनमल वैद)

धनराशि उपलब्ध न करने पर ये पोल नहीं लगाये जा सके और उठा लिए गए।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब आप उन पोल्स को लगाने का विचार रखते हैं ?

श्री चंदनमल वैद: अगर धनराशि उपलब्ध कराई जायगी तो जरूर करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब पोल्स डाली गई तो धनराशि उपलब्ध थी ?

श्री चंदनमल वैद : मेरी बात सुन लीजिए। पांच हजार की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उस बस्ती के निवासियों और विकास मंडल के बीच मतभेद हो गया। मंडल ने तो १० पोल्स लगाने के लिए धनराशि दी थी, लेकिन वहां के निवासी चाहते हैं कि १० पोल्स की जगह २३ लगाएं तो मंडल ने इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं की। इस बीच में उनका विवाद चलता रहा और विकास मंडल ने हमें दूसरा काम बता दिया। पांच हजार की राशि तो समाप्त हो गई। हम कहते हैं कि और धनराशि उपलब्ध कराएं तो पोल्स लगा दें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उससे पहले आपने एस्टीमेट नहीं बनाया था और बगैर एस्टीमेट के इस प्रकार कार्य शुरू कर देते हैं ?

श्री चंदनमल वैद : उन्होंने दस बत्तियां लगाने के लिए पांच हजार दिये थे। हमने दस लगवाये। उसके बाद निवासियों और विकास मंडल का आपस में विवाद बना हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला : यह सीरियस बात है कि बगैर एस्टीमेट के कार्य चालू कर दें, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ?

श्री चंदनमल वैद: उन्होंने १० पोल लगाने के लिए धनराशि दी थी। वहां निवासियों और विकास मंडल के बीच में विवाद हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दस बत्तियां भी कहां लगायीं ? एक भी नहीं लगायी। दस भी लगा देते और तेरह का विवाद चलता तो कोई बात होती ?

श्री चंदनमल वैद : १० बत्तियों का पैसा दिया और निवासियों में यह विवाद हो गया कि २३ ही बत्तियां लगनी चाहिये। इस बीच में उनके द्वारा दूसरे काम बताये गये उनमें यह पांच हजार रुपये की धनराशि खर्च कर दी गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह एस्केपिज्म की बात है। अगर आप दस बत्ती भी लगा देते तो फिर १३ की ही बात रहती।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

**नोहर उप-चुनाव का स्थगन**

३५. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

नोहर उप-चुनाव जो १६ मई, १९६५ को होने वाला था उसे किस आधार पर स्थगित किया गया था ?

Page No. 7



**निर्वाचन मंत्री ( श्री हरिदेव जोशी ):** राज्य के सीमावर्ती जिलों में संकटकालीन परिस्थितियों के कारण।

**श्री केदारनाथ :** क्या यह सही है कि ६ मई को राजाखेड़ा में उप-चुनाव किया?

**श्री हरिदेव जोशी :** जी हां।

**श्री केदारनाथ :** क्या इलेक्शन कमीशन ने यह लिखा था कि उसके पास पैट्रौल और पुलिस फोर्स की कमी है इसलिये यह चुनाव नहीं करा सकते ?

**श्री हरिदेव जोशी :** राज्य के सीमावर्ती जिलों में संकटकालीन परिस्थितियों के कारण, जो भी कारण हैं वे हैं।

**श्री केदारनाथ :** क्या ४ रोज पहले राजाखेड़ा में उप-चुनाव के समय पैट्रोल और पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं थी ?

**श्री हरिदेव जोशी :** माननीय सदस्य राजाखेड़ा और नोहर की ज्योग्राफी को देखेंगे तो उनको स्वतः मालूम हो जायगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :** क्या पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन ने आपकी इस खबर का कि आपके पास पुलिस फोर्स और पैट्रोल नहीं है आपका मजाक उड़ाया और इस प्रकार की इन्फोर्मेशन को लीक करना क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है ?

**श्री हरिदेव जोशी :** मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

**श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :** यह एमर्जेन्सी बोर्डर एरियाज के लिए ही थी या सब जगह के लिए थी ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :** क्या आप विचार रखते हैं कि नोहर में उप-चुनाव कराया जाय ? क्या सीमावर्ती जिलों में वह ही स्थिति बनी हुई है ?

**श्री हरिदेव जोशी :** उसका चुनाव हो चुका है।

**श्री दिग्विजयसिंह :** यह एमरजेन्सी वहीं पर लागू थी या सारे देश में ?

**श्री हरिदेव जोशी :** वहीं पर।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) :** क्या यह सही है कि राजाखेड़ा में यह चुनाव कराया गया तो मतदाताओं को रोकने के लिए ८ हजार पुलिस की फोर्स लगायी गयी थी ?

**उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :** गलत।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :** मंत्री महोदय सदन में जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर जानकारी करा लें कि आपने ८ हजार पुलिस की फोर्स इसलिए लगायी ताकि मतदाताओं को केन्द्र तक आने से रोका जा सके ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** असत्य ! असत्य !!

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** निर्विवादित सत्य ! निर्विवादित सत्य !!

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** निराधार !

(व्यवधान)

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** आपका जो चाहे जो कहें। हम को अधिकार है, हमारा मत हमारे पास है और हम उसको व्यक्त करेंगे।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींद)** : चुनाव का ही मालूम नहीं है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं चुनाव क्षेत्र में गया था।

**श्री निरंजननाथ ग्राचार्य** : चम्बल रिवाइन्स ग्रौर बोर्डर पर पुलिस फोर्स के सिवाय कहीं पर नहीं थी ?

**एक माननीय सदस्य** : डकैती में ग्राप भी शामिल थे क्या ?

**श्री निरंजननाथ ग्राचार्य** : ग्राप जैसे डकैतों के साथ मैं भी एक डकैत था।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : ग्राप राजाखेड़ा में किसी ग्रौर मन्त्री की हैसियत से थे।

**श्री निरंजननाथ ग्राचार्य** : मैं गले में हांडा बांध कर गया था।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी मन्त्री महोदय ने कहा कि एक डकैत के रूप में मैं वहां था ...

**श्री ग्रध्यक्ष** : मैंने ऐसी बात सुनी नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : नाजुक रिश्तेदारी निकल जाय तो क्या करें ?

**श्री निरंजननाथ ग्राचार्य** : नाजुक रिश्तेदारी ग्रापकी भी है।

**श्री ग्रध्यक्ष** : श्री दिग्विजयसिंह।

**हरिजन कॉलोनी में पक्की नालियां बनवाने हेतु धनराशि**

३६. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि उनियारा नगरपालिका, जिला टौंक द्वारा यह तजवीज भेजी गई थी कि वहां की हरिजन कॉलोनी में वर्षा में पानी भर जाने से वहां के निवासियों को कठिनाई होती है ग्रौर उसके लिए वहां पक्की नालियां बनाना ग्रावश्यक है ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(२) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश टौंक के यहां से तहसीलदार ग्रलीगढ़ को लिखा गया था कि हरिजन कॉलोनी का कार्य शुरू किया जावे ग्रौर वहां से इन नालियों के एस्टीमेट्स भी भेज दिये गये थे ?

(३) क्या यह सत्य है इन नालियों के लिए ६००० ) रु० की धनराशि जिलाधीश टौंक ने ड्रा करली थी, उसे ग्राज दिन तक खर्च नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार उस हरिजन कालोनी में नालियां बनवाने का विचार नहीं रखती है ?

(५) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि धनराशि ६०००) रु० है उसको नगरपालिका उनियारा को ट्रान्सफर कर दे ताकि वह इस कार्य को पूर्ण करा दे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह धनराशि कब तक दे दी जावेगी ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण)** : (१) जी हां, इसके लिए राज्य सरकार ने छः हजार स्वीकृत किये थे।

(२) जी हां।

# Page No. 9



(श्री दौलतराम सारण)

(३) इस विषय पर ८,१३८ रुपये की धनराशि थी जो कि नालियां बनाने के कार्य में खर्च कर दी गई है।

(४) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(५) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

**श्री दिग्विजयसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि यह आपने जो जानकारी दी है वह सही नहीं है। आप इसकी दुबारा जांच करा लीजिये।

**श्री दौलतराम सारण :** मेरी सूचना के अनुसार ८ हजार रुपया खर्च किया गया है।

**श्री दिग्विजयसिंह :** आपको जानकारी को मान रहा हूँ लेकिन आप इसकी दुबारा जांच करा लीजिये। ये तो राज्य के आंकड़े आते रहते हैं। मैं परसों ही वहां जाकर आया हूं इसलिये आप दुबारा जानकारी इसकी करा लें।

**श्री दौलतराम सारण :** और जानकारी करा लूंगा।

प्रश्न संख्या ३७

**श्री अध्यक्ष :** श्री उमरावसिंह डाबरिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

**ब्लैक प्लेनशीट कटिंग के वितरण हेतु जारी किये गये परमिट**

**१८. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सितम्बर, ६४ के आरम्भ में हुसनभाई मुल्ला रहमतुल्ला कोटा को बीस टन ब्लेक प्लेन शीट कटिंग (डिफेक्टिव) वितरण के लिये प्राप्त हुई थी ?

(२) क्या यह सत्य है कि डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी ने अक्टूबर, ६४ के प्रथम सप्ताह में उपरोक्त कोटा वितरित किया था ?

(३) क्या यह सत्य है कि डिप्टी डाइरेक्टर ने ३१ अक्टूबर को परमिट जारी किये थे ?

(४) क्या यह सत्य है कि डिप्टी डाइरेक्टर ने सरकारी कर्मचारियों को परमिट की डिलीवरी हेतु बाहर भेजा था ? अगर हां, तो किन किन को, कहां पर व उस पर कितना भत्ता दिया गया ?

(५) क्या यह सत्य है कि स्टॉकिस्ट ने परमिट के आधार पर माल देने से इन्कार कर दिया ? अगर हां, तो कब व क्यों व इसके लिये कौन जिम्मेदार है व इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

**उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वेद) :**

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां, डिप्टी डाइरेक्टर के कार्यालय के सर्व श्री रामकल्याण, विजयसिंह सामर व, ओमप्रकाश नन्दवाना, परमिटों की डिलीवरी हेतु बूंदी, बारां, एवं रामगंज मंडी भेजे गये थे। क्योंकि इन जगहों के परमिट अगर डाक से भेजे जाते तो अवधि के अन्दर पहुंचना कठिन था व इन पर करीबन २२) खर्च हुआ।

(५) जी नहीं।

# Page No. 10



श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने १, २, ३, ४ में हां भरी है फिर ५ में यह कहना कि किसी को कोई जिम्मेवारी नहीं है; मैं यह जानना चाहता हूं........

श्री चन्दनमल वैद : जिम्मेवारी का प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि स्टॉकिस्ट्स ने माल देने से इन्कार कर दिया ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं। इन्कार नहीं किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डिपो पर क्या परमिट का माल बांट दिया ?

श्री चन्दनमल वैद: १३.८ टन के परमिट काटे गये उसमें से १२.८ टन माल उठा लिया, बाकी लोग जिनको परमिट दिया वे माल उठाने नहीं गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हुसनभाई रहमतुल्ला को शीट कटिंग का परमिट मिला था। दरख्वास्त इस मतलब से दी थी कि बिना परमिट के इस माल को बांटने की इजाजत दी जाय ?

श्री चन्दनमल वैद : शीट कटिंग पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, इसलिये बिना परमिट माल बेचने का अधिकार था लेकिन fabricators के हित को देखने के लिये डाइरेक्टर ने यह उचित समझा कि परमिट दिये जाएं। १३.०८ टन के परमिट दिये गए और १२.०८ टन माल उठा लिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही कि ब्लैक शीट का परमिट देने के बाद और सरकार के इश्यू करने के बाद उस माफिक कार्यवाही न करे तो कोई अपराध नहीं बनता है ?

श्री चन्दनमल वैद : ब्लैक शीट कटिंग पर कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

**सांचोर क्षेत्र में उद्योगों का विकास**

११. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या खादी ग्रामोद्योग विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर में ग्रामीण कुम्हारी उद्योग, ग्रामीण तेल उद्योग, अनाज, दाल प्रशोधन उद्योग, ग्रामीण वस्त्र उत्पादन उद्योग एवं अखाद्य तेल साबुन उद्योग के विकास के लिये सरकार की ओर से अब तक कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो इस ओर अब तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

(२) क्या यह सच है कि सांचोर क्षेत्र में अच्छे ऊनी पट्टू व कम्बलें, ऊंट जूट के गद्दे, बकरी जूट के बोरे एवं सूती गांवाई लेसले एवं खादी काफी ग्रामों में बनते हैं ? अगर हां, तो उपरोक्त वस्तुओं के योजनाबद्ध विकास के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और भविष्य में इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ताकि उपरोक्त छोटे ग्रामीण उद्योगों का ज्यादा विकास हो सके ?

ग्रामोद्योग मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) राज्य सरकार की नीति स्वयम् इस

# Page No. 11



(श्री अमृतलाल यादव)
प्रकार के उद्योग के चलाने की नहीं है। ऐसे उद्योग वहां स्थित संस्थाओं, समितियों या अन्य लोगों द्वारा स्थापित किये जा सकते हैं। नियमानुसार ऋण, अनुदान इन संस्थाओं के प्रार्थना-पत्र पर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिया जाता है। बोर्ड द्वारा दी गई सहायता की सूची संलग्न है और बोर्ड के पास कोई मांग विचाराधीन नहीं है।

(२) सांचोर पंचायत समिति जालोर खादी ग्रामोद्योग संघ के अन्तर्गत आती है। इस क्षेत्र का समस्त खादी का कार्य संस्था के अन्तर्गत ही चलता है। संस्था की मांग आने पर ही बोर्ड विचार कर सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** क्या मैंने जो इन उद्योगों के नाम दिये हैं उनकी सर्वे बोर्ड ने की है?

**श्री अमृतलाल यादव :** बोर्ड के द्वारा सर्वे का सवाल ही नहीं आता है। संस्थायें काम कर रही हैं।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** मैंने जो उद्योग बताये हैं सांचोर में उनका बहुत बड़ा स्कोप है, प्रार्थना-पत्र जेर-तजवीज है, इसलिए उन उद्योगों की प्रार्थना पर विचार करके फायदा उठाना चाहिए।

**श्री अमृतलाल यादव :** हमारे पास जो प्रार्थना-पत्र विचाराधीन होंगे उनका नियमानुसार उचित निर्णय किया जा सकेगा। ऊनी जूट सूची में सम्मिलित नहीं था, इस साल सम्मिलित कर लिया गया। स्कोप की जांच करेंगे।

**श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :** अब तक इस बारे में कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं?

**श्री अमृतलाल यादव :** मुझे नहीं मालूम कितने प्रार्थना-पत्र हैं?

### एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स द्वारा रिट याचिका

४०. **श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)** [श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा द्वारा पूछा गया]: क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ एग्जक्यूटिव इन्जीनियर्स ने मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध पदोन्नति तथा अवनति के मामलों में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दी थी? यदि हां, तो किस २ ने और किस २ विषय में?

(ख) क्या यह सही है कि इस याचिका की पैरवी के सिलसिले में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों ने उच्च न्यायालय में कुछ आश्वासन दिये जिसके आधार पर याचिका वापिस ली गई? यदि हां, तो आश्वासन किस प्रकार के दिये गये और क्यों?

(ग) इस याचिका की पैरवी में सरकार का कुल कितना खर्च हुआ?

(घ) क्या यह सही है कि रिट याचिका में मुख्य अभियन्ता पर पदोन्नति के मामलों में जाली रिकार्ड बनाने, नम्बरों की गलत गिनती करने, अभियन्ताओं की सर्विसशीट में गलत इन्द्राज करने तथा पक्षपात करने आदि के आरोप लगाये थे? यदि हां, तो इस

# Page No. 12



(श्री कृष्णकुमार गोयल)
सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण ( श्री परसराम मदेरणा)** : (१) जी हां, राजस्थान सरकार व अन्य विभागीय अधिकारियों को प्रतिपक्षी बनाया था। निम्न अधिकारियों ने अपने अपने पदों की अवनति के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की थी:—

१. श्री हरिप्रकाश उच्चल

२. श्री पुरुषोत्तमचन्द

३. श्री धर्मेन्द्रकुमार

४. श्री चन्द्रभूषण

५. श्री महेन्द्रसिंह कछावा

६. श्री श्यामसुन्दर व्यास

(२) जी नहीं।

(३) यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

(४) केवल पक्षपात के आरोप के अतिरिक्त अन्य कोई आरोप नहीं था। आश्वासन के अनुसार इस मामले में जांच करा ली गई है। जन सेवा आयोग के रिकार्ड से विभाग के रिकार्ड को भी मिलालिया गया है, उसमें न तो नम्बरों की गलती, न गिनने की गलती पाई गई है, नम्बरों में भी कोई हेर-फेर नहीं पाया गया है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : राज्य सरकार ने यह जांच किस अधिकार द्वारा करवाई ?

**श्री परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार ने डिपार्टमेन्ट के सैक्रेटरी को पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा था, मार्क्स शीट के संबन्ध में जाकर वह रेकार्ड देखे। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास टोटल करने के लिये भेजा उसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को प्रस्तुत की।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)**: जो सदन में फोटोस्टेट कापी नम्बरों की रखी गई क्या उस फोटो कॉपी को भी एग्जामिन करवा लिया गया जिसमें स्पष्ट रूप से काट-छांट बतायी गई थी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : फोटो कॉपी की जांच करवाने का प्रश्न नहीं था। जिस डॉक्यूमेन्ट की फोटो कॉपी बतायी गई है वह डॉक्यूमेंट हमारे पास में है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक सदस्य थे वे डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी के चेयरमैन थे, उनके पास ऑथेन्टिक रेकार्ड था उससे उसका मिलान करना जरूरी था जो मिलान कर लिया गया। उसके बाद बियोन्ड ऑल रिजनेबल डाउट्स यह सन्तोष हो गया कि इसमें किसी प्रकार की इर्रेग्युलेरिटी नहीं हुई। जो कुछ टोटलिंग और मार्क्स थे वह बिल्कुल ठीक थे।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : हाई कोर्ट ने जो जजमेन्ट दिया है उसमें क्लीअरली कहा है टोटलिंग में गडबड़ी की गई है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह गलत है, हाई कोर्ट का जजमेन्ट मेरे पास में है। माननीय सदस्य ने शायद उस जजमेन्ट को देखा तक नहीं। इसमें टोटलिंग और मार्क्स शीट के संबन्ध में किसी प्रकार का जिक्र या पैरा नहीं है।

प्रश्न संख्या ४१

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

# Page No. 13



**लोकल फन्ड ऑडिट एक्ट के अन्तर्गत अनियमित व्यय की वसूली**

४२. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने लोकल फन्ड ऑडिट एक्ट के अन्तर्गत सरचार्ज के केस बनाकर अनियमित व्यय की वसूली की है ?

(२) यदि हां, तो जब से एक्ट लागू हुआ है जोधपुर, उदयपुर व गंगानगर नगरपालिकाओं में किस किस सदस्य तथा अधिकारी के विरुद्ध सरचार्ज के केस बनाकर अनियमित किये गये व्यय की वसूली की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि सरचार्ज के केस न बनाकर वसूली न करने से नगरपालिकाओं में अनियमितता अधिक होती है ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** (श्री दौलत राम सारण) : (१) लोकल फन्ड ऑडिट एक्ट के अन्तर्गत सरचार्ज के मामले बनाये गये हैं एवं वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अभी तक वसूली नहीं हुई है।

(२) जोधपुर, उदयपुर व गंगानगर नगर परिषद् में किसी सदस्य अथवा अधिकारी के विरुद्ध कोई सरचार्ज का मामला नहीं बनाया गया है।

(३) सरचार्ज के भय से नगरपालिकाओं में अनियमितता कम होती है।

**सामूहिक लघुद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों में बनी वस्तुओं का मूल्य**

४३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सामूहिक लघु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की कीमत में छात्रों को स्टाइपेन्ड के रूप में दी जाने वाली राशि को भी जोड़ने की सरकार की आज्ञा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस राशि को जोड़ने से वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ जाता है और उस सामान की बिक्री नहीं हो पाती है ?

(३) क्या यह सही है कि ये प्रशिक्षण केन्द्र हैं, उत्पादन केन्द्र नहीं और इसलिये यह स्वाभाविक है कि यहां को बनी हुई वस्तुयें उत्तम कोटि की नहीं हो सकती फिर भी इन वस्तुओं के दाम उत्तम कोटि की वस्तुओं से अधिक होते हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इन वस्तुओं पर लगी राशि को आइडल इन्वेस्टमेन्ट नहीं समझती है ? यदि समझती है तो इन पर वाजिब मूल्य क्यों नहीं लगाती जिससे ये वस्तुयें बेची जा सकें ?

**उप-मंत्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल बेद) :
(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां। सरकार की आज्ञा के अनुसार अगर इन वस्तुओं की कीमत बाजार की कीमत से अधिक हो जाता है त

Page No. 14



(श्री चन्दनमल बैद)
मूल्यांकन कमेटी को उचित छूट देने का अधिकार है।

(४) मूल्यांकन के आधार में परिवर्तन करने का मामला विचाराधीन है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत :** मूल्यांकन में छूट देकर कहीं वस्तुयें बिकवायी हैं ?

**श्री चन्दनमल बैद :** मार्केट की प्राइस देखकर मूल्य में कम करने का अधिकार कमेटी को है, वह कर सकती है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत :** कितना ही सामान दुकानों में पड़ा हुआ है जो बिना बिके पड़ा है, उसे जल्दी से जल्दी निकलवाया जाय ?

**श्री चन्दनमल बैद :** मूल्यांकन के आधार को परिवर्तन करने का विचार है उसके बाद ऑक्शन से भी बेचा जा सकता है।

**प्रश्न संख्या ४४**

**श्री अध्यक्ष :** श्री चौथमल वर्मा।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

**जिला बांसवाडा में सड़कों को डामर रोड्स बनाने का कार्य**

४५. **श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या जिला बांसवाडा में कुशलगढ़-उदयगढ़ तथा कुशलगढ़--बांसवाड़ा सड़कों को डामर रोड्स बनाने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है ? यदि हां, तो किस तारीख को इन कार्यों के लिए टेन्डर मन्जूर हुए और कब से कार्य आरम्भ हुआ ?

(२) कितने मील पर डामर कार्य हो चुका है, कार्य पूरा न होने का क्या कारण है और अब कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) :** (१) जी हां; कुशलगढ़-उदयगढ़ तथा कुशलगढ़-बांसवाड़ा रोड्स के कार्य ठेकेदारों को निम्न दिनांक को दिये हैं:--

**कुशलगढ़-उदयगढ़ रोड**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ०।० मील | से | ४।० | दिनांक | १३-१२-६३ |
| ८।० | ,, | ६।४ | ,, | ,, |
| ४।० | ,, | ८।० | ,, | २१-१२-६४ |

**कुशलगढ़-बांसवाड़ा**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २७।० मील | से | २९।० | दिनांक | १०-६-६३ |
| २९।० | ,, | ३६।० | ,, | ५-४-६५ |
| ३६।० | ,, | ४०।० | ,, | २१-१२-६४ |
| ४०।० | ,, | ४४।० | ,, | १०-६-६३ |

(२) कुशलगढ़-उदयगढ़ रोड लगभग ४ मील में डामर कार्य हो चुका है। ५।। मील में कार्य प्रगति पर है। कुशलगढ़--बांसवाड़ा रोड १० मील में लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है, ९ मीलों में कार्य प्रगति पर है। आशा है योजनानुसार चतुर्थ योजना तक काम पूरा हो जायगा।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :** आखिर जब टेन्डर लिए गये तो उसमें समय का निर्धारण तो होगा कि इतने समय में पूरा कर दिया जाय, वह क्या था ?

# Page No. 15



**श्री परसराम मदेरणा** : टाइम था।

**श्री मुरलीधर व्यास** : टाइम था तो वह क्या था ?

**श्री परसराम मदेरणा** : अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था। इस काम को सात हिस्सों में बांटा हुआ है। दो हिस्सों में जो काम है उनका अभी तक टाइम बाकी है, पांच हिस्सों का जो काम है वह समय पर पूरा नहीं हो सका। उसमें सबसे बड़ा कारण यह बताया गया है कि फेमीन इस साल पड़ जाने के कारण पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण यह काम रुका हुआ है। उनका ऐसा ख्याल है कि बरसात हो जाय तो यह काम शीघ्र पूरा हो सकता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : टेन्डर ६२-६३ के. आज जिनको चार साल होने आये हैं कहीं साढ़े चार मील का टुकड़ा, कहीं ३ मील का टुकड़ा ये चार-चार साल से अधूरे पड़े हैं; आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

**श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत)** : क्या राजस्थान के और इलाके के मुकाबले कुशलगढ़ क्षेत्र में पानी का अभाव ज्यादा है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसमें किसी क्षेत्र का मुकाबला नहीं है; लेकिन बरसात की कमी वैसे सारी जगहों पर रही है, लेकिन बांसवाड़ा जिले में बरसात नहीं आने के कारण पानी का वहां अभाव रहा है। ठेकेदार ने पास के कुओं से पानी लेने के लिए प्रयत्न किया था किन्तु काश्तकारों ने यह कह कर कि हमारी फसल सूख जायगी पानी नहीं दिया यह मैं भी मानता हूं कि इसमें देर जरूर हुई है, यह गवर्नमेंट महसूस करती है, जब ठेकेदार का क्लेम फाइनेलाइज किया जायगा अगर उस समय यह पाया जायगा कि यह ठेकेदार की गलती के कारण हुआ है तो जो भी पेनेल्टी इम्पोज की जानी होगी की जायगी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : टेन्डर में जिस समय का उल्लेख किया जाता है उस समय में काम पूरा हो जाय इसलिए सरकार क्या स्टेप उठा रही है ? पानी आदि की शिकायत तो जनरल शिकायत हो सकती है, लेकिन समय जो निर्धारित किया हुआ है उसमें काम हो जाय इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जनरली तो यह बात नहीं होती। जब टेन्डर किसी के मन्जूर होते हैं उसके अनुसार काम पूरा करना ठेकेदार का काम है, लेकिन उसमें भी जो डिफिकल्टीज आती हैं उसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। मान लीजिये किसी जगह पानी का गड्ढा आ जाता है, उसको लेवलिंग करवाना होता है, उसके लिए जब तक नये एस्टीमेट नहीं बनते हैं वह काम आगे नहीं चल सकता। उसके अतिरिक्त लेन्ड एक्विज़िशन के मामले भी सैंकड़ों की तादाद में पड़े हुए हैं। बीच में लेन्ड एक्वायर नहीं हो सकती। इसलिये यह कहना कि केवल ठेकेदार की लेतलाली से यह काम नहीं होता है, ठीक नहीं है। उनको तो पेनेल्टी का डर रहता है; अगर वे कन्ट्रेक्ट में दी हुई कन्डीशन्स को वायोलेट करते हैं तो उन पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है।

**श्री हीराभाई** : माननीय मंत्री महोदय को यह जनकारी नहीं कि वहां पानी का अभाव है, वहां तो बनास नदी और एक नदी बहती है। आप किसी के कहने से यहां कह कर अपने... लांछन क्यों लगाते हैं ? क्या आप ...

(श्री हीराभाई)
सकते हैं, टेन्डर जिनके मन्जूर हुए उन ठेकेदारों का क्या नाम है ?

**श्री परसराम मदेरणा :** इसमें एक तो ईश्वरीलाल हैं जो यह रोड कन्स्ट्रक्ट कर रहा है; कुशलगढ से उदयगढ़ तक करने वाले का नाम भी ईश्वरीलाल है। बाकी के नाम मेरे पास हैं नहीं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि पांच टेन्डर समय पर पूरे नहीं हुए तो क्या विभाग वालों ने उनकी अवधि समय समय पर निश्चित करके बढ़ाई है या बिल्कुल यों ही सालोसाल चल रहा है कि जब भी कम्प्लीट हो जावेगा तभी पूरा मान लिया जावेगा ?

**श्री परसराम मदेरणा :** यह जानकारी मेरे पास इस समय है नहीं।

उनको डेट बढ़ाई, और बढ़ाई तो कब बढ़ाई, कितने रोज के लिये बढ़ाई; यह पूरा रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास रहता है। कल रात को भी इन्फोर्मेशन लेने की कोशिश की थी, पर पूरा रिकॉर्ड रेडिली अवेलेबल नहीं होने से नहीं ले सके। इसलिये निश्चित रूप से इस समय बताने की पोजीशन में मैं नहीं हूं। पर अवधि कुछ मामलों में बढ़ाई जरूर गई है, इतनी जानकारी मुझे है।

**श्री अध्यक्ष :** यह होने पर भी काम पूरे हुए या नहीं ? यह कृपया सारी जानकारी कर लें, क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर मामला इस तरह से टेन्डर दिये जावें और शर्तें पूरी न हों और ऐसा मानस बनने लगे कि ठेकेदार जो रे हैं, सरकार उनका ही साथ देगी। इस तरह की धारणा जनता में घर न करने पावे, इसके लिये एक एक केस को अफसरों के साथ बैठ कर आप देखें और जिस किसी की भी गलती हो, नियम के अनुसार उस पर कार्यवाही करें।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर):** यह मैं फिर सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के अभाव के कारण समय पर काम पूरा नहीं हो सका, यह जो कारण सरकार ने बताया है यह ठीक नहीं है।

**श्री हीराभाई :** अध्यक्ष महोदय, ये ठेकेदार का नाम नहीं बता सकते, बताने की इनकी इच्छा नहीं है, हालांकि इनको मालूम है। विनोदचन्द्र, एक कांग्रेसी नेता, इसके ठेकेदार थे और उन्होंने यह सारी पोल चला रखी है और उनको बचाने के लिये ये सारे काम करते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** तो सवाल यह इसलिये पूछा है आपने ? जो कोई भी हो, जो गलती करता हो उसको सजा मिलनी चाहिये। यह आपका लक्ष्य होना चाहिये।

**मोटर स्टेन्ड की स्थापना**

४६. **श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका, नाथद्वारा के प्रशासक ने अक्टूबर, १९६५ में नये आदेश देकर मोटर स्टेण्ड को बाजार से हटाकर कोर्ट के सामने की भूमि पर स्थापित किया है ?

( श्री विजयसिंह झाला )

(२) क्या यह सही है कि पहले मास्टर प्लान के अन्तर्गत योजना बनी थी उसके अनुसार तथा गजट में आर. टी. ए. ने जिस भूमि पर मोटर स्टेण्ड कायम करने की सूचना निकाली थी तथा लोगों से जो आपत्तियां मांगी थीं वह भूमि यह भूमि नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि मोटर स्टेण्ड कायम करने से पूर्व कोई आपत्तियां इस स्टेण्ड परिवर्तन के बारे में नहीं मांगी गई ? यदि हां, तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है ?

(४) क्या इस जगह पानी, बिजली, मुसाफिरखाना, मोटर ऑफिस आदि का प्रबन्ध कर दिया गया है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) :(१) यह सही है कि बस स्टेण्ड बाजार से हटाकर कोर्ट के सामने राष्ट्रीय मार्ग संख्या ८ के पास स्थापित किया गया। यह कार्य गत निर्वाचित बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक १-१२-६३ के निष्पादन में १ अप्रेल, ६५ को किया गया।

(२) नाथद्वारा का जो मास्टर प्लान कई वर्ष पूर्व तैयार किया गया था जिसमें बस स्टेण्ड प्रस्तावित किया गया था, किन्तु वह आज तक मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं हुआ है। आर. टी. ए. ने जिस भूमि के लिए मोटर स्टेण्ड कायम करने की सूचना निकाली वह यही भूमि है।

(३) बस स्टेण्ड स्थापित करने में आर. टी. ए. ने नोटिस जारी कर उज्रदारियां तलब कर एवं सुनकर मोटर स्टेन्ड का स्थान नियमानुसार तय किया था।

(४) जी हां।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या यह सही है कि जिस भूमि के लिये १-१२-६३ को नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित किया था उस भूमि पर यह मोटर स्टेण्ड बना नहीं है ?

**श्री दौलतराम सारण** : जो सूचना मेरे पास प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैंने निवेदन कर दिया।

**श्री विजयसिंह झाला** : यह दरअसल में उस जगह पर नहीं बना है जिसके लिये कि प्रस्ताव पारित हुआ है। क्या सरकार इसकी दुबारा जांच कराने को तैयार है ?

**श्री अध्यक्ष** : उससे बिलकुल ही दूसरी जगह है या कुछ आस पास हटकर है ?

**श्री विजयसिंह झाला** : करीब आधा मील दूर है।

**श्री दौलतराम सारण** : मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा। पर मेरे पास सूचना जो है वह यह है।

**श्री अध्यक्ष** : आप दुबारा जांच करवा लें।

**श्री रावतराम।**

**श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर)** : रावतरामजी वाला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जेठमल।

**चूरू के अनुसूचित जाति के छात्रावास में प्रवेश की व्यवस्था**

४७. श्री रावतराम (सादूलपुर) [श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) द्वारा पूछा गया] :- क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(१) चूरू में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में कुल कितने लड़के भर्ती किये गये है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास में केवल चार कमरे हैं और हर कमरे मे १५-१५ लड़कों को रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को संतोषजनक मानती है ? यदि नहीं, तो अलग से मकान किराया क्यों नहीं लिया जाता ?

(३) उक्त छात्रों के लिये अलग से मकान की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

**उप-मंत्रीसमाज कल्याण** ( श्रीमती प्रभा मिश्रा) :(१) राजकीय छात्रावास (अनुसूचित जनजाति) चूरू में इस वर्ष कुल ५४ लड़के भर्ती किये गये हैं।

(२) इस छात्रावास में कुल ८ कमरे हैं। जिसमें से चार बड़े कमरों में छात्रों के रहने की व्यवस्था है। सितम्बर, ६५ से इस छात्रावास में स्वीकृत संख्या ४० से ५५ तक बढ़ा देने से यह छात्रावास में रहने की तंगी हुई है। वर्तमान शिक्षा सत्र में अन्य कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं होने से अन्य मकान किराये पर लेना सम्भव नहीं हो सका है। सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को लिख दिया गया है कि इस छात्रावास के एक अन्य कमरे को भी छात्रों के लिये उपलब्ध करा दिया जावे।

(३) छात्रों के लिये अलग से मकान की व्यवस्था करना इस वक्त अभी सम्भव नहीं होगा।

**श्री जेठमल बरवड़** : अगले वर्ष तो ऐसा प्रबन्ध हो जावेगा ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : प्रयत्न कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा मकान उपयुक्त बतावेंगे तो उसको भी लेने को तैयार हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस समय कितने लड़के एक कमरे में अधिक से अधिक रहते हैं ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : मैंने बताया न कि ५४ हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं एक कमरों का पूछ रहा हूं।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है इसकी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : प्रश्न ही यह है। अध्यक्ष महोदय, एक एक कमरे में जैसे आलू बोरी में भर देते हैं, वैसे लड़के भरे हुए हैं।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : नहीं, ऐसा नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : कमरों का साइज बताइये, क्या है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : २०-२२ बाई १६ के चार कमरे हैं जिनमें अभी व्यवस्था है। इसके बाद चार कमरे १६ बाई १० के

# Page No. 19



(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
और हैं जिनमें व्यवस्था करने के लिये लिख दिया गया है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** उन चार कमरों में कितने लड़के रहते हैं ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा :** ५४ बताया है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** तो इस हिसाब से क्या एक कमरे में २० बाई १६ के में १४ लड़के रह सकते हैं ?

**समाज कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) :** बात यह है कि चालीस लड़के पहले थे, उनके लिए पूरा एकोमोडेशन था। पर फिर मांग की गई कि लड़के ज्यादा आये हैं तो उनको भी ले लिया जाय नहीं तो उनकी शिक्षा पर असर पड़ेगा। तो इस दृष्टि से हमने बात मान ली थी। अब जगह की तंगी है पर उसमें जैसे-तैसे मुसीबत देख लेंगे, पढ़ने तो दें, इस विचार से उनको भी भर्ती कर लिया। अब मकान की बराबर दिक्कत रही तो हमने व्यवस्थापक का कमरा भी खाली करा लिया। इसके बाद स्नानघर का एक कमरा है १८ बाई १८ का उसे भी रहने के काम में ले लिया। स्नान तो जैसे-तैसे बाहर भी कर सकते हैं, तो उसको भी उपलब्ध करा दिया। इसके बाद उनके लिए इतनी खास दिक्कत नहीं रहेगी और अगले साल तो फिर और जगह देख ली जावेगी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** २२ बाई १६ के कमरे में दस लड़कों की चारपाई बिछ सकती है और फिर वह कमरा भर जाता है। न आने-जाने को जगह रहती है, न पढ़ने की मेज लगाने को जगह रहती है, न मूवमेन्ट को जगह रहती है, तो हाइजीन और मोरल पोइन्ट ऑफ व्यू से भी एक दूसरे के बीच पर्याप्त अन्तर तो रहना चाहिए और जाने को भी जगह रहनी चाहिए। इस तरह से दस के लिए भी यह कम है तो उससे ज्यादा आपने भर रखे हैं।

**श्री अमृतलाल यादव :** मेरा ध्यान यह रहता है कि लड़के अधिक से अधिक पढ़ें, फिर भले ही अधिक तंगाई में ही रहें। अधिक तंगाई में रह कर भी वे पढ़ तो जावें। मुझे मालूम है डॉक्टर अम्बेडकर अपने छात्रकाल में जिस कमरे में रहते थे उसमें उनके पैर भी पूरे लम्बे नहीं होते थे। इतनी तंग कोठरी में रहते थे। इसलिए आज भी, जब कि हमारे पास साधन कम हैं और लड़के ज्यादा हैं तो लड़के पढ़ जायें, तंगाई में रहकर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आपने तो अपने पांव पसारने के लिए छः छः कमरे बना रखे हैं। क्या आपके पांव कम जगह में नहीं पसर सकते ? अम्बेडकर का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं दूसरों के लिए, अपने लिये नहीं है ? अपनी चार फिट की टांग पसारने के लिए आपको छः-छः कमरे चाहिए।

**श्री अमृतलाल यादव :** इन बातों का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** फिर आपको डॉ० अम्बेडकर को यहां क्वोट नहीं करना चाहिए था।

**श्री अमृतलाल यादव :** इस बात का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह... सुनाने चले हैं अम्बेडकर की ...

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यही है तो उन कमरों में आकर खुद रहिये न। आप छात्रों के सामने मिसाल उपस्थित करना चाहते हैं तो पहले खुद करके दिखाइये न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो अंग्रेजों की हुकूमत में अनुसूचित जनजाति वालों की हालत थी, वही आज इस कांग्रेस की हुकूमत में भी है, जब कि बात बड़े ऊंचे सिद्धान्तों की करते हैं!

श्री अमृतलाल यादव : क्या हालत है, क्या नहीं है, यह हरिजन अच्छी तरह जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आपके जैसे हरिजन जानते हैं जिनके बंगले खड़े हो चुके हैं। गरीबों को तो आज आप भी तंग जगह में रहने का उपदेश दे रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : यह बेमतलब की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको सोचना चाहिये कि आप क्या कह रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको अम्बेडकर को वोट करते समय सोचना चाहिए था। आपके सेन्ट जेवियर में लड़के पढ़ते हैं उनको दाखिल करवाइये न इन होस्टलों में।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह।

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : आप कह यह हो गया वह हो गया, लेकिन मंत्री को पता नहीं होगा कि आज भी छुआ-रह रहे हैं। स्कूलों में हरिजनों के रखते दूसरों के साथ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा एक विनम्र सुझाव है इस पर अध्यक्ष महोदय। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जितने छात्रावास हैं उनमें न उनके रहने की समुचित व्यवस्था है, न खाने की, न पीने की व्यवस्था है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस व्यवस्था की जांच करने के लिए एक कमीशन, या कमेटी बिठाए जो यह सिफारिश करे कि उनका जीवन स्तर कैसे सुधारा जा सकता है और वर्तमान व्यवस्थाओं में क्या खामी किस जगह पर है और उनकी क्या रेमिडीं हो सकती है, ताकि इन छात्रावासों में भी सभ्य नागरिकों की तरह वे अपनी जिन्दगी बिता सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे।

आज तो एक एक कमरे में दस दस लड़के भर दिये जाते हैं एक एक बेड रूम वाले कमरों में दो-दो, तीन-तीन भर दिये जाते हैं। आप इसकी जांच करवाइये और फिर नये हाइजिनिक पोइन्ट ऑफ व्यू से जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वे उनको भी दी जानी चाहिए।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे जिम्मेदार सदस्य इस बात को कहते हैं। १६ बाई १६ फुट के कमरे में करीब १० लड़के रहते हैं और वहां और ज्यादा लड़के आ गये तो उसमें २ लड़के और बढ़ गये तो सब्सटेन्शियल बात यह है कि उन दोनों लड़कों का भविष्य बने, इस दृष्टि से ऐसा किया गया। मैं यह मंजूर करता हूं कि यह उनके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है और इसको हम देख रहे हैं। मैंने अभी जवाब दिया है कि एक कमरा व्यवस्थापक से लेकर और एक

(श्री अमृतलाल यादव)

स्नान करने का जो कमरा था उसको बनवा-कर रहने के लिए व्यवस्था की है । फिर मैंने आगे यह भी कहा है कि जुलाई में जब नये छात्रावास शुरू होंगे उस समय देखेंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है । उसको इग्नोर करके इसको पोइन्ट आउट करते हैं उसमें यह कमी है, वह कमी है, तो जहां तक कमियों की बात है यह पिछली बार भी आई थी और मैंने कहा था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संतोष नहीं है और मैं उसको अपनी तरह से देखूंगा । मैं अपने उस वादे को फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं उसको फिर देखूंगा । माननीय सदस्य को इतनी ही हमदर्दी है तो वह स्वयं करें और मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर में कोई छोटी सी बिल्डिंग छात्रावास बनाने के लिए दिलवादें; मैं आज ही लेने के लिए तैयार हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको जैसी बिल्डिंग चाहिये मैं दिलवाऊंगा; लेकिन उनकी हालत तो सुधरवाइये, मेरा इतना ही कहना है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या माननीय मंत्रीजी के सामने बिल्डिंग नहीं मिलने की समस्या है या फिर कोई ऐसी समस्या है कि क्योंकि हरिजनों का छात्रावास होगा इसलिए देने को तैयार नहीं हैं । यदि ऐसा है तो क्या सरकार एक्विजिशन करने की इस संबंध में क्यों नहीं कोशिश करे, जब कि और-और कामों के लिए हम एक्वायर करते हैं । मै समझता हूं कि इस कार्य के लिए बहुत आवश्यक है और जहां तक मेरी जानकारी है लोगों ने छात्रावासों के लिए बिल्डिंग देने से इन्कार किया हो, ऐसी बात नहीं है । अगर किया है तो उसको एक्वायर किया जाना चाहिए और इसके लिए एक्वीजिशन का लॉ इस्तेमाल किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि यहां चन्द्रमहल को भी एक्वायर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है ।

प्रश्न संख्या ४८

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

**पथ-निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धन-राशि**

४९. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से १९६३-६४ व ६४-६५ में पथ निर्माण कार्यों के लिए ऋण के रूप में व अनुदान के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? कृपया अलग-अलग साल वार आंकड़े दें ।

(२) क्या यह सही है कि १९६३-६४ व १९६४-६५ में उक्त धनराशि को पूर्ण खर्च नहीं किया गया और उसमें धनराशि लेप्स हुई ? यदि हां, तो कितनी, किस किस वर्ष में और क्यों ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) पथ निर्माण के लिए कोई पृथक् राशि भारत सरकार से ऋण के रूप में नहीं ली जाती है ? हैड मिसलेनियस डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत ऋण स्वरूप इकजाई राशि निर्धारित की जाती है, उसी में पथ निर्माण की योजनाओं के लिए राशि सम्मिलित रहती है । इसके

(श्री परसराम मदेरणा)

दोनों वर्षों के लिए जो राशि निर्धारित हुई और जो खर्चा हुआ वह इस प्रकार है :

| वर्ष | अलॉटमेन्ट | खर्चा |
|---|---|---|
| १९६३-६४ | ८२०.२० लाख | ८००.५७ लाख |
| १९६४-६५ | ११३७.५८ लाख | ११२६.७५ लाख |

पथ निर्माण के लिए उपर्युक्त राशि में से निम्न अलॉटमेन्ट व खर्चा हुआ:—

| वर्ष | अलॉटमेन्ट | खर्चा |
|---|---|---|
| १९६३-६४ | १२६ लाख | १३३.८८ लाख |
| १९६४-६५ | १५६.९८ लाख | १७०.६ लाख |

भारत सरकार ने पथ निर्माण के लिए अनुदान के रूप में जो सी० आर० एफ० अलोकेशन्स दिए और खर्चा हुआ वह निम्न है :

| वर्ष | अलॉटमेन्ट | खर्चा |
|---|---|---|
| १९६३-६४ | १० लाख | १२.८७ लाख |
| १९६४-६५ | १७ लाख | १५.३३ लाख |

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह अनुदान जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिला, जैसे १९६३-६४ में ८२०.२० लाख मिला और खर्चा ८००.५७ लाख ही हुआ और इसी तरह से १९६४-६५ में ११३७.५८ लाख का अलॉटमेंट हुआ और खर्चा सिर्फ ११२६.७५ लाख हुआ तो क्या कारण है कि जिसके कारण से इसको यूटीलाइज नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका कारण कि १९६३-६४ में सरकार को १० लाख मिला था, लेकिन खर्चा १७ लाख ८७ हजार हो गया था तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा था कि जितना हम एलोकेट करते हैं उससे ज्यादा खर्च मत करो और आपके दो साल का खर्चा बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। तो भी दो साल का खर्चा देखें तो वह २८ लाख के करीब आता है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बार-बार कहती है कि हम जितना एलोकेशन करें उतना ही खर्च करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि अगली साल १५ लाख रुपये का खर्चा हुआ है और १७ लाख रुपये की ग्रान्ट मिली उसको पिछली साल का कैरीओवर करके किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया कि पहले साल का एलोकेशन था उससे खर्चा ज्यादा हो गया, तो दूसरी साल कम करना पड़ा। तो टोटल मिलाकर दो साल का खर्चा २८ लाख २० हजार के आसपास हो गया......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि दोनों साल में जितनी ग्रान्ट मिली वह सेन्ट पर-सेन्ट यूटीलाइज कर ली ?

श्री परसराम मदेरणा : उससे ज्यादा हो गई है इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो किया है उसको नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९६३-६४ में बाकी है उसमें से ३० लाख रुपया क्यों खर्च नहीं हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : आप आंकड़ों को समझे नहीं। मैंने पहले तो लम-स

( श्री परसराम मदेरणा )

एलोकेशन बताया । इस लम्प-सम एलोकेशन के बाद में रोड्स के हैड में और रोड्स के लिए एलोकेशन कम था, क्योंकि एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें खर्चा ज्यादा नहीं हुआ हो। इसलिए प्रश्न नहीं होता । अब प्रश्न यह था कि जो एलोकेशन पथ निर्माण के लिए होता है वह खर्च कर पाते हैं या नहीं, तो उसके आंकड़े मैंने आपको दिये हैं कि टोटल एलोकेशन जो है उससे ज्यादा खर्च हुआ है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या सरकार बता सकती है कि बोर्डर एरिया में इसका कितने परसेन्टेज खर्च किया है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि बोर्डर एरियाज में रोड्स के बारे में स्पेशल एलोकेशन किया जाये ?

**श्री परसराम मदेरणा** : बोर्डर रोड्स के लिए इस साल से अलग एलोकेशन किया है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पहले सरकार ने इस सम्बन्ध में क्यों नहीं मांग की कि भारत—पाक बोर्डर जो कि राजस्थान में है उसके रोड्स डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाये और इसके लिए स्पेशल एलोकेशन किया जाय ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)** : मांग करने का प्रश्न नहीं था क्योंकि सीलिंग जो होती थी उसमें बोर्डर रोड्स थीं और स्पेशल सर्कमस्टान्सेज को देखकर स्पेशल एलोकेशन दिया था ।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई)** : कच्छ के हमले के बाद कोई सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बोर्डर के ऊपर सड़कों के बनाने के लिए अलग एलोकेशन दिया गया ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : जी हां ।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : वह कितना दिया गया और कितना यूटिलाइज्ड हुआ ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : वह अलग से प्रश्न पूछें ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)** : यह ४ वर्षों से प्रश्न आ रहा है कि बोर्डर के ऊपर रोड्स का अभाव है और क्या सरकार डिमाण्ड करती रही है कि हमें अलग एलोकेशन करें और आपने इन चार वर्षों में क्या किया ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)** : मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां तक बोर्डर रोड्स का सवाल है आम तौर से जब कभी इस प्रकार के अवसर आये नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में या और जगह तो राजस्थान में, खास तौर से चाईनीज एग्रेशन के बाद, बोर्डर रोड्स के बारे में भारत सरकार का ध्यान बराबर आकर्षित किया जाता रहा है और अब उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि भी तय की है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने कभी भी चाईनीज एग्रेशन के बाद बोर्डर रोड्स के डेवलपमेंट की दृष्टि से कोई प्लान बनाकर या एस्टीमेटस बनाकर केन्द्रीय सरकार के पास भेजे क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसके संबंध में कार्रवाई जारी हुई है।

# Page No. 24



श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछता हूं कि आपने कोई प्लान या एस्टीमेट्स कभी केन्द्रीय सरकार के पास तैयार करके भेजे क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सन् १९६२ के बाद में कितनी राशि केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत की और कब कब की ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह अलग से प्रश्न कीजिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने कोई एस्टीमेट बनाकर बोर्डर रोड्स के डेवलपमेंट के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान सरकार ने वक्तन-फ-वक्तन, कि कौन कौन सी रोड्स हों, कैसी कैसी रोड्स हों इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से खतोकिताबत की है ।

(१२.०० मध्याह्न)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं । जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में भी बात की है और भारत सरकार का ध्यान भी खींचा है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बोर्डर एरिया में रोड डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान, स्पेसिफिक एलोकेशन बनाकर भेजा है, कोई स्पेसिफिक एस्टीमेट, प्लान या स्कीम बना कर भारत सरकार को भेजी है, कच्छ के आक्रमण से पहले और पाकीज एग्रेशन के बाद ?

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं समझता हूं कि यह मामला जो गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के विचाराधीन था और राजस्थान सरकार का उससे कोई सम्बन्ध वैसे नहीं है, क्योंकि जो डिफेंस का सवाल है it has to be considered from the defence point of view and defence is a central subject.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब हुआ कि बोर्डर के एरिया में रोड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जैसा अभी स्पष्ट कर चुका हूं कि राजस्थान के बोर्डर पर जो रोड्स बनाने के लिए विचार करने का सवाल है उसके बारे में हम काफी अर्से से भारत सरकार के सामने इस प्रश्न को रखते रहे हैं, यहां तक कि जब स्वर्गीय लालबहादुरजी शास्त्री होम मिनिस्टर थे और जब वे जोधपुर के अन्दर एक बार तशरीफ लाए थे और माथुर साहब भी होम मिनिस्टर थे उस वक्त में रोड्स के एस्टीमेट्स और डिटेल्स के बारे में बात हुई थी। यह उस वक्त की बात है जो काफी पुराना वक्त हो गया है तब भी इसके बारे में हमारी तरफ से मांग रखी गई थी और अलग अलग तरीके से भी इस विषय में हम चर्चा करते रहे हैं और अब आकर इसके सम्बन्ध में फैसला हुआ है, वह आप जानते ही हैं ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह ।

श्री उम्मेदसिंह : इसके लिए जो धनराशि फिक्स हुई है वह कितनी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि इसने ज्यादा विस्तार से यहां बताना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
उपयुक्त नहीं होगा कि कहां कहां पर कितना २ पैसा लगाया जा रहा है या क्या हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : हम जानना चाहते हैं, आपको विस्तार से बताने में क्या आपत्ति है ? आप कहते हैं कि बोर्डर रोड्स की जिम्मेदारी भारत सरकार की है तो जो बीकानेर से गंगानगर तक रोड बनाने का सवाल आया था तो आपने क्या किया ? इसके लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से पैसा मिला है और बीकानेर से गंगानगर तक सड़क बनाने का सवाल था तो वह पैसा युटिलाइज हुआ या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन सारी चर्चाओं का यह वक्त नहीं है। जो भी ग्राण्ट भारत सरकार ने दी है वह दो हिस्सों में बांटी है सरटन ग्राण्ट को भारत सरकार खुद एग्जीक्यूट कर रही है और सरटन ग्राण्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है जितना हमको पैसा दिया है उसके मुताबिक हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या यह सही है कि अभी पाकिस्तान का हमला हुआ उस समय रोड्स वगैरह नहीं बनने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की मानी गयी और डिफेंस के बड़े २ अधिकारियों ने यह आरोप लगाया कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वहां सड़कें नहीं बनाईं........

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं पूछा जावे।

श्री हरिश्चन्द्र : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि यह प्रश्न ही नहीं पूछा जावे; आप जवाब देने के लिए उतावले हो रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अगर आप फिगर नहीं बताना चाहते तो नहीं बतावें; हम भी नहीं पूछते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जितना एलोकेशन किया गया अब तक बोर्डर रोड्स के ओर्गेनाईजेशन के लिए, बोर्डर रोड्स के डेवलपमेंट के लिए, क्या उस सारी स्कीम को राजस्थान गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया है ?

श्री अध्यक्ष : इसको बता चुके हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके दो हिस्से हैं जिनको मैं बता चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या इन बोर्डर्स के जिलों में रोड्स के डेवलपमेंट को सरकार केवल केन्द्र की ही जिम्मेदारी मान कर उन पर छोड़ देगी और केन्द्र जितना कर सके उतना कर दे और उसके अलावा अपनी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार महसूस नहीं करती है कि उसको पूरा किया जाय। मैं समझता हूं, यह बोर्डर का जो सवाल है केन्द्र ने ऑल इण्डिया लेवल पर इसको देखा है, उनके हिसाब से अगर एक एरिया निग्लेक्ट भी रह गया तो क्या होता है, लेकिन यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केन्द्र सरकार को प्रेस करे कि कोई एरिया निग्लेक्ट न रहने पावे। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और इसी के परिणामस्वरूप यह तमाम जोधपुर डिवीजन का एरिया निग्लेक्ट रहा और यह विषम परिस्थिति

# Page No. 26



(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पाकिस्तान की वार में हमारे सामने पेश आई। तो क्या गवर्नमेंट दुबारा इस गलती को न करे, इस दृष्टि से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होते हुए भी राजस्थान सरकार भी अपनी जिम्मेदारी मानती है, डिफेंस की दृष्टि से केन्द्र की जिम्मेदारी होते हुए भी प्रान्तीय सरकार भी कुछ जिम्मेदार है और इसको मिनिमम तौर से वह अवश्य पूरा करे, क्या इसको आप मानते हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं समझता हूं कि जहां तक बोर्डर रोड्स का सवाल है, जहां तक नेशनल डिफेंस का सवाल है और बोर्डर में डिफेंस के लिहाज से रोड्स के बनाने का सवाल है या और भी इससे सम्बन्धित प्रश्न हैं वह भारत सरकार की ही एक तरह से जिम्मेदारी है और उसी दृष्टि से इस पर विचार करके चलना होगा और इसी दृष्टि से उनके साथ चर्चा भी की जाती है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जो बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में जिले हैं उनकी रोड्स का काम कितना निग्लेक्ट रहा, इसका तो एक यही नमूना है कि बीस हजार स्क्वायर किलो-मीटर की सड़क जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में बननी थी, उनकी जगह ६०० किलो मीटर ही बनी है जब कि ये सारी रोड्स गंगानगर में सेंक्शन्ड थीं। जब माथुर साहब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बोर्डर की आर० ए० सी० से बनाना शुरू किया था लेकिन उसका कुछ टुकड़ा ही बन कर रह गया। बीकानेर और गंगानगर की कॉंट्रेक्ट रोड आज भी तीन, चार, पांच साल से लड़-खड़ा रही हैं और अब जाकर उसको वार फुटिंग पर लिया गया है। कोई टार्जेट किसी डिस्ट्रिक्ट में पूरा नहीं किया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्रवणलाल।

**श्री श्रवणलाल** (हिण्डोन-सु०): प्रश्न संख्या ५०।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : माननीय सदस्य अलवर से आने वाले ने जो प्रश्न उठाया है और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि सड़कें बनाने की जिम्मेदारी मेनली, खास तौर से केन्द्र की है........

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : डिफेंस के लिहाज से रोड बनाने की।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : इसके परिणाम स्वरूप आज डिफेंस और सिविल डिफेंस में ओवरलेपिंग हो रहा है। सिविल डिफेंस की बेसिकली लोकल गवर्नमेन्ट की ड्यूटी है और दूसरी कुछ ड्यूटियां केन्द्र की हैं, इस तरह से यह सारा ओवरलेपिंग हो रहा है। अभी जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जब स्वर्गीय लालबहादुरजी शास्त्री होम मिनिस्टर थे और जब वे जोधपुर आए, उस समय भी उनको अवगत करवाया गया था कि यहां के बोर्डर की आवश्यकताएं क्या हैं। इससे स्पष्ट होता है अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। केन्द्र की फर्स्ट एण्ड फोरमोस्ट जिम्मेदारी है, लेकिन यह जिम्मेदारी ओवरलेपिंग है। माननीय सदस्य, अलवर ने अभी स्पष्टतया कहा कि केन्द्र का दृष्टिकोण वाइडर होता है, ऑल इण्डिया बेसिस पर वे विचार करते हैं; लेकिन लोकल गोवर्नमेंट को, राजस्थान सरकार को जो खास जिम्मेदारी है, उसका उत्तरदायित्व है कि वह राजस्थान की सीमा के सम्बन्ध में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जागरुक रहे। अगर राजस्थान सरकार यह अनुभव करती है कि राजस्थान की सीमा के बारे में रेस्पोंसिबिलिटी का ओवरलेपिंग हो रहा है तो मैं समझता हूं कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह केन्द्र को वल्तन-फ-वक्तन अवगत करे। यह किया या नहीं किया गया, यह स्पष्ट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी जैसा उन्होंने कहा कि बोर्डर की जिम्मेदारी केन्द्र की है तो मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी केन्द्र पर जिम्मेदारी डाल कर बच नहीं सकते। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में इस प्रकार की बोर्डर रोड्स बननी चाहिये; इसके एस्टीमेट्स बना कर आपने केन्द्र को नहीं भेजे। आपने इसके लिए किसी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लिया और नतीजा यह हुआ कि राजस्थान सरकार का डिफेंस पोइन्ट ऑफ व्यू से क्रिमिनल नेग्लीजेन्स रहा है। राजस्थान सरकार ने पांच साल तक इसके प्रति लापरवाही बर्ती है और बोर्डर रोड्स को नहीं बनवाया है। इसकी आपकी जिम्मेदारी है और अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार की इस नेग्लीजेंसी के प्रति टोटल प्रोटेस्ट करता हूं। डिफेन्स की दृष्टि से जहां भारत सरकार की जिम्मेदारी है वहां राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी को केन्द्र पर डाल कर बच नहीं सकते, सरकार इसके प्रति उदासीन रही है, सरकार का रवैया जिम्मेदारी टालने का रहा है। यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस्टीमेट्स तैयार केन्द्र को भेजना चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट रखनी चाहिये। रिक्वायरमेन्ट्स लेनी चाहिये, एस्टिमेट्स बनाने चाहिए। राजस्थान के बोर्डर के संबन्ध में जो स्टेप्स लेने चाहिये थे वे स्टेप्स आपने नहीं लिए····

(राज्य पक्ष द्वारा "गलत-गलत" की आवाज और शोरगुल)

राजस्थान सरकार रोड्स नहीं बना सकी इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा लज्जा की बात और कोई नहीं हो सकती (हीयर हीयर) मैं सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने हिन्दुस्तान के मत्थे पर कलंक का टीका लगवाया है····

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप कृपा करके बैठ जाइये···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सरकार के रवैये के खिलाफ, क्रिमिनल नेग्लीजेन्स के खिलाफ····

(राज्य पक्ष की ओर से "असत्य है" की आवाज, शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस पर कोई बहस नहीं होगी। मंत्री महोदय उत्तर देंगे। उसके पश्चात् प्रश्न समाप्त हो जायगा।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस बहुत हो चुकी।

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय···

(शोरगुल)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अपनी जिम्मेदारी सेन्टर पर डालना चाहते हैं····

# Page No. 28



सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): वाक आउट करना हो तो करिये, लेकिन मेरी बात सुन लीजिये।

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहें तो मैं पहले बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर बहुत बहस हो चुकी है। इसको और आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं है। मन्त्री महोदय भी इसके लिए तैयार नहीं हैं। बजट के समय इस मुद्दे को और उठाना चाहें तो उठा सकते है। अभी मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे दें, उसके पश्चात् प्रश्न नहीं पूछा जाय।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

एक प्रश्न को लेकर इतना नहीं पूछ सकते। जो आपकी भावना थी वह व्यक्त हो चुकी, उस पर चर्चा हो चुकी। अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया डिफेन्स कि रेस्पोन्सिबिलिटी और उससे संबन्धित कार्यवाही जितनी होती है वह सेंट्रल गवर्नमेन्ट के आधार पर होती है। जब यह मामला सामने आया तब राजस्थान सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेन्ट से इस विषय पर बात चीत की और सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने धन-राशि राजस्थान सरकार को मुहैया की और उसके बाद इसमें दो तरह के विभाजन हुए। कई काम ऐसे थे जो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी पर छोड़े गये और राजस्थान सरकार ने उनको एग्जीक्यूट किया और कई काम ऐसे थे जो वे खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन से करवाना चाहते थे। जहां तक सवाल राजस्थान को एग्जीक्यूट करवाने का था उस काम को करवाने के लिए जितना प्रशासनिक पैटर्न सेट अप करने का था, वह सारा का सारा सेट अप कर लिया है। ऐडीशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेट अप हो चुके हैं। जहां जितना स्टाफ निर्धारित होना चाहिये, हो चुका है। कई टेन्डर्स मंगा कर काम शुरू कर दिया है। जहां तक कई काम सेन्टर से संबंधित हैं, वे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता; उनके विचाराधीन हैं, वे एग्जीक्यूट करायेंगे।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अभी मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया। मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया था कि सेन्टर से रुपया आया नहीं है, पर मंत्रीजी कहते हैं कि सेन्टर से धन-राशि आ गई····

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सब एक साथ नहीं बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं····

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जिस सरकार के कारण देश के मस्तिष्क पर कलंक का टीका लगा, राजस्थान की सीमा पर कलंक का टीका लगा उस सरकार के खिलाफ····

('हियर हियर' की आवाज)

श्री निरंजननाथ आचार्य (... शिक्षा) : (शोर गुल के कारण

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जब देश के ऊपर हमला हुआ तब हम बगलें झांकते रहे, इससे बढ़ कर देश के साथ गद्दारी कोई दूसरी हो नहीं सकती। सरकार की इस घोर नेग्लीजेन्स के खिलाफ मैं अपने साथियों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(सं. सो. पा. के कुछ सदस्यों ने बहिर्गमन किया )

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ी है यह ग्रोस नेग्लीजेन्स है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को सेन्सर करते है और इसके प्रतिरोध स्वरूप हम बहिर्गमन करते हैं।

(स्वतंत्र दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्डर के मामले पर सारे अपोजीशन में युनिटी है ।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य: Walk out....

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ये एन्टी-नेशनलिस्ट्स हैं........

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके पी.ए. का मिजाज कैसा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : (शोरगुल के कारण अश्रव्य )

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके पी. ए. का मिजाज कैसा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसका पी. ए. एन्टी नेशनेलिस्ट एक्टिविटीज में शरीक हो, ऐसे मन्त्री को निकाला जाय ।

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं शांति से बोलना चाहता हूं; आपके जरिये मुझे बोलने का मौका मिला, लेकिन ये बीच में अशांति पैदा कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप तीन चार दफा प्रश्न के बीच में बोल चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : केवल तीन-चार मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनट ।

श्री मुरलीधर व्यास : सीमा के प्रश्न को लेकर, बोर्डर रोड्स को लेकर बड़ा उत्पात मचा तब केन्द्रीय सरकार के पास पहुँचे। तब उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया कि हमने राजस्थान गवर्नमेन्ट को इसके लिए रकम दे दी है। कच्छ के लिए भी रकम दी है। उन दोनों को रोड्स बनानी चाहिए थी। कच्छ वालों ने तो रोड्स बना ली हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने नहीं बनाई है ।

श्री हरिश्चन्द्र : बिल्कुल गलत है ।

(कुछ माननीय सदस्य "झूठी बात है, असत्य है")

श्री अध्यक्ष : आप कोई बात कहें तो तथ्यपूर्ण कहें। आपने बात कही कि भारत सरकार का कहना है कि राजस्थान सरकार को पैसा दिया और उन्होंने खर्च नहीं किया। मन्त्रीजी इसको मना कर रहे हैं। यदि

# Page No. 30



(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य इस प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हैं तो पूरी तरह से तैयार होकर आवें, प्रोसिडिंग लेकर आवें। इसलिए जो कुछ प्रश्न के बाद सवाल उठाने हैं उनके लिए नियमों में प्रावधान है उसके अनुसार उठावें। मन्त्रीजी ने इसको मना किया है इसके लिए आप प्रोटेस्ट नियम के अन्तर्गत ही कर सकते हैं; प्रोसिडिंग लाकर पूरे तथ्य सामने रख कर कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ये तो करूंगा लेकिन दो मिनट बोल रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय ने चार दफा आपको मना कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बिगाड़ते हैं सारी चीज को। हम पार्लियामेंटरी तरीके से कोई चीज रखना चाहते हैं आप बीच में हस्तक्षेप करते हैं। मैं बोल रहा था, आप बीच में क्यों खड़े हो गये?

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी इजाजत से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था, ये बीच में ही बोलने लगे। आप समझते हैं कि पार्लियामेंटरी तरीके से ही कोई बात हो तो ये बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस बारे में फिर से चर्चा उठानी है तो कुछ डेफिनिट चीज सामने होनी चाहिए। बजट के समय भी आप इस बारे में कह सकते हैं; इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहें और तथ्य सामने नहीं आवें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जो बात आपको कहनी है, जिस ओर आपको ध्यान आकर्षित करना है उसके लिए और व्यवस्था है। अब इस प्रश्न को यहीं छोड़ दिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई मौका नहीं दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आपने मुझे मौका दिया और मैं अपनी बात कहता हूं तो मैंने क्या गलत कर दिया? आपने मुझे मौका दिया और मौका मिलने पर मैं खड़ा हुआ, जब मैं बोल रहा था तो मंत्री महोदय बीच में खड़े हो गये और बीच में खड़े होकर बोलने लग गये। यह कौनसा पार्लियामेन्ट्री तरीका है कि आपके आदेश को न मानें? हम तो मानेंगे जो आपका आदेश होगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इसको निकाला जाय!

श्री मुरलीधर व्यास : यह कौनसा तरीका निकाला है कि . . .

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कहां का गुस्सा कहां निकाल रहे हैं!

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! आर्डर प्लीज!

माननीय सदस्य ने जब यह कहा कि भारत सरकार का इस तरह का आरोप है, उस पर और चर्चा बढ़े उससे पहले मंत्री महोदय ने खड़े होकर कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ऐसी व्यवस्था है; आपको उनको पूछने का फर्ज है, लेकिन

(श्री अध्यक्ष)
इसके बारे में कोई आपके पास तथ्य हों उनको आप रखें। इस तरह मे आरोप-प्रत्या-रोप से बहस कोई मायने नहीं रखती। इस तरह से न तो सदन के माननीय सदस्यों का मानस बनता है और न ही कोई सवाल हल हो सकते हैं। इस दृष्टि से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसको गम्भीर समस्या मानते हैं और माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस समस्या का निराकरण हो तो तथ्यों के साथ आगे बढ़ें। आपने जो कहा उस पर मंत्री महोदय ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वह गलत है। उस पर मैंने कहा कि यदि गलत है तो इस पर आगे चर्चा न की जाय।

**श्री मुरलीधर व्यास :** गलत नहीं है। मंत्री महोदय ने खुद ने प्रोसीडिंग्ज में स्वीकार किया है। आपने प्रश्न पूछा, महारावल साहब ने, आपने कहा था कि कच्छ के मामले में रकम दी थी। हां, इस तरीके से स्वीकार किया है · · ·

**श्री हरिश्चन्द्र :** क्या ?

**श्री मुरलीधर व्यास :** और आपने उस रकम को यूटीलाइज नहीं किया है ?

**श्री हरिश्चन्द्र :** यह नहीं कहा। आप झूंठ बोल रहे है।

**श्री अध्यक्ष :** मैं यह कह रहा हूं · · ·

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :** सारी बातें गलत कह रहे हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास :** गलत नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य !

**श्री मुरलीधर व्यास :** आप यह बता दीजिये कि बीकानेर को गंगानगर से जोड़ने का प्लान था या नहीं, पहली दो योजनाओं में ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ! मैं निवेदन कर रहा हूं।

**श्री मुरलीधर व्यास :** लेकिन आपने उनको नहीं जोड़ा और हम लोग बीकानेर से वहां जा नहीं सकते।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! आप मेरी बात सुन लें।

**श्री मुरलीधर व्यास:** अध्यक्ष महोदय, जो मेरी बात है उसको मैं अर्ज कर दूं। आप मुझे दो मिनिट का मौका दीजिये।

**श्री अध्यक्ष:** अब मौका नहीं दिया जावेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास :** मैं पार्लियामेन्ट्री तरीके मे खड़ा होता हूं तो भी मुझे मौका नहीं मिलता है।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ! देखिये, आपने जो कहा उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप सदन के सामने तथ्य रखें। आपने टेन्डर के लिए कहा, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बारे में कहा, लेकिन इस प्रकार कहने से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। इस तरह से बहस आगे नहीं बढ़ती है। आप कोई तथ्य लायें तो हम आपको मौका देंगे। आप अभी सारी बात कह कर खत्म कर दें और बाद में सारी बातें भूल जांय—इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। आप इसकी अहमियत जानते हैं तो पीछे कभी आप सदन के सामने सारे तथ्य रखिये।

# Page No. 32



**श्री मुरलीधर व्यास :** मंत्री महोदय कहते हैं, टेन्डर काल नहीं किये हैं, किसी का टेन्डर नहीं है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि टेन्डर रोड्स के लिए कॉल किये हैं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ! मैं निवेदन कर रहा हूं, बताइये ना, टेन्डर कहां है ? आप सारे तथ्य लायें, हम आपको मौका देंगे; घंटा दो घंटा तब आप बोलें। लेकिन सदन के सामने कोई बात तथ्यपूर्ण तो रखें।

**श्री मुरलीधर व्यास :** आपने मुझे मौका दिया और बोलने का मौका दिया, लेकिन मेरे बीच में मंत्री महोदय का खड़ा हो जाना कहां तक उचित है ? जब मैं बोलना चाहता हूँ तो आप के द्वारा मौका देने के बावजूद मुझे रोकना चाहते हैं। आप देखिये, मुझको आपने मौका दिया।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ! आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री मुरलीधर व्यास :** × × ×

(श्री मुरलीधर व्यास द्वारा बहिर्गमन)

**श्री अध्यक्ष :** जो भी बातें पिछले दो मिनट में श्री मुरलीधर व्यास ने कही हैं उनको रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाय। उनको अपनी बात कहने का मौका दिया गया लेकिन तथ्य न रख कर वे बहस में फंस गये। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से यहां पर कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। मैंने उनको अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, लेकिन वे तथ्य न रख कर इस बात पर अड़े रहे। इस तरह से तथ्यहीन बातें सदन में कहने से समस्या का समाधान नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को अब यहीं समाप्त किया जाय और जब कभी मौका आये तो विचार किया जाय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** अध्यक्ष महोदय एक मिनट में मैं अपनी पार्टी के स्टेण्ड के बारे में कहना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाय। हम समझते हैं कि यह काफी गम्भीर प्रश्न है और क्योंकि यह काफी गम्भीर प्रश्न है...

(राज्य पक्ष की ओर से शोरगुल)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय जब किसी को बोलने की इजाजत दे देते हैं तो आपको इस तरह चीं चीं नहीं करनी चाहिए। यह उनका अपमान है।

**श्री हरिश्चन्द्र :** ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, आपने यह रूलिंग दे दी थी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि अब लास्ट वर्ड कह कर बहस समाप्त की जाय।

**श्री अध्यक्ष :** लास्ट वर्ड के लिए और आपको मौका मिलेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी यह मानते हैं, सरकार की जो बोर्डर के बारे में जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो राज्य सरकार की बोर्डर के मामले में जिम्मेदारी होनी

---

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड पर नहीं रखा गया।

# Page No. 33



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिए उसको उसने नहीं निभाया है। और इस बात पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय बहस होगी तब अपने विचार हम विशद रूप से रखना चाहेंगे। हम समझते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके ऊपर सरकार को और इस सदन को विचार करना चाहिए। इसलिए उस समय के लिए हम इन विचारों को रिजर्व रखते हैं।

**श्री मथुरादास माथुर** (यातयात मंत्री): इसमें कहने की जरूरत कहां थी ?

**श्री हरिश्चन्द्र**: अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने जितने भी इस मामले में मौके हुए हैं तब काम किया है और वह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। मैं आपके सामने फैक्ट्स प्रोड्यूस करना चाहता हूं एज ए स्पीकर आप उनको देखें ताकि आप कन्विन्स हो सकें कि राजस्थान के बोर्डर के लिए हमने काम एक्जीक्यूट कराये हैं और किसी भी तरीके से नहीं पिछड़े हैं। यह जो गलत-फहमी माननीय सदस्य ने फैलाने की कोशिश की है, मैं इसको गम्भीरता से देखता हूं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि···

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: इसको सदन से बर्खास्त करवा दिया जाय।

**श्री श्रवणलाल**: ऐसे मिनिस्टर को राजस्थान सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए।

**श्री मानसिंह महार**: × × × ×

**श्री हरिश्चन्द्र**: I cannot obey you, if there is anything····

**श्री मानसिंह महार**: × × × ×

**श्री हरिश्चन्द्र**: I will take this challenge.

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्य !

**श्री हरिश्चन्द्र**: I will take this challenge.

**श्री मानसिंह महार**: × × × ×

**श्री हरिश्चन्द्र**: I accept your challenge.

**श्री मानसिंह महार**: × × × ×

**श्री हरिश्चन्द्र**: I will not go out, you cannot ask me to go out.

**श्री मानसिंह महार**: × × × ×

**श्री हरिश्चन्द्र**: जो आपको········

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य ने जो बातें हिन्दी और अंग्रेजी में कही हैं उनको रिकार्ड पर नहीं रखा जाय।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**: आप बोर्डर के जिलों को सड़क से नहीं जोड़ सके, इसको आपको शर्म नहीं है। बीकानेर

---

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार रेकॉर्ड पर नहीं रखे गए।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
और गंगानगर को आप सड़क से नहीं जोड़ सके ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : आपको शर्म नहीं आती कि सदन में झूंठ बोलते हैं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप चौदह साल में बोर्डर एरियाज को नहीं जोड़ सके सड़क से, आपको शर्म नहीं आती है ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस सदन में झूंठ बोलते हैं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : और फिर कहते हैं कि हम डिफेन्स के लिए यह काम करते हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य !

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप बीकानेर और गंगानगर को सड़क से नहीं जोड़ सके ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : आप सबको गुमराह करते हैं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना; लेकिन यह सड़क नहीं बनी है । आपको लज्जा नहीं आती है । आप क्या डिफेन्स के लिए कर रहे हैं ? दो बोर्डर जिलों को सड़क से नही जोड़ सकते ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस ऑगस्ट हाउस के अन्दर झूंठ बोल रहे हैं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप होश में नहीं हैं ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : आप गुमराह करते हैं, इस सदन के मेम्बरान को गुमराह करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप खुद गुमराह हैं ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : कतई नहीं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप गलत कह रहे हैं । आपने देश के साथ गद्दारी की है ।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मन्त्री, गृह) : गलत आप कह रहे हैं, इसलिए आप देश के साथ गद्दारी करते हैं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अरे जाओ ! आपके यहां पाकिस्तान के आदमी काम करते हैं ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : अध्यक्ष महोदय....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इन दोनों गुमराह को गुमराह पिक्चर में भेज दो ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, हम साफ साफ कहते हैं; झूंठ है, चाहे सरकार डी. आई. आर. में बन्द करे या और चाहे जो करे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : Please accept the challenge.

**श्री मानसिंह महार** : पाकिस्तान एजेन्ट होने के नाते इनको एक बार निकालो ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : I provoke you to evoke the provisions of the Defence of India Rules.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मन्त्री) : We will not be provoked.

**श्री हरिश्चन्द्र** : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि I am prepared to face the entire proceedings; आप सेटिसफाइड

(श्री हरिश्चन्द्र)
हो जाए कि राजस्थान सरकार ने काम किया है या नहीं। If you are satisfied; राजस्थान सरकार ने काम नहीं किया, I am prepared to resign.

**विपक्ष के माननीय सदस्य** : नहीं किया, नहीं किया।

**राज्य पक्ष के माननीय सदस्य** : क्या बता सकते हैं कोई काम नहीं किया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : कोई काम नहीं किया है।

**विपक्ष के माननीय सदस्य** : कोई काम नहीं किया है।

(शोरगुल)

**श्री हरिश्चन्द्र** : The Hon'ble Speaker is the Judge and not you.

(शोरगुल)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कोई सवाल नहीं है, राजस्थान के कारण देश को पराजय का कलंक लगा है; जो पराजय का टीका है वह मिट नहीं सकता।

**उप-मंत्री, गृह (निरंजननाथ आचार्य)** : यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : हमारा यह आरोप है कि राजस्थान सरकार ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। इस कारण ही हम अपने बोर्डर को डिफेन्ड नहीं कर सके।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं....

**श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)** : ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर····

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मन्त्री महोदय जोश में एक बात कह गये हैं, लेकिन जरा वे गम्भीरता से इस पर विचार करलें। इस बात को पहले अपने डिपार्टमेंट से छान-बीन कर देख लें कि राजस्थान के दूसरे जिलों में जो पर-माइल रोड पर खर्च किया है वह कितना एरिया है और क्या उतना ही आपने राजस्थान के बजट में से इन बोर्डर के डिस्ट्रिक्ट में खर्च किया है·······

**श्री गोविन्दसिंह** : ग्रोन ए पाइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यदि आपने उतना खर्च किया है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। यदि नहीं किया है तो आपने अपनी जिम्मेदारी को निग्लेक्ट किया है। आप यह बतायें कि दूसरे एरियाज के मुकाबले में इन एरियाज पर उतना पर-माइल पर खर्च किया है या नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! अब इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहेंगे, अब इस प्रसंग को खत्म किया जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जी हां।

**श्री अध्यक्ष** : और सदन की कार्यवाही आगे बढ़े।

**श्री श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय, एक रोडवेज का प्रश्न रह गया है........

**श्री अध्यक्ष** : यह सब रोड का ही था।

# Page No. 36



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जी हां, आपका आदेश शिरोधार्य है।

(कृपया शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट २ देखिये)

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

## राजस्थान में बिजली के संकट का बड़े उद्योगों पर प्रभाव

३१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में बिजली संकट के कारण कितने बड़े उद्योगों ने राज्य से बाहर अपने उद्योग स्थानान्तरित का निर्णय ले लिया है ?

(२) क्या यह सही है कि ओरियेन्टल केबल्स, कोटा व मल्टी मेटल्स कोटा ने राजस्थान से बाहर अपने उद्योग ले जाने के निर्णय को राज्य सरकार को सूचित कर दिया है ?

(३) क्या डी. सी. एम. के विनायल केमिकल्स उद्योग ने भी इस तरह की कोई मंशा राज्य सरकार के समक्ष जाहिर की है ? यदि हां, तो क्या ?

(४) राज्य सरकार ने इन उद्योगों को राजस्थान से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े इसलिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(१) राज्य सरकार को आज तक ऐसा कोई निर्णय बड़े उद्योगपतियों से प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी कोई सूचना इन दोनों उद्योगों से इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(२) जी नहीं।

(३) पिछले वर्ष वर्षा न होने के कारण विद्युत् की कमी हो गई है। जिससे उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा; उसको दूर करने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं—

(१) कोटा में एक गैस टर्बाइन (10 MW) का लगाने की व्यवस्था की है जो कि जल्दी ही कार्य शुरू कर देगी।

(२) १३२ KV की लाइन रतनगढ़ से जयपुर १२० मील लम्बी खींची गई है।

(३) जेनरेट करने के लिये, जेनरेटर्स के लिये ऋण की गारन्टी देने की व्यवस्था की है।

(४) विद्युत् उपभोक्ताओं के उपभोग में कटौती कर दी है।

## सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा की जीप

३७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : (बनेड़ा) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक भीलवाड़ा ने कोई जीप गाड़ी खरीदी है ? यदि हां, तो उसका क्या नम्बर है ?

(२) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा ने भी रमेशचन्द्र जी व्यास को जीप खरीदने के लिए कोई

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )
रकम उधार दी है ? यदि हां, तो कितनी रकम दी और कौनसी तारीख को ? यह रकम किन किन नियमों के तहत दी गई है ?

**उत्तर**

(१) जी हां, जीप का नम्बर आर. जे. ई. ७१४ है।

(२) जी नहीं।

**पटवारियों द्वारा तैयार वोटर लिस्टों की उजरत का भुगतान**

४१. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा जिले के रेवेन्यू पटवारियों द्वारा वोटर लिस्टें तैयार किये जाने की उजरत सरकार में बकाया है और इसके बिल पटवारियों ने तहसील के जरिये पेश भी कर दिये हैं ? यदि हां, तो उनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है और अब कब तक हो जावेगा ?

**उत्तर**

जी हां।

बिल में त्रुटियों के कारण भुगतान नहीं हो सका। भुगतान इस महीने के अन्त तक हो जायगा।

**किशनगढ़-डिग्गी व किशनगढ़-केकड़ी रूट्स पर चलने वाली बसों का मार्ग**

४४. श्री चौथमल वर्मा (भिनाय-सु०): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) किशनगढ़-डिग्गी व किशनगढ़-केकड़ी बस रूटों पर चलने वाली बसों को कितने माइल नेशनल हाई वे पर चलने का परमिट दिया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त बसें किशनगढ़ से १२ मील तक नेशनल हाई वे पर चलती हैं ?

(३) अगर हां, तो क्या इस प्रकार स्टेट रोडवेज को हानि नहीं पहुंच रही है ?

**उत्तर**

(१) किशनगढ़-डिग्गी व किशनगढ़-केकड़ी मार्ग की गाड़ियां करीब ११-१२ मील किशनगढ़ से बान्दर सीन्दरी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर होकर चलती हैं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

**प्रतापगढ़-चित्तौड़गढ़ रूट पर चलने वाली बसें**

४८. श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ तक मध्यप्रदेश रोडवेज की बसें चलती हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त रूट पर राजस्थान स्टेट रोडवेज की कोई गाडियां नहीं चलती ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) उक्त प्रतापगढ़-चित्तौड़गढ़ रूट पर प्राइवेट गाड़ियां कितनी चलती हैं ?

**उत्तर**

(१) जी हां, मध्य प्रदेश रोडवेज की २ बसें चलती हैं, जो प्रति दिन रिटर्न ट्रिप करती हैं।

(श्री यातायात मंत्री)

(२) जी हां, राजस्थान रोडवेज की कोई गाड़ी नहीं चलती है क्योंकि यह रूट नेशनलाइजेशन की स्कीम में नहीं है ।

(३) उक्त रूट पर ४ प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं ।

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**सहकारी कंज्यूमर स्टोर्स**

८. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु०) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सच है कि कोटा व बारां के सहकारी कन्ज्यूमर स्टोर्स कई वर्षों से डिफंक्ट पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

**उत्तर**

यह सच नहीं है कि कोटा एवं बारां में स्थित समस्त सहकारी उपभोक्ता भण्डार बन्द हैं । कोटा नगर में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की संख्या २० है एवम् बारां कस्बे में २ सहकारी उपभोक्ता भण्डार हैं ।

उक्त संख्या में से डिफंक्ट सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की सूची उनके डिफंक्ट होने के कारण साथ में संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**क्रय-विक्रय संघ निम्बाहेड़ा द्वारा गेहूं का वितरण**

९. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्रय विक्रय संघ, निम्बाहेड़ा को सन् १९६४-६५ में दिसम्बर माह तक कुल गेहूं बीज हेतु कितना दिया गया तथा उसका वितरण किस प्रकार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२). गेहूं किस भाव से संघ को दिया गया तथा संघ ने किस भाव से बेचा तथा २०–१–६५ तक पोते कितना था ?

(३) क्या यह सही है कि दिनांक २२–१–६५ को ३० बोरी गेहूं क्रय विक्रय संघ ने निम्बाहेड़ा में बेचा था ? यदि हां, तो वह कहां से खरीद किया गया था व किस भाव लिया और बेचा किस भाव से ?

**उत्तर**

(१) निम्बाहेड़ा में क्रय विक्रय संघ नाम की कोई सहकारी समिति नहीं है। क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, निम्बाहेड़ा ने दिसम्बर, १९६४ तक ११४ क्विन्टल ७५ किलोग्राम गेहूं का बीज पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के आदेशानुसार खरीद करके वितरण किया । यह गेहूं स्थानीय गांवों से खरीद किया गया था जिसमें से ७१-७५ किलोग्राम निम्नलिखित सहकारी समिति व व्यक्तियों को वितरण किया गया:--

| किसको वितरण किया गया । नाम वितरण | कब किया गया व कितना किया गया तादादी क्वि० किलो | दिनांक |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| बड़ावली ग्राम सेवा सहकारी समिति | ४०० | ३०-१०-६४ |
| बनेरा ,, ,, | २५ २५ | ,, |

(श्री सहकारी मंत्री)

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| सरसी ग्राम सेवा सहकारी समिति | ११ ११ | ३०-१०-६४ |
| श्री कचरूमल निम्बाहेडा | ०० ५० | ,, |
| गुड़ाखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति.... | १९ ७४ | ,, |
| लसड़ापन ,, ,, | ५ ७० | ,, |
| केली ,, ,, | २ २३ | १५-१२-६४ |
| श्री धमराज निम्बाहेड़ा | ० ४० | १५-११-६४ |
| श्री मोहम्मदखां, ऊंचागांव | ० ६४ | १७-११-६४ |
| श्री फजलखां ऊंचागांव | १ ८४ | १५-११-६४ |
| योग | ७१ .७५ | |

(२) इस समिति ने गेहूं ४८) रु०, ५५) रु०, ६१) ३० पैसे, ६२) रु० एवं ६४) रु० प्रति क्विंटल के भाव से खरीद किया था तथा ६१.५० पैसे एवं ६४.४८ पैसे प्रति क्विंटल भाव पर वितरण किया था। २०-१-६५ को ४२.८० किलो गेहूं का बीज पोते में था।

(३) जी नहीं। २२-१-६५ को समिति ने ४.७५ किलोग्राम गेहूं बेचा था। वह गेहूं पोते में था, मई खरीद का नहीं था। इसको ६५.२८ न० पै० की दर से बेचा था। इसमें सेल टेक्स भी शामिल है।

**मांगरोल-गनेशन सडक**

१०. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यही सही है कि बारां से खातोली सड़क मांगरोल से गनेशन तक कच्ची है ?

(२) क्या यह सही है कि इस कच्ची सड़क को पक्की बनाने के लिये टेन्डर स्वीकृत किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कितनी मील पक्की बनाने के लिये और टेन्डर किसके नाम स्वीकृत हुआ है और कब ?

(३) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**उत्तर**

(१) जी हां।

(२) केवल मील १२।० से १४।७ मील तक के टेन्डर श्री सुखलाल ठेकेदार के नाम स्वीकृत किये गये हैं तथा दिनांक १०-१२-६४ को वर्क ऑर्डर दिया है।

(३) आशा है, मील १२।० से १४।७ तक का कार्य वर्ष ६६-६७ तक पूर्ण हो जायेगा।

**कोटा जिले के छात्रवासों पर व्यय**

११. श्री दयाचन्द सोम (बारां-सु.): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए कितने छात्रावास कहां २ संचालित है ? प्रत्येक छात्रावास में किस किस जाति के कितने कितने छात्र हैं व उनमें प्रति छात्र औसतन कितना व्यय किया जाता है ?

# Page No. 40



(श्री दयानन्द सोन)

(२) वर्ष में कितनी बार संबंधित अधिकारी छात्रावासों की व्यवस्था की जांच करते हैं ?

(३) प्रत्येक छात्रावास के लिये प्रति वर्ष कितनी कितनी धन-राशि खर्च की जाती है ?

उत्तर

(१) कोटा जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए ७ राजकीय छात्रावास २ सहायित छात्रावास एवं एक सहायित आश्रम स्कूल चलाये जा रहे हैं। इन छात्रावासों की विस्तृत सूचना की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राजकीय छात्रावास में प्रति छात्र प्रति माह अनुमानित ५०) रु० खर्च होता है।

(२) अधिकारियों द्वारा छात्रावासों की व्यवस्था की जांच के लिए निर्धारित लक्ष्यों की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है। अधिकारियों द्वारा सन् ६५–६६ में जो निरीक्षण किया गया है उसकी सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) छात्रावासों का वार्षिक बजट बाजार भावों के अनुसार घटता-बढ़ता है। गत वर्ष प्रत्येक छात्रावास पर जो रकम व्यय की गई उसकी सूची (स) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।

**इटावा–खातोली सड़क**

१२. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा जिले में इटावा से खातोली तक सड़क को पक्की बनने की स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कब तक इसका कार्य शुरु हो जायगा ?

**उत्तर**

जी हां। दो मील में कार्य पूरा कर दिया है, २ मील के टेण्डर आमन्त्रित किये गये हैं।

(१२. २९ म. प. )

**बांसवाड़ा क्षेत्र की अकाल स्थिति विषयक स्थगन-प्रस्ताव**

एक स्थगन-प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री हीराभाई ने भेजा है और विट्ठल भाई ने भी भेजा है—दोनों का सम्मिलित प्रस्ताव है जिसका बांसवाड़े के सम्पूर्ण क्षेत्र की अकाल स्थिति से सम्बन्ध है। माननीय सदस्यों को जैसा मालूम है, कल भी इस प्रकार के प्रस्ताव आये थे, जिस पर जुदे तरीके से एक बहस करने का एक विचार व्यक्त किया गया और उसके लिए कोई उचित मौका निर्धारित करने का संकेत मिला था। इसलिए माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रस्ताव पर जोर न दें और जब उस पर बहस हो तब इस सम्बन्ध में विचार रख दें और जो कहना चाहें वह कह दें।

इस बात के साथ मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं।

**श्री हीरा भाई** (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह आदिवासी एरिया है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बारे में वह जानकारी कर लें और जानकारी करके जवाब दें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय भूमि कर अधिनियम....

**ताशकंद समझौते के फलस्वरूप सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही विषय के शासकीय वक्तव्य**

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोर्डर पर ताशकन्द एग्रीमेंट के मुताबिक कार्यवाही हुई है उसके बारे में एडजोर्नमेंट मोशन आया था उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी पेश करना चाहता हूं। ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों ने सशस्त्र सेनाओं की वापसी की योजना बनाई थी, वह राजस्थान से लगे क्षेत्रों में पूरी तरह कार्यान्वित हो गयी है। सीमा सुरक्षा के लिए आर० ए० सी० की पुरानी पोस्टें कायम हो गयी हैं और अन्य स्टाफ कार्यभार संभाल रहा है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के इस स्टेटमेंट से यह पता नहीं चला कि कितनी चौकियां चली गई थीं, उन पर वापिस आर. ए. सी. ने अपना चार्ज ले लिया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आर. ए. सी. ने पुरानी चौकियों पर जाकर चार्ज ले लिया है....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : कितनी चौकियों पर आर. ए. सी. वापिस गई है, यह बताया जाय; जिससे मालूम पड़े कि कितना एरिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, जिस समय सीज फायर हुआ उस समय मुख्य मंत्रीजी ने एक वक्तव्य दिया था। उस समय चूंकि सिक्योरिटी रीजन्स थे, चूंकि दोनों देशों में झगड़ा चल रहा था और पाकिस्तान जबरदस्ती सीज फायर लाइन को वायोलेट करके हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, हमने उस समय इस प्रश्न को सदन में ज्यादा चैलेन्ज करना और इस पर ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और अब जब ताशकन्द घोषणा के मुताबिक उनकी फोर्सेज वापिस चली गई और हमने अपनी चौकियां वापिस ओक्युपाई कर ली हैं, तो ऐसी सूरत में इस सदन को यह बात बताई जानी चाहिये कि राजस्थान की कितनी स्क्वायर माइल भूमि उनके कब्जे में है या कितनी चौकियां पाकिस्तान ने कब्जे में कर ली थीं और अब कितने एरिया से पाकिस्तानी हटे हैं और हमने अपना कब्जा कर लिया है। मुझे इस तरह की जानकारी...........

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जो अमेंडमेंट रखा गया उस संबंध में मेरा जवाब है कि २५ फरवरी तक पाकिस्तान को ताशकन्द समझौते के अनुसार वापिस जाना था और वहां से वे वापिस जा चुके हैं। दूसरे और भी मौके आ रहे हैं उन मौकों पर यह विवाद किया जा सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह तो इसका अङ्ग है। आप जो बता रहे हैं, यह बात तो अखबारों में भी आ चुकी है और हमने पढ़ ली है। प्रश्न यह है कि कौन कौन सी जगह से वापिस गये हैं?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, इस संबन्ध में मुख्य मंत्री का यह कहना है कि उनके पास जानकारी नहीं है। भारत सरकार ने जो संयुक्त राष्ट्र

(श्री अध्यक्ष)

के पास इस सम्बन्ध में नक्शा भेजा था उसमें इतना था कि इतना एरिया पाकिस्तान के पास है। इसके बाद में यह कहा है कि कोई दूसरे उपयुक्त अवसर होंगे, ये कहेंगे। उनसे क्या क्या विशेष जानकारी चाहते हैं, मुख्य मंत्री बतायेंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : मुख्य मंत्री स्पेसिफिकली बतावें कि कितना एरिया उनके पास था क्योंकि कोई कहते हैं कि २ हजार वर्ग मील था, तो कोई कुछ कहते हैं। हम उस समय चीफ मिनिस्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि पांच चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। कोई कहते हैं कि २० चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। इसलिये इनकी जानकारी के लिये यह एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा गया था। स्पेसिफिकली मुख्य मंत्री यह बतावें कि कितना एरिया हमने उनसे वापिस ले लिया जो पाकिस्तान के कब्जे में था। इस बात को वे टोटली कन्सील कर रहे हैं। आप कहते हैं कि फौजें मूव कर गईं, इसकी सूचना तो पेपर्स में भी आ गई थी। मुख्य मंत्री ने क्या सूचना दी? उनको स्पेसिफिकली बताना चाहिये कि कितनी चौकियां थीं, जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो सके।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : आपने जैसा अभी कहा कि सशस्त्र पुलिस थी वह सीमा से हट गये, राजस्थान की सीमा जो थी वहां आज पाकिस्तान का कोई भी सशस्त्र व्यक्ति हमारी सीमा पर नहीं है। एक तो यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये....

**एक माननीय सदस्य** : आपने हटने का कहा है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य पूछते रहे।

**श्री मुरलीधर व्यास** : दूसरा प्रश्न है चौकियों के बारे में। प्रश्न यह था कि राजस्थान की कितनी चौकियों पर और कितनी भूमि पर उनका कब्जा था। सदन के सामने २३ सितम्बर को आपके सामने सीज़ फायर हो चुकी थी, उस समय २३ तारीख को स्टेटमेंट दिया। उन्होंने २३ तारीख से पहले ही कब्जा किया था। २५ तारीख को आपने सदन में गुमराह किया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आप इस बात को जानते हैं कि जिन चौकियों या इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया उसके बारे में यू. एन. ओ. को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया पूरी तरह से केस दे चुकी है और यहां पर माननीय सदस्य राजनैतिक कारणों में ऐसी बातों को कहें, जिन चीजों का असर और तरह से पड़ सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि भारत सरकार की तरफ से समय समय पर इस संबंध में उत्तर दिया जाता रहा है कि सीज़ फायर के पहले कौन कौन सी चौकियां थीं और बाद में कौन सी आईं। मैं इस वाद-विवाद में जाना नहीं चाहूंगा सिवाय इसके कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के डिफेन्स मिनिस्ट्री ने जो स्टेन्ड लिया है यही हमारा स्टेन्ड है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें राजस्थान की सीमा के इलाके भी . . .

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कभी तो सुनने दीजिये।

Page No. 43



**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (ग्रासपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने ग्रभी कहा कि शायद विरोधी पक्ष के लोग राजनैतिक कारणों से यह प्रश्न ला रहे हैं · · ·

(राज्य पक्ष की ग्रोर से "सही है, सही है" की ग्रावाज़)

**श्री रामानंद ग्रग्रवाल** (ग्रलवर) : हम सब यहां पर बैठे हैं, सीमा की रक्षा के लिये हैं · · ·

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं केवल मात्र यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के नागरिक के नाते हमारा यह ग्रधिकार है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही ग्रौर उसके साथ साथ ग्रापकी खामियां ग्रनुभव करते हैं। किन्तु क्या मुख्य मंत्रीजी यह ग्राश्वासन इस सदन को देने के लिये तैयार हैं कि एमर्जेन्सी खत्म हो जाने के पश्चात् वे वस्तु स्थिति पर प्रकाश डालेंगे ग्रौर कहेंगे कि कितनी चौकियां गई थीं; विश्वस्त सूत्रों से हमें ज्ञात हुग्रा है कि दो, तीन या २॥ हजार वर्ग मील हमारा क्षेत्रफल पाकिस्तान दबा कर एक समय बैठा था। वहां पर ऐसे व्यक्तियों ने जाकर मौके की परिस्थिति देखी है कि जिनके कथन के सम्बन्ध में मैं एक क्षण के लिये भी शक-शुबहा नहीं कर सकता। ऐसी महत्वपूर्ण समस्या है तो मैं सिर्फ ग्रापसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रभी ग्रापकी कमियां हैं, उनको मैं ग्रनुभव करता हूँ; एमर्जेन्सी है, यह भी तथाकथित एमर्जेन्सी है। एमर्जेन्सी की ग्रोट में ग्राप कई शिकारें खेल चुके हैं ग्रौर खेल रहे हैं। ग्राप शिकार खेलिए; क्या मुख्य मंत्री यह ग्राश्वासन देंगे कि एमर्जेन्सी के पश्चात् वस्तुस्थिति क्या थी, इस पर प्रकाश डालेंगे ?

**श्री रामानंद ग्रग्रवाल** : ग्रध्यक्षजी, इस बारे में कई गलतफहमियां हैं। मुझे जानकारी मिली है कि सीज़ फायर होने के बाद पाकिस्तान इस बात पर तुला हुग्रा था कि राजस्थान के उन एरियाज़ पर वह कब्जा कर ले ग्रौर उस क्रूशियल नाइट को हमारी ग्रॉथोरटीज़ के पास वह ग्रार्डर गया, हमारी डिस्ट्रिक्ट ग्रॉथोरिटीज़ ने वक्त पर वह ग्रॉर्डर नहीं पहुंचाया, उन ग्रॉर्डर्स को एग्ज़ीक्यूट नहीं किया जिस कारण पाकिस्तान के मुजाहिदों ग्रौर फौजियों ने हमारे राजस्थान के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन ग्रॉथोरिटीज़ की जिन्होंने कि वक्त पर कार्यवाही नहीं की उनकी इसमें कहां तक सराकत है, इस बात का तभी पता चल सकता है जब कि मुख्य मंत्री इस सारी बात की जांच करेंगे ग्रौर तथ्यों को सामने रखेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस प्रकार की शरारत की है ग्रौर पाकिस्तान ने राजस्थान की भूमि पर कब्जा किया, हम यह भी जानते हैं कि हमारी फोर्सेज़ ने डंडे से जवाब देकर उनको हमारी सीमा से बाहर भी पटका है, उसके लिये हमने हमारी फोर्सेज़ की, ग्रार. ए. सी. की तारीफ की है जिन बहादुरों ने कि उनको बहादुरी से पीछे हटाया।

पर हम उन सिविल ग्रॉथोरिटीज़ को जिन्होंने कि वक्त पर ग्रार्डर नहीं दिया उनको हम बहस से नहीं टाल सकते, नहीं तो हम हमारी जिम्मेदारी से साबिकदोस नहीं होंगे। यह वास्तविक तथ्य है या नहीं, इस सम्बन्ध में इस हाउस को कॉन्फिडेन्स में लेना चाहिये ग्रौर सारे तथ्यों को हाउस के सामने रखना चाहिये ताकि जिन लोगों ने ग्रोस नेग्लिजेंस की है, उनको सजा दी जा सके ग्रौर ग्रायन्दा कभी इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने पाये।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : इतने वाद विवाद के बाद में भी यह नहीं

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

बताया गया कि आखिर कारण क्या हैं यह नहीं बताने में। ये जितने सवाल हैं राजनैतिक हैं या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई इस प्रकार के आदेश हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : आप स्पष्ट बता दें कि आप क्या फैक्ट्स चाहते हैं। संक्षेप में तथ्य बताने की कोशिश करें कि जिनके बारे में मुख्य मंत्री से जानकारी चाहते हैं ताकि मुख्य मंत्री जी आज या बाद में जानकारी करके बता दें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)** : जो एड्जर्नमेंट मोशन था, जिसका जवाब मैंने दिया, उस पर बहस चल रही है। मैं समझता हूं जो एड्जर्नमेंट मोशन भेजा गया, उसके जरिये जो जानकारी चाही गई, उस जानकारी तक मैंने यहां जवाब दिया है और दूसरे प्रश्न इससे संबन्धित उठाये जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य भी चाहेंगे कि उन प्रश्नों के बारे में अगर किसी को कुछ कहना है तो अपनी बातें विस्तार से रख सकते हैं और मैं उस सम्बन्ध में जिस सीमा तक मुझे जवाब देना चाहिये उस सीमा तक जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आज पीस मील तरीके से डिस्कस करेंगे तो उचित नहीं होगा। आज जो एड्जर्नमेंट मोशन था उसमें पूछा गया था:–

"ताशकन्द फैसले के फलस्वरूप भारत और पाक की फौजों की जो वापसी तारीख २५ फरवरी, ६६ तक एक दूसरे के क्षेत्र से भारत पाक की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक होना तय हुई है, उसमें राजस्थान की सीमा से पाक फौजों की वापसी की स्थिति अब तक संतोषप्रद नहीं है"।

इसलिये मैंने कहा कि क्या स्थिति है। माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जो जानकारी की गई वह अखबारों में आ गई है। तो इसमें मेरा दोष नहीं है। एड्जर्नमेंट मोशन में जो जानकारी चाही गई वह जानकारी मैंने दी।

दूसरे पैरा में कहा गया कि राजस्थान की सीमा कहां तक सुरक्षित है और अब तक किन-किन क्षेत्रों से पाक फौजें पीछे हट चुकी हैं, इसकी समस्त जानकारी विधान सभा को दी जानी आवश्यक है इसलिये इस विषय पर चर्चा करने के लिये यह प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आर.ए.सी. व फौजें गईं, यह मैंने बताया। दूसरे माननीय सदस्यों ने जानकारी इतनी चाही कि आज के दिन आर. ए. सी. व हमारी फोर्सेज कहां कहां हैं। नं. १, जब से बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स सारे हिन्दुस्तान का अलग हो गया है, आज वह होम मिनिस्टरी, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के अन्डर में फंक्शन करता है। दूसरी स्थिति यह है कि आर. ए. सी. आर्मी के अन्डर में फंक्शन करती है, आर्मी का आज भी ओवरऑल कन्ट्रोल है। तो डिप्लोयमेंट क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह सदन हमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कहां किसको पोस्ट रखनी चाहिये। सारा कमाण्ड हिन्दुस्तान की दृष्टि से अलग से तय किया गया है।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई)** : कन्ट्रोवर्शियल है। आपने कहा जो पैरा में है, उसका जवाब दिया। क्या आपको पता नहीं था कि सीज़ फायर के बाद में कितने हमले राजस्थान पर किये गये; मालूम था तो अवगत क्यों नहीं कराया, और अगर मालूम नहीं था आपको तो ओब्जेवशन्स कैसे भेजे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : राजस्थान गवर्नमेन्ट ओब्जेवशन्स नहीं भेजती, यू. एन.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ओ. को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया द्वारा भेजे जाते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : विपक्षी दल के नेता की ओर से और सम्पूर्ण विपक्षी दल की तरफ से जानकारी चाही गई तो कहा कि टैक्निकल ग्राउन्ड पर हम लाचार हैं। अगर वह जानकारी एड्जर्नमेन्ट मोशन में नहीं चाही गई थी तो लाचारी का मजबूरी का सवाल खड़ा नहीं होता। फिर प्रश्न यह है कि सेंटर की ही जिम्मेदारी है, मिनिस्टरी ऑफ डिफेंस को जानकारी है, आर. ए. सी. मिलिटरी के कन्ट्रोल में है. तो यह स्थिति सही नहीं है; डिफेन्स की जिम्मेदारी उनकी है, पर आप फेडरल कॉन्स्टीट्यूशन में बच कर नहीं चल सकते, सिविल एड्मिनिस्ट्रेशन आपका है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वहां का एड्मिनिस्ट्रेशन है पर किस चौकी पर कितना डिप्लोयमेंट है, यह सब आर्मी के अन्दर में है, हमारी आर. ए. सी. आर्मी के अन्दर में फंक्शन करती है, इसमें किसी पर जिम्मेदारी शिफ्ट करने का सवाल नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह राज्य सरकार को जानकारी है कि ताशकन्द समझौते के इम्प्लीमेन्टेशन के पहले राजस्थान का कितना एरिया सिविल एड्मिनिस्ट्रेशन से डिसलोकेट हुआ, कितना एरिया राजस्थान का पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कितने एरिया पर डिसलोकेट हुआ; पटवारी, तहसीलदार, एस. डी. एम. वगैरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर में जितना एरिया था उसमें से राजस्थान का कितना एरिया डिसलोकेट हुआ, पाकिस्तान का कितना एरिया था जिसको हमने अपने ऑक्युपेशन में लिया व कितना एरिया पाकिस्तान को लौटाया; यह आप सिविल एड्मिनिस्ट्रेशन के तौर पर बता दीजिये। राजस्थान का एरिया कितना था वह सारा एरिया तो आप सदन को बता सकते हैं।

**श्री मानिकचन्द सराणा** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे चूंकि यह स्थगन-प्रस्ताव भेजने का अवसर मिला था, मैं समझ नहीं पाया कि मुख्य मंत्री यह प्ली ले रहे हैं कि जो फैक्ट्स इसमें चाहे गये उनकी जानकारी उन्होंने दी, जिनकी जानकारी इसमें नहीं चाही गई उन फैक्ट्स की जानकारी अब चाही जा रही है। पहले पैराग्राफ में साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने बाड़मेर, जैसलमेर के किन किन क्षेत्रों को ऑक्युपाई कर लिया है, इसकी समस्त जानकारी दी जाय। रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि २३ चौकियों को ऑक्युपाई कर लिया था, समस्त क्षेत्र को हमने ऑक्युपाई किया है, उन सारे फैक्ट्स को मुख्य मंत्री क्यों नहीं देना चाहते ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मुझे ट्विस्ट न करें। मैंने कहा है कि जो राजस्थान की टैरीटरी पाकिस्तान के कब्जे में थी वे खाली करके जा चुके हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप सुनकर टाल दें, यह नहीं चल सकता। ८ सितम्बर को जैसे जयपुर की मानकचौक चौपड़ पर खड़े होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने केन्द्र से कहा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कि राजस्थान को भी इस लड़ाई में जाने का मौका दो।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया:** माननीय सदस्य जानते हैं कि कितनी टेरीटरी उनके पास थी और उनके पास क्या था। इस बारे में यू० एन० ओ० के सामने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं, जो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को........

**श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवा महल, जयपुर): सिर्फ एक बात कहनी है।

**श्री मानिकचंद सुराणा:** I am in possession of the floor.

**श्री अध्यक्ष:** (श्री दुर्गालाल बाढदार से) आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री दुर्गालाल बाढदार:** जो बातें यहां कही गई हैं उनका उत्तर दिलवा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष:** यही तो मैं कहता हूं। मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा कि वे यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किस किस एरिया में चली गई है, उसके लिये जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं, मुख्य मंत्रीजी अवश्य देंगे; आज नहीं तो और समय पर देंगे।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल:** कह दें। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी तो होनी चाहिए सरकार तो कहती है कि जानकारी नहीं है कि राजस्थान सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन कहां कहां चला गया।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया:** मैंने कहा कि दूसरा स्टाफ अपना कार्य-भार संभाल रहा है। अब डिटेल्स के लिए आज की तारीख में आप कहें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्नर में अमुक व्यक्ति पहुंचा या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी करने का सवाल है। पुराना स्टाफ चार्ज ले रहा है, कई जगह ले चुका है; लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी जगह का कहूं कि पटवारी नहीं पहुंचा और आप कहें कि क्यों नहीं पहुंचा तो मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:** ये नहीं पूछेंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया:** मैंने कहा कि उसकी डिटेल्स का पता लगाकर सदन को बता दूंगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर): आप साइड ट्रेक कर रहे हैं। आप एक एक तहसीलदार से पूछते तो इन्फोर्मेशन दे सकते थे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): जब इन्टरनेशनल बोर्डर वायोलेट होता है, जब फाईटिंग स्टार्ट होती है तो बोर्डर बिल्कुल टेम्पोररी हो जाता है, इधर से उधर और उधर से इधर; तो कोई हमें क्लीयर पिक्चर नहीं मालूम पड़ सकती जब तक कि लड़ाई होती है कि कहां पर इन्टरनेशनल बोर्डर किस हद तक वायोलेट हुआ; लेकिन हमारे पास एक तस्वीर बिल्कुल साफ है इस मुद्दे के बुनियाद पर कि ताशकंद समझौता हुआ उसके दूसरे दिन जब सीज़फायर हुआ उस दिन पाकिस्तान कितना हिस्सा दबाकर बैठा था और हमने पाकिस्तान की कितनी सीमा दबाकर हमारे कब्जे में की, इस संबंध में यू० एन० ओ० के पास अपने नक्शे भेजे तो उन नक्शों को किसी कारणवश सीक्रेट रखा जायगा? नहीं तो उन नक्शों को आप छिपाकर क्यों रखते हैं?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वह तो अखबारों में आ चुका है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैंने नहीं देखा है। अगर अखबारों में आ गया है तो कृपया बताएं किस एडिशन में है ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: अखबारों में नक्शे हैं कि हिन्दुस्तान में भारत—पाक लड़ाई में जहां लाहौर स्यालकोट क्षेत्र पर अधिकार हुआ वहां राजस्थान में कलंक का टीका राजस्थान सरकार ने लगवाया।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं सिर्फ यह जानकारी चाहता हूँ, मैं न नक्शे चाहता हूँ, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी ग्रॉफ दी स्टेट, राज्य की सुरक्षा का प्रश्न हो सकता है; मैं सिर्फ चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी यह बताएं कि कौन कौन से क्षेत्रों में अपना जो हिस्सा खोया हुआ था बाड़मेर और जैसलमेर में और अपन ने पुनः कब्जा कर लिया है; चाहे आर. ए. सी., चाहे भारत सरकार की बोर्डर पुलिस या बोर्डर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नीचे हो लेकिन किन किन क्षेत्रों पर अपन ने पुनः अधिकार कर लिया है इसकी विस्तृत जानकारी हम चाहते है ? सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जितने क्षेत्र खोये हुए थे उन पर कब्जा कर लिया है। जब से भारत-पाक संघर्ष चला, यह विधान सभा उसके बाद पहली बार मिल रही है। इस विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक अक्टूबर को यह बयान दिया था कि राजस्थान की एक इंच भूमि भी पाकिस्तान के नीचे नहीं है····

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कांग्रेस वालों ने तालियां बजाईं।

**श्री माणिकचन्द सुराणा** : उस समय हमने भी खुशी के मारे तालियां बजाईं, लेकिन उसके बाद जो दौरा करके नक्शा बाड़मेर और जैसलमेर का देखा और हम मजबूर हो गए कि हम हिन्दुस्तान के रक्षा मंत्री को सही स्थिति का दिग्दर्शन कराएं और हमने चौकियों की लिस्ट रक्षा मंत्री को दी और जो संसद् में हमारे नेता बैठते हैं उनको भी दी। लोकसभा में राजस्थान के बोर्डर पर बहस हो चुकी, लोकसभा में चौकियों की लिस्ट रखी जा चुकी। राजस्थान की विधान सभा, जिसको सबसे ज्यादा जानने का अधिकार है कि राजस्थान की सीमा पर क्या हो रहा है, उसके आगे मुख्य मंत्रीजी चौकियों की लिस्ट न रखना चाहें तो मैं समझता हूं यह अच्छी परम्परा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि वे सारी लिस्ट व सारा ब्योरा विस्तार से रख दें; आप चाहे तारीखें नहीं लिखें कि कौन कौन सी तारीख को सारी चौकियां खोईं लेकिन कब कब अपने कब्जे में आई हैं, यह तो बताएं; बाकी मुख्य मंत्रीजी एक वाक्य में हमारी बात को डिस्पोज ऑफ करना चाहें तो यह ठीक नहीं है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं इतना निवेदन करदूं कि इस बारे में जो कुछ आज संभव था वह दे चुका हूं और विस्तृत जानकारी इसकी प्राप्त करके और दो-तीन दिनों के अन्दर पूरी जानकारी सदन के समक्ष दे दूंगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पहले ही कह देते तो बात इतनी बढ़ती नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(१२.५७ म० प०)

**सदन की मेज पर रखे गये पत्र**

**(क) राजस्थान नगरीय भूमि-कर नियम, १९६५**

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान नगरीय भूमि कर अधिनियम, १९६४, की धारा ३१(२) के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय भूमि कर नियम, १९६५ की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

**राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना**

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० २२(२३) रेवे।कोल।६५/ दिनांक ६ जनवरी, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान नहर परियोजना विकास क्षेत्रों में सरकारी भूमि के अनधिकृत आधिपत्य की बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिए सचिव, भाखड़ा मंडी विकास समिति को तहसीलदार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

(१२.५८ म प.)

**राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय सदस्यों द्वारा व्यवधान उपस्थित करने सम्बन्धी प्रस्ताव**

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामप्रसाद लड्ढा द्वारा २८ फरवरी; १९६६ को प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार। जिन माननीय सदस्यों के नाम इस प्रस्ताव में उल्लिखित हैं कृपया वे प्राथमिकता से बोलें तो उचित होगा।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपका भाषण जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि सदन में निर्णय कर चुके हैं कि जो भाषण पूर्व दिन समाप्त हो जाय वह समाप्त माना जायगा। अगर माननीय सदस्य आज बोलना चाहते तो कल समय न लेकर किसी और दिन समय लेते।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मुझे और ज्यादा बात नहीं करनी है . . .

**श्री अध्यक्ष** : कुछ भी बात आप न करें। आपके ज्यादा कहने में मुझे आपत्ति नहीं है आपत्ति केवल इसलिए है कि आपका भाषण समाप्त माना गया।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मेरा निवेदन यह है कि मुझे अपने भाषण को समय पर समापन करना था।

**श्री अध्यक्ष** : आपके भाषण का समय समाप्त माना गया।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मैं एक प्रश्न सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा मसला सदन के समक्ष हो, जहां मेरी पार्टी के १२ आदमियों पर इतनी बड़ी बात आ रही हो और आप मुझे अपनी पार्टी का दृष्टिकोण रखने से वंचित रखेंगे....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया सहयोग करें। आप समय ज्यादा चाहते हैं तो ज्यादा दिया जा सकता है, लेकिन नियमों के अन्तर्गत दिया जा सकता है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु..

श्री अध्यक्ष : "परंतु" मत लगाइये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कम से कम इस इश्यू पर अपनी पार्टी का दृष्टिकोण रखने का अवसर जरूर प्रदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष : कौन बोलना चाहेंगे ?

(१.०० म. प.)

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई : अध्यक्ष महोदय, २६ तारीख को जो वातावरण बना और उसके सम्बन्ध में जो प्रस्ताव कल हमारे सामने सदन में पेश हुआ, उस प्रस्ताव को देखते हुए हम लोगों को दुख होता है कि जो गुनाह करता है उसको सजा न मिले और जो गुनाह न करे उसको सजा मिले; खैर, उसके लिए जो भी सजा होगी हम भुगतने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कोई रंज-गम नहीं है। लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण के समय हम लोगों का क्या विचार था और हम लोग क्या कहना चाहते थे वह थोड़ा सा मैं सदन के सामने पेश करूंगा। हमें मजबूरी से जो वातावरण हुआ वह करना पड़ा। हमने जान-बूझ कर नहीं किया। हमें सरकार से असंतोष था। बार बार सरकार के सामने जो जो हमारे इलाके की दिक्कतें थीं, जनता में थीं उनके लिए मैंने अपने जिले की तरफ से एवं क्षेत्र की तरफ से राज्यपाल महोदय को इस जिले की जो कुछ अकाल स्थिति है उसके बारे में आज से पांच महीने पहले रजिस्ट्री के जरिये अपील भेजी; दूसरी हमने मुख्य मन्त्री महोदय को भी भेजी, तीसरी हमने उप-राष्ट्रपति महोदय को भी भेजी कि हमारे बांसवाड़ा जिले में इस साल बरसात कम होने के कारण हमारा जिला बिल्कुल पथरीला होने के कारण, जमीन पहाड़ी होने के कारण, पानी बिल्कुल कम पड़ने से मक्का, जवार आदि चौमासे की जितनी फसलें थीं सूख चुकी हैं। उसमें यह लिखा था कि सरकार अभी से इस जिले के लिए व्यवस्था करे। उसके बाद फसल बिल्कुल सूख गई थी। उसके बाद हमने राज्यपाल महोदय को लिखा, चार-पांच बार चिट्ठियां लिखीं और टेलीग्राम भी एक हफ्ता पहले राज्यपाल महोदय को किये कि जो भी हमारी मांगे हैं राज्यपाल महोदय के भाषण में जोड़ी जायं; संक्षेप में वे बातें रखूंगा।

एक तो उस जिले में न कोई बांध है, न कोई एनीकट है, न कोई तलाब है; इसलिए जो पैसा इस साल रिलीफ में खर्च किया जावेगा वह बांध, छोटे छोटे तलाब और मेड़ बन्दी में, कन्टूर बन्दी में खर्च किया जाय। वह सुझाव यह था कि यह सड़कों पर जो धूल डाली जाती है, पानी के बहाव से चार-पांच महीने बाद चली जावेगी बह कर और जनता का पैसा फिजूल चला जावेगा। उत्पादन बढ़ाना है तो ऐसा काम करना चाहिये कि जिससे पैसा भी खर्च हो तो उसका सही उपयोग हो जिससे जनता भी जिन्दी रहे और अकाल का समय निकले। हमारा यह सुझाव था वह नहीं माना गया। न ही इसका कोई जवाब मिला और न आज तक राज्यपाल महोदय का जवाब मिला। इसलिये यहां की स्थिति के लिये हमारे कुशलगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य श्री हीराभाई और मैं दोनों साथ थे, सारे बांसवाड़ा जिले में मीटिंगें कीं और सारे जिले में दौरा किया। उस दौरे के दर्मियान हमने यह देखा कि कुछ-एक जगह सरकार ने सड़कों पर रिलीफ वर्क खोल रखे

( श्री विट्ठल भाई )

हैं। हमारा सुभाव था वह नही माना और बिल्कुल मामूली से रिलीफ वर्क्स खोल रखे थे। जितने मजदूर वहां पर लगाने चाहिये आज तक सरकार ने उतने मजदूर नहीं लगाये। दो-सौ, चार सौ और अधिक से अधिक पांच सौ लगा रखे हैं। उनकी हमने शिकायतें सुनीं। मजदूरी पर अधिक इस लिये नही लगा रखे हैं कि हमारे पास सरकार के आदेश हैं कि इससे अधिक मत लगाओ। औजार भी नहीं हैं कि अधिक लगावें। जहां पर काम चल रहा था वहां पर औजार हमने आंखों से देखे जो उनको पी. डब्ल्यू. डी. वालों ने दे रखे थे। फूटे तगारे और छोटी २ गेंती। फावड़े पुराने दिये और ७५ परसेन्ट लोगों के पास घर के औजार मंगाये गये। फावड़े, टोपले, मिट्टी खोदने के कुस्से थे उनसे मिट्टी खोदते चाहे एक दिन लगे या दो दिन लगें। सरकार के उस कुस्से का नमूना लाया हूं जो मैं सदन के अन्दर रखूंगा। सरकार की गेंतियां, तीन दिन तक उनसे खोदे तो नही खुदे। उन लोगों से वह गेंती लाया और पलटे में दूसरी देकर आया हूं कि यह विधान सभा में रखूं कि यह सरकार का नमूना है और इन गेंतियों से माननीय मंत्री महोदय भी खोद कर देखेंगे।

**श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :** गेंती मंत्रीजी के गले में घाल दी जाय।

**श्री विट्ठल भाई :** गले में तो नहीं घालना चाहता, लेकिन विधान सभा में रखूंगा, और भूंठ बोलता हूं तो मंत्री महोदय मेरे साथ चलें और बांसवाड़ा इलाके में मैं उनको बताऊं कि ऐसी गेंतियों से खोद रहे हैं या नहीं।

**श्री दलपतसिंह (आबू) :** घंटी टांचने की मालूम होती है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :** आन ए पोइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि यह जो औजार लाये हैं इससे पूर्व इन्होंने कोई सूचना या तो विधान सभा को पहले नहीं दी है....

**कुछ माननीय सदस्य :** इजाजत ले ली है। आप बैठ जाओ।

**श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :** यह डर आपको क्यों हुआ है, स्पीकर साहब को होना चाहिये।

**श्री विट्ठल भाई :** जो भी है, अध्यक्ष महोदय फैसला करेंगे।

**श्री जयनारायण सालोदिया :** पहले ही उन्होंने पीछे की सीट ले ली हैं।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष :** मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई डर नहीं है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :** पनीर-पनीर ये सब खा गये और खतरे को घंटी हमारे गले में बांधते हैं।

**श्री विट्ठल भाई :** माननीय सदस्य हमें बोलने दें। हम उस आदिवासी इलाके से चुनकर आये हैं, वहां की हालत को हमें रखने दें। हम बताना चाहते हैं कि वहां के आदिवासियों की क्या स्थिति है।

एक इत्तिला यह भी देना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास मिट्टी डालने के लिये तगारी नहीं थी, टोपले नहीं थे, वहां उन औरतों ने अपने ओढ़ने में गार डाली है। मैं

Page No. 51



( श्री विट्ठल भाई )
मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वे मेरे साथ चलें, मैं उनको बताऊंगा कि वहां क्या हालत है। तब आपको पता चल जायगा कि कि मैं जो बातें कह रहा हूं वह बात कितनी सही है।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री): मैं चलने के लिये तैयार हूं।

श्री विट्ठल: बड़ी खुशी की बात है। आप चलें तो हम आपको बतायेंगे कि वहां अकाल की स्थिति क्या है।

अब मैं अनाज के विषय में थोड़ा सा कहूंगा। वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूकानें खुली नहीं हैं। रिलीफ के काम खुले हैं, कोई दूकान नहीं है। किन्हीं जगहों पर है तो व्यापारी द्वारा या सहकारी समिति द्वारा कमीशन के द्वारा खोली गई हैं। लेकिन दूकानों के बारे में जिलाधीश महोदय से हमारी बातचीत हुई तो जिलाधीश महोदय ने कहा कि गवर्नमेंन्ट का इस प्रकार दूकानें खोलने का आदेश नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: माननीय सदस्य, विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री अब्दुलजब्बार खां: अध्यक्ष महोदय, अनाज के बारे में सहकारी समितियों को जो प्रोत्साहन देने की बात है वह ठीक है लेकिन जहां भी सहकारी समितियों द्वारा इस प्रकार का व्यापार हो रहा है वहां लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों को अनाज नहीं मिलता। आप जनता पर रहम करिये!

श्री विट्ठल भाई: एक तरफ इस इलाके में अनाज की दूकानें नहीं, मजदूरी उनको पूरी नहीं, काम करने लायक लोगों को काम नहीं। आदिवासी क्षेत्र जहां पांच तहसीलें हैं बाकाय, बागीडोरा, कोटला तहसील, बांसवाड़ा तहसील; इन पांचों तहसीलों में जिस प्रकार से ये आदिवासी अपना पेट पालते हैं उसका नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में आदिवासी लोग जो एक प्रकार का अनाज खाते हैं जो मिट्टी के साथ मिला हुआ होता है, उसका नमूना मैं लाया हूं। माननीय मंत्री मेरे साथ चलें वहां के लोगों की जो दर्दनाक हालत है उसको देखें। आप एक तरफ यह कहते हैं कि हम आदिवासी और हरिजनों के उत्थान के लिये उनको ऊंचा उठाने के लिये काम करते है, वहां जाकर आप देखें वहां के आदिवासियों की क्या हालत है। वहां के लोगों की हालत को बताते हुए हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को पत्र लिखे थे कि इनके लिये राज्य सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, अतः आप इनके लिये व्यवस्था करिये, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया गया। राज्यपाल को यह नमूना बताने के लिये मैं उस समय खड़ा हुआ था उस पर उनके द्वारा मुझे बाहर निकालने का आदेश दिया गया। आप आवाज नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, हम आदिवासी क्षेत्र से चुन कर आये हैं हम आदिवासियों की हालत को सदन में और बाहर रखेंगे। जब तक हम जिन्दा हैं उनके लिये जियेंगे और उन्हीं के लिये काम करेंगे; आप चाहे हमें एक महीने के लिये निकाल दें, सारे सत्र के लिये निकाल दें; इससे हमारे को कोई नुकसान होने वाला नहीं। हम आदिवासियों की जितनी दिक्कतें हैं उनको रखेंगे और उन्हीं के वोटों से तुम्हारी छाती पर फिर जीत कर आयेंगे।

( श्री विट्ठल भाई )

वहां की जनता से वोट लेकर श्री हरिदेव जोशी भी आये. लेकिन उन्होंने एक दिन भी उनके बारे में इस सदन में कुछ नहीं कहा। अब भी वे उसी इलाके को तोड़ कर अपना क्षेत्र बना रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है वहां के आदिवासियों की क्या हालत है ? अपना नया चुनाव क्षेत्र बनाने के लिये पांच आदमी इधर से इकट्ठे कर रहे हैं, पांच आदमी उधर से, लेकिन मैं यह कहता हूं कि चाहे आप कितनी ही तोड़-फोड़ करें हम समाजवाद में विश्वास करने वाले ही उधर से चुन कर आयेंगे और आपकी छाती पर बैठेंगे। हम सिद्धांत के लिये फांसी के तख्ते पर भी लटकने के लिये तैयार हैं। हम कभी भी इस प्रकार की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे साथी भी इस पर बोलने वाले हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** ( कोलायत ) : माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्य सचेतक की हैसियत से श्री रामप्रसादजी लड्ढा को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है·······

**एक माननीय सदस्य** : वे हाजिर नहीं हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : वे हाजिर न हों, लेकिन उनकी पार्टी के सदस्य तो बैठे हैं। उनके द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का विरोध हम इसलिये नहीं कर रहे हैं कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस सत्र की समाप्ति तक हम लोगों को निलम्बित किया जा रहा है। इस विधान सभा में हमें चार साल से बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे पहले हमें यहां बैठने का सौभाग्य नहीं मिला था। आज इस समय इस विधान सभा में १७६ माननीय सदस्य बैठते हैं, आयन्दा उनमें से कितने यहां आकर बैठेंगे यह कोई नहीं कह सकता।

प्रश्न जो इस समय हमारे सामने है वह यह है कि इस प्रस्ताव के पीछे जो सिद्धान्त निहित है उसको देखने का है। हम इसमें निहित सिद्धान्त का विरोध करते हैं। इस प्रस्ताव में अगर कोई सिद्धान्त है तो वह दो लाइन में कहा जा सकता है, वह सिद्धान्त है :

"King can do no wrong"

अर्थात् राजा कोई गलती नहीं कर सकता। राजा तो चले गये, लेकिन इस देश में राजा के प्रतीक राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं, वे कोई गलती नहीं कर सकते; उनमें सारी प्रभुसत्ता निहित है, किंग के सामने कुछ नहीं कह सकते, सर्वोच्च सत्ता के सामने कुछ नहीं कह सकते; कोई फरियाद नहीं कर सकते। इस प्रस्ताव के पीछे यही सिद्धान्त है। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा, इस सिद्धान्त का हमारी विरोधी पार्टियां सब विरोध करती हैं और करती रहेंगी। वे इस सिद्धान्त का विरोध कर रही हैं, वे इस बात का विरोध नहीं कर रही हैं कि हमें इस सदन से निष्कासित किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष, आखिर राज्यपाल जो हैं उन्होंने जिस प्रकार का बर्ताव हम लोगों

( श्री मानिकचन्द सुराणा )

के साथ किया है उसके बारे में हमने एक प्रस्ताव भेजा है जो आपके सामने अभी तक विचाराधीन है। हमारा प्रस्ताव तो यह है कि राज्यपाल महोदय ने हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमारे जो विशेषाधिकार हैं उनका हनन किया है। आखिर वे विशेषाधिकार कौन से हैं, हम कोई ईश्वर के पुतले हैं या ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमारे कोई विशेषाधिकार हैं? हमारे जो विशेषाधिकार हैं वे हमें जनता ने दिये हैं कि हम इस विधान सभा में बैठें और राज्यपाल महोदय की वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे सभी सदस्यों को बुलायें और उनके सामने अभिभाषण करें। अभिभाषण यह कॉन्स्टीट्यूशन नहीं कहता, संविधान कहता है वे भाषण करेंगे; जिसको स्पेशल एड्रेस अंग्रेजी में कहा गया है। भाषण के दौरान उसको विधान सभा के समक्ष बताना पड़ेगा कि विधान सभा की बैठक क्यों बुलाई जा रही है, उसके बुलाने के क्या कारण हैं। यह उनके लिए बताना लाजिमी है।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण करने के लिये राज्यपाल महोदय यहां पधारे। उनको सुनने के लिये हम यहां हाजिर हों, यह हमारा विशेषाधिकार है। राज्यपाल महोदय यहां पधारे उस समय आप विधान सभा के अध्यक्ष के नाते उनको रिसीव करने के लिये, परम्परा के अनुसार स्वागत करने के लिये दरवाजे तक गये उस समय आपकी क्या हैसियत है? अध्यक्ष महोदय, आपकी हैसियत यह कि आपको उन लोगों ने, चुने जाने वाले व्यक्तियों ने, जिनको कि डेढ़-डेढ़ लाख व्यक्तियों ने यहां चुनकर भेजा है, उन्होंने आपको चुना है और हमारे राज्यपाल महोदय की हैसियत क्या, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज राज्यपाल महोदय जनता के सीधे बेटे नहीं हैं। आज राज्यपाल महोदय जनता की चौथी पीढ़ी हैं। जनता के प्रथम बेटे विधान सभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य हैं। जनता के बेटों के बाद में पोते यह विधान परिषद् और राज्य सभा के सदस्य बैठते हैं, ये हैं और जनता के तीसरे बेटे राष्ट्रपति हैं और जनता के चौथे बेटे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त यह राज्यपाल महोदय हैं। ये जो जनता की चौथी पीढ़ी पर बैठे हैं, पहली कतार में विधान सभा और लोक सभा के सदस्य, दूसरी कतार में राज्य सभा और विधान परिषदों के सदस्य और तीसरी कतार में राष्ट्रपति और चौथी कतार में उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल महोदय हैं; वे किसको चुनौती देते हैं? इस विधान सभा के सदस्यों को, उस जनता के सीधे बेटों को जो कि चुनकर आये हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं इस उपमा को कोई मजाक के लिए नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इस उपमा को कितने अपरोक्ष रूप से जनता की प्रॉयोरिटी को होल्ड करते हैं इस बात का प्रदर्शन करने के लिए मैं उपमा दे रहा हूं।

तो अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में वे हमको यह कहें कि आप निकल जाइये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हिन्दुस्तान में पहली बार डॉक्टर सम्पूर्णानन्द यह काम नहीं करते तो राजस्थान विधान सभा में वह नक्शा नहीं हो सकता था जो कि २६ फरवरी, १९६६ के दिन इस विधान सभा में हुआ। यह सारी जिम्मेदारी उनकी है और हमने उनका विरोध किया, अध्यक्ष

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

महोदय। हमने चुनोती दी उनके अधिकारों को, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर के जरिये कहा कि आपको यह अधिकार नहीं हैं और इसके बावजूद जब उन्होंने फौरन कहा कि नहीं मुझे सब अधिकार है तो हमने उसको रेजिस्ट किया और हमने उनके इस अधिकार का विरोध किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता ने और कांग्रेस पार्टी के माननीय हरिप्रसादजी ने कहा कि राज्यपाल महोदय इस सारे सदन के फाउन्टेन हैड हैं और स्टेट के हैड हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फाउन्टेन हैड राज्यपाल नहीं हैं। फाउन्टेन हैड यह विधान सभा हो सकती है, लोकसभा हो सकती है और इस लोक सभा और विधान सभा को भी एक हस्तान्तरित अधिकार हैं, एक डेलीगेटेड ऑथोरिटी है और सोवरेन्टी विधान सभा और लोकसभा में नहीं बल्कि सोवरेन्टी हिन्दुस्तान की जनता के अन्दर है, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस हद तक हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वह एक सोवरेन्टी डेलीगेटेड सोवरेन्टी है। हम इस मदहोश में आ जायें कि वह सोवरेन्टी इन १७६ सदस्यों में लाई करती है; तो मैं निवेदन करूंगा कि यह हमें भ्रम है और हमको तो अध्यक्ष महोदय, एक डेलीगेटेड ऑथोरिटी है ५ साल के लिए; लेकिन जो चौथी पीढ़ी में आयें और जो इस संविधान के नीचे काम करते हैं और एक अभिभाषण पढ़ने के लिये यहां आयें, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि उनके अधिकार तो और भी सीमित हैं। उनके अधिकार तो यह हैं कि वे विधान सभा को बुलायें, प्रोरोग कर दें और कह दें कि अब सत्र खत्म हो गया और इसके अलावा कोई अधिकार उनको इस विधान सभा में काम करने का नहीं है। वे इस विधान सभा के पार्ट नहीं हैं, इसके अंग नहीं हैं।

वे लेजिस्लेचर के अंग हैं, लेकिन वर्डिङ्ग संविधान में यूज किये गये हैं "Governor is a part of legislature" लेजिस्लेचर के अंग हैं। जो भी हम पास करते हैं उस पर ये हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन इस लेजिस्लेटिव असेम्बली के हमारे गवर्नर पार्ट नहीं है। उसके पार्ट हैं स्पीकर; उसके अध्यक्ष की हैसियत से स्पीकर हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के जो लोग हमको इस विधान सभा से इसलिए निकालना चाहते हैं कि राज्यपाल के सामने हमने यह कह दिया कि राज्यपालजी हमारी बात को सुनें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आज हम इस जनतन्त्र में रह रहे हैं। आप याद कीजिए आज से हजार, सवा हजार साल पूर्व सम्राट अशोक का युग, जिस समय न रेलें थीं, न तार आदि की सुविधायें थीं। अशोक के शिलालेख आज भी लग रहे हैं; हिन्दुस्तान के सबसे बड़े सरकारी म्यूजियम में हैं और उन शिलालेखों में क्या लिखा है? उनमें लिखा है कि दिन हो या रात हो, मैं किसी भी स्थिति में हूं जनता अपने दर्द की बात मुझे बता सकती है, फरियाद कर सकती है। दिन हो या रात हो, मैं किसी भी स्थिति में हूं और किसी भी स्थिति में हूं का अन्दाज अध्यक्ष महोदय लगा सकते हैं। आप कौन सी स्थिति किसी भी स्थिति का मतलब यह है कि चाहे खाना खा रहा हूं, चाहे आराम कर रहा हूं, चाहे बीमार हूं, चाहे पत्नी से प्रेम कर रहा हूं, सारी स्थितियों में जनता को अधिकार था कि वह अपनी बात को कह सकती थी। यह तो बात थी सम्राट अशोक के जमाने की बात, जब की जनतंत्र नहीं था और अध्यक्ष महोदय, मुगल सम्राट जहांगीर

( श्री मानिकचन्द सुराणा )

के जमाने में उन्होंने अपने महल पर एक घंटा लगा रखा था कि कोई भी उस घंटे को जरूरत के वक्त बजा सकता था और अपनी फरियाद को कह सकता था। यह मुगल सम्राट का युग था और उसके बाद में यदि हम सामन्ती परम्पराओं के निकट आ जायें तो अध्यक्ष महोदय, जैसी मुझे जानकारी है कि भरतपुर के जो महाराजा थे और सन् १९४१ के अन्दर जब कि वहां पर के० पी० एस० मेनन वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वहां पर जनता ने अनाज की तकलीफ को लेकर एक प्रदर्शन किया। उस समय के० पी० एस० मेनन जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भरतपुर से २५ मील दूर डीग में जहां कि भरतपुर के राजा थे उनको टेलीफोन किया कि जनता आपके राजमहलों के आगे प्रदर्शन करने के लिए आई है और अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जब कि जनतन्त्र नहीं था और एक सामन्ती युग था वे २५ मील दूर से आये और उन्होंने जनता की बात को सुना।

यह तो किस्सा हुआ पुराने युग का, जिस समय कि हम राजा को कहते थे कि वे निरंकुश थे और राज्य जनतन्त्र नहीं था और उनका मुकाबिला आज के राजा जिनको हम कहते हैं फाउन्टेन हैड सारी शक्तियों का फाउन्टेन हैड है, साल में एक बार वे इस विधान सभा म आयें और वह जो प्रतीक है वह एक बार आये और एक बार आये तो उनके सामने ए० डी० सी० अकड़ अकड़ कर चले, वह लम्बे जूते के पीछे लोहे की या स्टील की नोकदार चीज पहन कर आये और हमें लगे कि कोई तमाशा है और हमारी विधान सभा के सचिव अकड़ अकड़ कर चलें और उनके पीछे राज्यपाल चलें और हम खड़े हो जायें, बिलकुल गुमसुम और राज्यपाल महोदय वहां पर जायें; इस विधान सभा में घुसते ही किसी का अभिवादन नहीं करें, किसी से कुछ नहीं कहें, किसी को देखें नहीं, सीधे चलें और अपनी कुर्सी पर जायें और बैठ जायें। अभिवादन करें नहीं, जिस समय जनता के प्रतिनिधियों को एड्रेस करें उस समय कोई नमस्कार नहीं और अपनी कुर्सी पर जाकर वे अभिवादन करें और साल में एक ही बार आयें, बड़े दरबार में अपनी बात कहें लेकिन उनको सुनने का मौका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि है, जिनको फाउन्टेन हैड कहा जाता है यदि सम्राटों के युग में कुछ कहा जा सकता था और उन्होंने अपनी तरफ से दरवाजे खुले रखे थे, मध्य युग में कहा जा सकता था, अभी सामन्ती युग में कहा जा सकता था तो इस जनतंत्र में कोई बात अपने प्रतिनिधि को सुनाने का प्रावधान नहीं है। तो इस संविधान को हम परिवर्तित कर देंगे और हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनको कुछ निवेदन नहीं किया जा सकता, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता इस सदन में; हम इसको अस्वीकार करते हैं और इसका तिरस्कार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि पूरा साल भर हो गया, किसी ने उनको कुछ कहा? बड़े सम्मान के साथ उनको रिसीव किया गया हर बार। हमेशा की तरह वे इस बार भी आये, हम खड़े हुए। क्या हम उनका अपमान करना चाहते थे? क्या हमारे मन में यह था कि वे इस कुर्सी पर क्यों बैठें, हम ही क्यों न बैठ जावें? क्या हमारे दिमाग

( श्री मानिकचन्द सुराणा )

खराब हैं ? क्या हमने इस सदन को मैड हाउस समझ लिया था कि जिसमें हम उनके प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे थे ? ऐसा कुछ नहीं था। हमने जो कुछ भी किया जनता के और हमारे असन्तोष को व्यक्त करने का मौका ढूंढा। अपनी बात भाई रामकिशन जी ने बड़े संयत्, शब्दों में रक्खी। कानून का राज्य है। कानून के राज्य के वे प्रतिनिधि और उसके ऊपर हैड, सिर हैं। एग्ज़ीक्यूटिव गवर्नमेन्ट के हैड यह गवर्नर हैं। उस हैड को हम यह कहना चाहते थे कि दो साल हो गये आपको ऑर्डिनेन्सेज़ निकालते हुए। पर जिस तरह से आप ऑर्डिनेन्सेज़ निकालते हैं उससे हमें ऐतराज है। देश पर संकट है, युद्ध है; उस हालत में ऑर्डिनेन्स निकालते हैं तो हमें कतई ऐतराज नहीं है। पर हर बात में हर मामूली सी बात में भी ऑर्डिनेन्स ! सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती। और सरकार न सुने, तो न सुने पर राज्यपाल भी जो संविधान के प्रावधानों का रक्षक कहलाता है, न सुने जिसके लिये राष्ट्रपति ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है; आखिर किसलिये भेजा है उनको ? उनके जैसे बुद्धिमान् आदमियों को, विश्वनाथदास जैसे विद्वानों को, एन. वी. गाडगिल सरीखों को इन पदों के लिये चुना जाता है; तो इसलिये कि वे संविधान की रक्षा कर सकें। और संविधान की रक्षा का प्रश्न उनके सामने नहीं हो और जो कुछ जा-बेजा अध्यादेश राज्य सरकार उनसे जारी करवाना चाहे तो केवल उस पर दस्तखत करना ही गवर्नर का काम हो, तो क्या जरूरत है डॉक्टर सम्पूर्णानन्द की ? श्री हरिराम घारू को ही राजस्थान का राज्यपाल क्यों न बना दिया जावे, दस्तखत तो वह भी कर देगा जैसा कि सरकार चाहेगी। क्योंकि फिर अपने डिस्क्रिशन का तो मैटर नहीं रह जावेगा। जो कुछ सरकार जा-बेजा हस्ताक्षर कराना चाहे, कर दिया और छुट्टी। यही अगर राज्यपाल का काम रह गया है तो फिर तो इस सरकार के किसी फोर्थ क्लास एम्पलोयी को राज्यपाल क्यों नही बना दिया जाता, क्यों इतने विद्वानों की दरकार महसूस की जाती है और इनके खर्चे बर्दाश्त किये जाते हैं ? किसी हरिजन को बना दो और उसकी इज्जत को बढ़ाओ।

पर अध्यक्ष महोदय, सही बात तो यह है कि संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिये, उनको बचाने के लिये ऐसे विद्वान् आदमियों को राज्यपाल बनाया जाता है उन संवैधानिक परिस्थितियों का राज्यपाल महोदय कोई संरक्षण न करें, तो हम क्या करें ? क्या हाई कोर्ट में जावें और कहें कि उनका यह ऑर्डिनेन्स गलत बन गया ? क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि अध्यादेश जो जारी करने का उनका अधिकार है उसके लिए यह कहें कि वे गलत इस्तेमाल करते हैं और क्या राजस्थान का हाई कोर्ट हमारी इस दलील को सुनेगा कि विधान सभा जब बुला ली गई तो अध्यादेश उनको नहीं निकालना चाहिये था ? कानून की संकीर्ण दृष्टि में उनका काम जायज करार दिया जा सकता है। कानून की संकीर्ण दृष्टि से हाई कोर्ट में हो सकती है, वहाँ राहत न मिल सके। उसको राहत इस विधान सभा में भी नहीं, तो हम उसको चुनौती भी नहीं दे सकते ? विरोध किससे करें, करें तो सुनें नहीं। तो क्या हम राज्यपालजी को यह नहीं कह सकते कि हम इसका विरोध करते हैं अध्यादेश का और हमारे इस विरोध की अभिव्यक्ति को कहा जाता है कि राज्यपालजी का हमने सम्मान नहीं किया; हमने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
उद्दण्डता की ओर जता नहीं क्या क्या शब्द लड्ढाजी ने इसमें रक्खे हैं, "यह अनैतिक है" यह भी लिख दिया और राष्ट्र के भी विरोधी हम हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ काम हमने कर लिया, दस-पन्द्रह-बीस मिनटों में ही। पर लड्ढा साहब को कोई पूछे कि हमारी विधान सभा के अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। आखिर हाउस था। कल भी निवेदन किया और आज फिर कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती कि विधान सभा की पहली बैठक जिसमें राज्यपाल ने अभिभाषण दिया वह विधान सभा की बैठक नहीं थी, तमाशा था। कोई ऑथोरिटी यह बात नहीं कह सकती।

ब्रिटिश कॉन्स्टीट्यूशन की दुहाई देते हैं; उसकी बातें बढ़ बढ़ कर करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टी-ट्यूशन की बात कही। सारा कॉन्स्टीट्यूशन ब्रिटेन का ९० प्रतिशत, ९५ प्रतिशत अलिखित है। फिर हिन्दुस्तान में कॉन्स्टीट्यूशन की बात करते हैं, वे इतना भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि लिखा है उनके संविधान में कि स्पीकर प्रिसाइड करेगा, उस सदन में जिसमें गवर्नर भाषण देगा। यदि एक लाइन साफ २ लिखी हुई नहीं है तो हमारे ये साथी, ब्रिटिश सदन के पिछलग्गू, यह नहीं जानते अध्यक्ष महोदय, कि राज्यपाल के अभिभाषण में आपने अध्यक्ष का पद ग्रहण करके रक्खा है। हमने दलीलें दी हैं, अध्यक्ष महोदय। हमारे संविधान में एक स्थिति है जिसमें अध्यक्ष महोदय को माना है। संविधान कहता है और यह कहता है कि जिसमें अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ आवे तो ही वे प्रिसाइड नहीं कर सकते। मुझे बतावे कोई कि इसके अलावा वे कब अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं कर सकते? आपने सलाह ली होगी। सरकार का लम्बा-चौड़ा कानूनी डिपार्टमेन्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कहीं निगेटिवली यह लिखा है कि अध्यक्ष महोदय संविधान के अनुसार प्रिसाइड नहीं करेंगे, जिसमें राज्यपाल पधारेंगे? सिर्फ एक स्थिति में प्रिसाइड नहीं करने का उल्लेख जरूर है; बाकी नहीं। कहीं पर भी नहीं। बाकी जितनी स्थितियां होंगी, विधान सभा की बैठकें होंगी, उन सब स्थितियों में वे उन बैठकों में प्रिसाइड करेंगे। अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे।

पर उस समय अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया। मौन बैठे रहे और राज्यपाल ने यहां पर अपना चक्र चलाया। इधर-उधर झांकते हैं, देखते हैं और मार्शल को कहते हैं, "निकालो इनको"। क्यों निकालो? किसको निकलो? किस लिये निकालो? तुम्हारा अधिकार क्या है? मेहमान हो, मेहमान की तरह से बैठने की तमीज नहीं है तो वह दिन दूर नहीं कि हममें ताकत नहीं होगी तो अध्यक्ष महोदय, लाखों आदमी इस शासन को हटा देंगे धक्का मार कर। हम इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। राज्यपाल का अध्यक्ष महोदय के अधिकारों पर अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और भविष्य में भी कभी करने की जुर्रत की तो भविष्य में भी नहीं होने देंगे। हम विधान सभा और उसके अध्यक्ष और सदस्यों के अधि-कारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय।

यदि सौ बार, अगर हम गलत रूप से काम करेंगे, कहेंगे और आपका आदेश होगा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तो निकल जावेंगे । उनके अधिकारों को बाद में चुनौती भी दे सकते हैं, पर उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे । पर आज कांग्रेसी राज्यपाल के मोह में यह कह कर कि राज्यपाल को भी अधिकार है कि वे बाहर निकाल दें सदन के किसी सदस्य को, वे अपने अधिकारों को तिलांजलि दे रहे हैं ।

मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपका राज्य है, कल हो सकता है न रहे; हालांकि आपतो यह मान कर चलते हैं कि सौ बरस आप कायम रहेंगे, अगर सौ बरस भी आप कायम भी रहें तो हमें ऐतराज नहीं । पर सम्भव है, कल परिस्थिति आ जावे और आप विरोधी दल में बैठें और १।। करोड़ जनता के दूसरे ही नुमाइन्दे यहां पर शासन में आवें और हम किसी को राज्यपाल बना दें और फिर धक्के देकर आपको बाहर निकालें तो महसूस कैसे होगा आपको ? हमारा संविधान कहता है कि हिन्दुस्तान का डेमोक्रेसी इसलिये कायम है कि यहां एग्जेक्यूटिव अलग है जुडीशियरी अलग है और इसके साथ ही लेजिस्लेचर अलग है । ये तीनों उसके मीन्स है । सन् ५५ में सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर फैसला दिया । उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः देश की और राज्यों की एग्जीक्यूटिव के हैड हैं । उनको कोई अधिकार एक दूसरे के बीच में यानि जुडीशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में इन्टरफीयर करने का नहीं है । और जो अधिकार कानून के द्वारा किसी अधिकारी या संविधान के द्वारा किसी लेजिस्लेचर या जुडीशियरी के हैड को दिये हुए है, राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय उन अधिकारों को स्वयं अपने हाथ में नहीं ले सकते । वे भंग नहीं कर सकते हैं; दूसरों को हस्तानान्तरित कर सकते हैं, यह उस धारा में लिखा है, जो राज्यपाल की नियुक्ति की धारा है कि राज्यपाल क्या है ? वे एग्जीक्यूटिव हैड हैं और उसके नीचे प्रोविजो में लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसी को हो जावे, तो उसको कोई भी अधिकार कानून के द्वारा जो दूसरे अधिकारीगण को हैं वे ट्रान्सफर नहीं हो सकते उनको । क्यों ?

कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि अध्यक्ष का ओहदा संविधान की पैदाइश नहीं है । पर मैं यह कहता हूं कि अध्यक्ष को जो अधिकार हैं वे भारत के संविधान में निहित हैं, उसमें उल्लेख है उनका । यदि वे कवर होते हैं भारत के संविधान से तो कोई ताकत उनको चैलेन्ज नहीं कर सकती । चाहे वह सम्पूर्णानन्द हो, चाहे कोई दूसरा 'नन्द' हो । वे उस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते, ले नहीं सकते उन अधिकारों को अपने हाथ में और हमने जो किया सिर्फ हमने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये ही नहीं किया, हमने उनके अधिकारों के लिये और हमारे से आगे आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा के लिये किया है ।

और अध्यक्ष महोदय, हमने जो कुछ भी किया, जानबूझ कर, सोच-समझ कर और उस सिद्धान्त को चुनौती देने के लिए किया है उस धारणा और विश्वास का विरोध करने के लिए किया है कि "King can do no wrong"; राज्यपाल कोई गलती नहीं कर सकते । हम इस सिद्धान्त और दकियानूसी धारणा को नहीं मान सकते ।

आज कितने मोनार्क दुनिया में हैं, वे सारे मोनार्क, डिक्टेटर, फासिस्ट तानाशाह, ये किंग

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सारे के सारे "King can do no wrong" के दकियानूसी सिद्धान्त के आधार पर खडे है।

अगर कांग्रेस वाले चाहते हैं, जिसको भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहा जाता है उस दकियानूसी सिद्धान्त को यहां लागू किया जावे तो यह डेमोक्रेसी उनको मुबारिक है। हमें नहीं चाहिए उनका यह सिद्धान्त। हमारा सिद्धान्त साफ है कि यदि इन दो सिद्धान्तों में टक्कर होगी कि "King can do no wrong" और "people can do no wrong" तो हम हमेशा इनमें इस अधिकार की रक्षा करेंगे कि जनता कुछ भी कर सकती है, जनता गलत नहीं हो सकती, राजा गलत हो सकता है, सत्ता में जो लोग रहते हैं वे गलत हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कल अमेरिका की बात कही गई........

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : "Member can do no wrong", यह भी तो कह दो।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : अभी मैं सदन से अपनी बात कह रहा हूं, आपसे बात फिर कभी कर लूंगा।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिद्धान्त को चुनौती दी गई कि "King can do no wrong", यह एक बहुत बड़ी बात की गई है और इसकी हम रक्षा करना चाहते हैं। हम यह नहीं कहना चाहते कि हमने विधान सभा के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, यह हम नहीं कहना चाहते। जब आप समझते हैं और आपकी मान्यता है कि "बोलो मत" तो हम कहते हैं कि हम बोलेंगे, हमको सुनाने का अधिकार है, नियमों में प्रावधान है, नेचुरल जस्टिस, फंडामेंटल राइट है जनता का! आपके संविधान में लिखा हुआ है या नहीं, लेकिन जिसके ऊपर आपका संविधान आधारित है कि सोवरेन्टी पीपुल में रिजाइड करती है, हम उस सिद्धान्त पर बोलेंगे, फरियाद करेंगे, फरियाद करने का हमको अधिकार है और उस अधिकार से हमको कोई महरूम नहीं कर सकता, हम इस बात को कहना चाहते हैं?

**श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : यह अधिकार कहां है कि दूसरों को सुनने नहीं देंगे?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मेरे साथी मेरी बात को सुन लें। जब हमने यह देखा कि संवैधानिक तौर पर जो अधिकार राज्यपाल को दिए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिकार उनको दिए गए हैं, उनका प्रयोग न करके राज्यपाल आज आपकी सरकार की रबड़ स्टाम्प बन रहे हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अधिकार उनको है, उनकी रक्षा न कर अध्यादेश निकाले जा रहे हैं। अध्यादेश निकालने की परिस्थितियां न होते हुए भी अध्यादेश जारी करते हैं, तो हम उसका विरोध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमको कहा जाता है कि यह बाद में कहना चाहिए था, यह तो राज्यपाल के भाषण पर होने वाली बहस में कह सकते थे; मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक तरफ आग लगी हुई है और उस आग में एक तरफ तो एक आदमी की मां जल रही है और दूसरी तरफ एक जवान आदमी जल रहा है, जो उसका मित्र है; क्या दोनों को बचाना उसका फर्ज नहीं है? नेचुरली यह कहेंगे कि दोनों को बचाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो

# Page No. 60



(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ओब्लीगेशन किसी पर मां के द्वारा डाले हुए हैं उसको जिस मां ने पाल-पोस कर बड़ा किया है, तो उस अधिकार के आधार पर वह कहेगी कि पहले तो अपनी मां को ही बचाना चाहिए, भले ही वह आगे जाकर साल भर ही जिन्दा रहे और दूसरी तरफ जो जवान आदमी है, जिसके चार बच्चे हैं, पूरा परिवार है, जो देश के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, उसको बचाने का सवाल है तो यहां पर भी प्रायोरिटी का सवाल पैदा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल की डिग्निटी, जिसको डिग्निटी कहते हैं हमारे कांग्रेस के साथी, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिये या उस जनता के अधिकारों की रक्षा करें जो कह रही है कि ऑर्डिनेंस निकालना गलत है, अध्यादेशों का राज्य गलत है, यह राज्य तानाशाही राज्य बन रहा है, इसको खत्म करो। हम किसको प्रिफरेंस दें, राज्यपाल की गरिमा को या उन लोगों के अधिकारों को, जिनकी बदौलत हम यहां विधान सभा में बैठे है; यह कन्फिलक्ट था उस दिन हमारे दिमाग में। राज्यपाल की गरिमा का स्थान महत्वपूर्ण है या जनता के अधिकारों का महत्व अधिक है, हम इसी सिद्धान्त को चुनौती देना चाहते हैं और इसीलिए हमारे दिमाग में कन्फिलक्ट था कि पीपुल का राइट ऊपर है, पीपुल के अधिकार प्रथम हैं या गवर्नर की डिग्निटी प्रथम है और इसी कॉन्फिलक्ट में हमने निर्णय लिया कि हमारे लिए पीपुल के अधिकारों की रक्षा प्रथम है और राज्यपाल की डिग्निटी और राज्यपाल की गरिमा बाद में है। राज्यपाल की गरिमा हमारे लिए बाद की चीज है, सैकन्ड्री चीज है और सुपरफ्लुअस है। जिसको आप डिग्निट कहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा उस डिग्निटी को भी एग्जामिन कीजिए। जिस डेमोक्रेसी में आप रहे हैं वहां यह डिग्निटी भी कितने दिन चलेगी? यह राज्यपालशाही या ये राज्यपाल के पद के कितने दिन चलने वाले है? मैं यह बहस आज नहीं छेड़ना चाहता, आपको एक न एक दिन इस पर विचार करना ही पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह कन्फिलक्ट जो था कि उनको डिग्निटी की रक्षा की जाय या जनता के अधिकारों की रक्षा की जाए, यह कन्फिलक्ट हमारे दिमाग में था कि यह सरकार जो ठीक ढंग से चलती नहीं, जिसका एक भी वादा पूरा नहीं होता, जिसके राज्य में जनता अनाज के लिए कराह रही है; एक तरफ जनता अनाज के लिए कराह रही है और दूसरी तरफ राजस्थान की अनाज मण्डियों में और राजस्थान के गांवों में तीन लाख टन चना सड़ रहा है, घुल रहा है, क्योंकि उनको कह दिया गया है कि तुम चना बाहर नहीं भेज सकते। एक तरफ तो चना सड़ रहा है और दूसरी तरफ जनता को चाहिए- -गेहूं, ज्वार, बाजरा, वह जनता को उपलब्ध नहीं है। इस तरह की सरकार की व्यवस्था है और इसी से हमारे दिमाग में कन्फिलक्ट हुआ और जब जब यह कन्फिलक्ट होगा, हम जनता के अधिकारों की रक्षा हमेशा करना चाहेंगे, यह हम साफ तौर पर निवेदन कर देना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय। मैं बहुत नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, कि जो यह विधान सभा बनाई है, आप कानून बनाते हैं, अध्यादेश बनाते हैं मैं उसकी लीगल ऑथोरिटी को चैलेंज नहीं करता। कानून का विकास अध्यक्ष महोदय, दुनिया में जितना भी हुआ है, कानून के रक्षक या जो सत्ता में हैं उन्होंने हमेशा यह

# Page No. 61



(श्री मानिकचन्द सुराणा)

र्ला ली है कि लीगल ग्रॉथोरिटी हम हैं, हम जो हुक्म देते हैं उसको मानो। लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन्होंने हमेशा उन कानूनों के ग्रधिकारों को, उनकी लीगल वेलिडिटी को, उनकी नेचुरल जस्टिस को चेलेंज किया है। उन क्रांतिकारियों ने हमेशा लीगल वेलिडिटी को चेलेंज किया है, लीगल ग्रॉथोरिटी को नहीं। इस बात को हमारे ये कांग्रेसी साथी समझें या नहीं समझें कि लीगल ग्रॉथोरिटी ग्रलग चीज है ग्रौर लीगल वेलिडिटी ग्रलग चीज है। लीगल वेलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है, यदि वह नेचुरल जस्टिस पर ग्राधारित न हो। नेचुरल जस्टिस पर केन्द्रित न हो, तो उस कानून को चुनौती दी जा सकती है। संविधान की बहुत बातें की जाती हैं, मैं ग्रध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान हमारे लिए भी पवित्र है, लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय, एक पुस्तक है जिसका नाम है "Right f peo le"; इसको ग्रमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखा है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनाना चाहता। उन्होंने जो महात्मा गांधी का कोटेशन इस पुस्तक में लिखा है, एक चैप्टर में दिया है वह मैं ग्रापको सुनाना चाहता हूं। वह है—

"The right to defy an unconstitutional statute."

एक संवैधानिक ग्राधार पर बने कानून को चुनौती देने का ग्रधिकार है या नहीं, उस पर महात्मा गांधी ने जो कोटेशन दिया है उसको बहुत संक्षेप में मैं ग्रापके सामने रखना चाहता हूं। यह बहुत छोटा सा है पांच सात लाइन का। इसमें उन्होंने कहा है गांधीजी ने "Th law breaker breaks the law surreptitiously and tries to avoid the penalty;"

जो कानून को तोड़ता है वह चुपचाप तोड़ता है, लुक-छिप कर तोड़ता है, उसकी पेनल्टी से ग्रवोइड करता है, लेकिन सत्याग्रही ऐसा नहीं करता। ग्राप फर्क समझिये, हमने जो कानून ग्रौर नियम तोड़ा है वह किस तरीके से तोड़ा है; लुक-छिप कर नहीं, एक सत्याग्रही के नाते ग्रापकी उन दकियानूसी मर्यादाग्रों को तोड़ा है। इसके ग्रागे उन्होंने कहा :

"But not so the civil resister: He ever obeys the laws of the S ate to which he belongs, not out of fear of the sanctions, but because he considers them to be good f r the welfare of society:"

वह कानून को इसलिये नहीं मानता कि उसको उसका डर है, बल्कि वह इसलिए मानता है कि समाज की रचना के लिए कानून है ग्रौर इसीलिए वह कानून को ग्रच्छा मानता है, "But there comes occ s-ions generally rare, when he conside s ce tain laws to be so unjust as to render obedience to them a dishonour." लेकिन ऐसा मौका ग्राता है जब कि कानून का पालन करना एक व्यक्ति के लिए इतना सम्मानजनक हो जाता है, उसके लिए मजबूर हो जाता है कि वह उस कानून को तोड़े। "He then penly and civilly breaks the n an l quel ly ? suffers the penalty of their breach. And in order to register his protest against the action of the law-givers it is open to h m to withdraw his co-operation from the State by disobeying such other laws whose breach does not involve moral turpitude".

मैं निवेदन करना चाहता हूं ग्रध्यक्ष महोदय,

# Page No. 62



(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि महात्मा गांधी लिखते हैं कि जो कानून असम्मानजनक हों, अन्याय पर आधारित हों उन कानूनों को तोड़ना मनुष्य के लिए जरूरी हो सकता है और इस कार्य के लिए वह स्टेट से असहयोग कर सकता है। महात्मा गांधी लिखते हैं कि असहयोग किया जा सकता है। हमने राज्यपाल के भाषण के समय असहयोग किया तो हम यह कर सकते हैं। आप हमको कहें कि आपके राज्यपाल सौ अध्यादेश बना दें तो हम उनके सामने नत मस्तक हों; तो मैं कहना चाहता हूं कि हम नत-मस्तक नहीं हो सकते, हम उससे असहयोग करेंगे और उसके लिए हमको संपूर्ण अधिकार है। आपके लिए संविधान पवित्र है तो हमारे लिए महात्मा गांधी का यह पेराग्राफ संविधान से भी ज्यादा पवित्र है। इस विचार-धारा से प्रेरित होकर हमने जो कुछ किया है उसका जस्टिफिकेशन है। आपको इसका अंदाज नहीं हो रहा है। जिस सिद्धान्त की रक्षा आप करना चाहते हैं उसकी रक्षा जितने पिछड़े देश हैं उनमें कितनी हो सकी है। उनमें आज जनतंत्र सफल नहीं हो रहा है, आज उन सारे देशों में डिक्टेटरशिप कायम हो रही है। अफ्रिका की तरफ नजर उठाइये, बर्मा की तरफ नजर उठाइये, सीलोन को छोड़ दीजिये, जहां नाम की डेमोक्रेसी चल रही है। अफ्रिका और साउथ ईस्ट एशिया में डिक्टेटरशिप कायम हो रही है, एक पार्टी का राज्य खत्म हो रहा है। घाना के एनक्रूमा जिनका इतना शोर था जिन पर सैकड़ों किताबें अंग्रेजी में लिखी जा चुकी हैं उन एनक्रूमा साहब का क्या हुआ; उनको हटाकर जनता ने अपना शासन कायम किया। समाजवाद के नाम पर जो पाप और थैफ्ट उन्होंने किये थे एनक्रूमाजी के पाप और थैफ्ट की एवेज पर, राज पर नया शासन बना है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी भाइयों से, आज इस देश में आप समझते हैं ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको फौजी क्रांति के जरिये फौज हटा दे, लेकिन एनक्रूमा को हटाकर जो वक्तव्य वहां के फौजी शासन ने दिया है वही वक्तव्य आपके ऊपर भी देने का नम्बर आ सकता है। जो सिन्स और थैफ्ट आपने किये हैं उनके लिये इसके सिवा और कोई चीज हो नहीं सकती।

आप मुनाफाखोरी नहीं करने की बात करते हैं लेकिन आपसे ज्यादा कोई दूसरा मुनाफाखोर हो नहीं सकता। राज्य सरकार ने ५२ रु. प्रति क्विन्टल के भाव से चना खरीदा और उसी चने को ९५) और १०५) के भाव से बेच कर मुनाफा कमाया। राजस्थान सरकार ने ५२) रु० के भाव से चना खरीदा और १०५) के भाव से दूसरी सरकारों को बेचा। क्या इस मुनाफे की कोई सीमा है? आपके राज्य में कोइ सीमा नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सिद्धान्तों से प्रेरित होकर हमने यह किया है उसी सिद्धान्त के आधार पर आज सारी विधान सभाएं खड़ी हैं; वह सिद्धान्त है लिबर्टी, इक्वेलिटी और फेटरनिटी। सारे मनुष्य स्वतंत्र रहने चाहियें, सब मनुष्य एक दूसरे के समान हैं और सब मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं। और इन तीन सिद्धान्तों के कारण फ्रान्स में क्रांति हुई। जिन तीन सिद्धान्तों से फान्स की क्रांति अनुप्रेरित हुई वे कोई ढाई सौ, तीन सौ साल पुराने सिद्धान्त नहीं हैं लेकिन दो हजार वर्ष पहले ग्रीक के विद्वानों के दार्शनिक विचारों से पैदा हुए थे। मनुष्य विवेकशील होना चाहिये। उन्होंने सिद्धान्त बनाया कि मनुष्य विवेकशील है। सब मनुष्य बराबर होने चाहिये। यदि मनुष्य

( श्री मानिकचन्द सुराणा)

विवेकशील है तो सभी स्वतन्त्र होने चाहिए और सभी मनुष्यों में आपस में भाईचारा होना चाहिए। ये तीन

(१.५५ म. प.)

राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, (पदासीन) सिद्धान्त दो हजार वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिकों के विचारों से पैदा हुए। आज हिन्दुस्तान में जनतन्त्र का जो ढाचा खड़ा हुआ वह सारा ढांचा इन तीन सिद्धांत के आधार पर खड़ा है इसके अलावा डेमोक्रेसी में कुछ नहीं है। यदि डेमोक्रेसी में मनुष्य की गरिमा को स्वीकार नहीं किया है तो वह डेमोक्रेसी नहीं है। स्वतन्त्र पार्टी के नेता मसानी साहब डिग्निटी ऑफ मेन की रोज बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिग्निटी ऑफ मेन कहां चली गई थी, २६ फरवरी को, जिस दिन डेढ़ लाख जनता के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने धक्के देकर निकलवाया। उस समय यह डिग्निटी ऑफ मेन खत्म हो गई थी विधान सभा में। लेकिन वह डिग्निटी ऑफ मेन हमारे भाई कांग्रेसी कहते है डिग्निटी ऑफ गवर्नर रखो, अपनी डिग्निटि को भूल जाओ; भूल जाओ कि तुम क्या हो, यन्त्रवत् बैठे रहो, भाषण सुनने आये हो, तुम बोलो मत, चुप रहो, चुप नहीं रहोगे तो निकाल दिये जाओगे। मैं निवेदन करूंगा कि यदि राज्यपाल और सरकार की हिम्मत है तो बतावें कि वे अगली कौनसी तारीख को अध्यादेश पर हस्ताक्षर करेंगे। विधान सभा का अधिवेशन खत्म होने के बाद? मैं चुनौती देकर कहता हूं कि मेरा यह पूरा अधिकार होगा कि मैं राज्यपाल के हाथ से वह कलम छीन लूं जिससे वे हस्ताक्षर करना चाहते हैं। यह मेरा जनतांत्रिक अधिकार है। मुझे इसके लिए सजा मिले तो एक साल की नहीं ३० साल की सजा भुगतने को तैयार हूं। एक मर्डर और कत्ल के बराबर सजा दें, तो भी उसको भुगतने को तैयार हूं। इस देश के जनतन्त्र की रक्षा जिस तरीके से कांग्रेस हुकूमत चल रही है उससे नहीं हो रही है और उसके प्रतिकूल विरोध करना इस देश में लाजमी हो गया है। मुझे अफसोस है, भाई रामकिशनजी तथ्य सामने रखे, लेकिन केबिनेट के मन्त्रियों को उसकी जानकारी नहीं। उनको जानकारी हो नहीं सकती क्योंकि सब अपने अपने डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, अपनी अपनी गपड़चौथ में लगे हैं। दामोदरजी कुछ भी करें, उसका पता नाथूरामजी को नहीं लगता; नाथूरामजी कुछ भी करें ब्रजसुन्दरजी को उसका पता नहीं और ब्रजसुन्दरजी कुछ भी करें भाई राजा हरिश्चन्द्रजी को उसके बारे में मालूम नहीं मालूम करने का फोरम कौन है? इसका फोरम यदि कोई हो सकती है तो विधानसभा ही हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार हिम्मत करके बताये कि अगली बार कब अध्यादेश निकालेंगे और मैं पहला व्यक्ति होगा जो राज्यपाल के हाथ से कलम छीनूंगा। लेकिन चुपचाप बड़े बड़े भवनों में बैठ कर अपनी आत्मा को मार कर हस्ताक्षर करें और एक दिन हमारे बीच आवें और उस समय हम कोई विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि डिग्निटी खत्म हो गई। यदि यह डिग्निटी इस तरह से खत्म होती है तो मैं इस तरह कहूंगा कि डिग्निटी पानी के बबल्स की तरह है और पानी के यह बबल्स टिक नहीं सकते, खत्म हो कर रहेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं डिग्निटी की बात बेकार की बात है। "King can do no wrong" का जो पुराना सिद्धान्त है उस सिद्धान्त को खत्म करेंगे और 'People can do no wrong' इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करेंगे। आदमी विवेकशील है तो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसको लिबरटी, इक्वेल्टी और फ्रेटरनिटी का पूरा अधिकार है।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा में बैठ कर कानून हम बनाते हैं, लेकिन उस कानून के नीचे रूल्स बनाने का अधिकार सरकार अपने पास रखती है, बाइलॉज बनाने का अधिकार सरकार अपने पास रखती है। और फिर यह कहें कि यह कानून का राज्य है; हम ६ परसेन्ट बिक्री कर लगा सकते हैं। शुरू में ३ परसेन्ट बिक्री कर लगाया। उसके बाद ४ परसेन्ट कर दिया, फिर ५ परसेन्ट कर दिया और वन फाइन मोरनिंग में वह बढ़ कर ६ परसेन्ट हो गया। तो यह क्यों हो गया, कैसे हो गया और किस अधिकार से हो गया। यदि कानून समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता तो यह कानून का राज्य नहीं कहला सकता बल्कि मनमानी का राज्य है। मैं निवेदन करूंगा कि कानून का राज्य, यह रूल ऑफ ला खोखला हो गया है और यह खोखला हो गया उसमें कुछ कन्टेन्ट्स भरिये, नहीं तो यह खोखला ढांचा ताश के महल की तरह ढह जायगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहां गया। कल राजा थे, आज क्या हो गये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव सिद्धांतिक बहस का प्रस्ताव है, इन सैद्धांतिक पॉवर्स के साथ सिविल रेजिस्टेन्स का सवाल है जिसे सिविल रेजिस्टेंस को महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया है। हम यह नहीं कहते कि सिविल रेजिस्टेन्स करने वालों को दण्ड मत दो। आपके दकियानूसी खयाल में यह दण्ड देने लायक है तो दण्ड दो, हम हमेशा दण्ड भोगने को तैयार हैं क्योंकि हम जानते है कि जिन्होंने परिवर्तन किये हैं, क्रांतियां की हैं उनको दण्ड दिया गया है, वे जेलों में गये लेकिन जिनमें लीगल ऑथोरिटी थी उन्होंने उनको कुचलने की कोशिश की। आज तो आप १०५ हो विधान सभा में

(२.०० म. प.)

आपको याद नहीं, कानून आपने भी तोड़ा था। आप आज रूल आफ ला की बात कहते हैं, कानून की बात करते हैं, कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। आप ब्रिटिश राज्य में कहते थे कानून को तोड़ो, नमक कानून को तोड़ो, इस कानून को तोड़ो, उस कानून को तोड़ो, धरना दो, सत्याग्रह करो, लेकिन अहिंसात्मक सत्याग्रह करो। लेकिन आज सब भूल गये, आज कोई सत्याग्रह नहीं कर सकता, आज कोई अहिंसात्मक विरोध नहीं कर सकता, आज कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आज तो सिर्फ यह होना चाहिए कि जो मुख्य मंत्री हैं या जो राज्यपाल हैं उनके जिन्दाबाद के नारे लगाओ और कोई तो मिनिस्टर बन गये और कोई डिप्टी मिनिस्टर बन गये और इस प्रकार राज्य के कोष पर खर्च को बढ़ा दिया जाय। आज तो यह होना चाहिए। आज तो इस राज्य-कोष को यह समझ लिया गया है जैसे यह एक व्यक्ति का कोष हो, और एक पार्टी का कोष हो, कांग्रेस पार्टी का यह कोष हो। राजस्थान में जयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हो और उसमें हमारी सरकार की सारी मशीनरी, सारा पी. डब्ल्यू. डी. लग जाय, सारे डिपार्टमेंट लग जायं और कांग्रेस की वर्दी में सी. आई.डी. के लोग वहां स्वयंसेवक के काम पर लग जायं। यह जो राज्य कोष है; इसे कांग्रेस का कोष समझ लें और मनमाना खर्च करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में कांग्रेस पार्टी

# Page No. 65



(श्री मानिकचन्द सुराणा)
और सरकार में भेद रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए जो सरकारी कोष है उसको कांग्रेस का कोष नहीं समझा जा सकता है। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं वह यह नहीं जानते कि पार्टी क्या है, सरकार क्या है, और कांग्रेस क्या है ? वह यह समझते हैं कि सब एक हैं। पी. सी. सी. का ऑफिस और सेक्रेटेरियेट दोनों एक हैं। पी. सी. सी. के फंड और सेक्रेटेरियट के फंड और कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के बारे में उनके दिमाग में कोई फर्क नहीं रह गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बताया गया है। कांग्रेस के मतभेद क्योंकि दूर करने है इस लिए चार मंत्री और बना दिये गये। कांग्रेस में एकता कायम करनी है इसलिए कुम्भारामजी को मिनिस्टर बना दिया गया। हां भाई, क्यों नहीं बनायें। आखिर उनसे ज्यादा सर्टीफाइड आदमी कौन होगा राजस्थान में ? १ करोड़ २० लाख का घोटाला करने वाला कौन हो सकता है राजस्थान में ? कोई है नहीं। वह ही एक सर्टीफाइड व्यक्ति हैं इसलिए मोस्ट सर्टीफाइड व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया जा रहा है। हमारे सुखाड़िया साहब को लगा कि चार मिनिस्टर और बनाने चाहिये इससे कोटा के लोग खुश हो जायेंगे तो उन्होंने बृजसुन्दर शर्मा को मिनिस्टर बना दिया, हरदेव जोशी को मिनिस्टर बना दिया, दामोदरलाल व्यास को मिनिस्टर ले लिया ताकि कांग्रेस में एकता कायम हो। छः लाख का वजन इन चार मंत्रियों के कारण राज्य-कोष पर बढ़ जाय; यह किस लिए ? इसलिए कि कांग्रेस में एकता होनी चाहिए ! वह भी हो जाती तो अफसोस नहीं होता। लेकिन सुखाड़िया साहब ने कहा, मैं जा रहा हूं, मुख्य मन्त्री पद छोड़ कर जा रहा हूं, भर्तृहरी हो रहा हूं, छोड़ रहा हूं राज-पाट तो किसी ने कहा····

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंह नगर) : 'भिक्षा दे दे मैया पिंगला' भी गाया था।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : वह तो उन्होंने नहीं गाया होगा और न वह राजा भर्तृहरी बने। भाई हांडा जी समझ लें। जब उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो चार व्यक्ति उठे, पांच व्यक्ति उठे नाथूरामजी ने कहा, मैं बनूंगा, मथुरादास माथुर नहीं, हरिदेव जोशी ने कहा मैं बनूंगा; इधर हमारे कुम्भाराम जी ने कहा जब यह निपट लेंगे तब मैं आऊंगा, इधर दामोदरलाल व्यास ने कहा मैं बनूंगा महाराजा हरिश्चन्द्र का नाम भी सामने आया, मथुरादास माथुर का नाम भी आया। तो भाई जी ! यह कांग्रेस की एकता का प्रदर्शन हुआ ! ६ लाख रुपये हमारे राज्य-कोष में से खर्च किये, लेकिन फिर भी कांग्रेस में एकता नहीं हो सकी····

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कौल और चारू का नाम नहीं बोले आप।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : कौल साहब ने समझा, इन्दिरा देवी हो गई हैं हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री, इसलिए राजस्थान का प्रधान मंत्री या मुख्य मन्त्री बनने का श्रेय किसी को हो सकता है, तो मुझे हो सकता है। और किसी को नहीं हो सकता है तो यह छः लाख का वजन हमारे राज्य-कोष पर डाला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये मन्त्री जितने बनें। ये

# Page No. 66



(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रूल आफ लॉ से बने। मुख्य मन्त्री का अधिकार था अपने केबिनेट को एक्सपेन्ड करने का, इसलिए उन्होंने कर दिया और उसको कौन चुनौती दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जो पांच मन्त्री नियुक्त किये उनकी वेलोडिटी क्या है? जब चीन का आक्रमण हुआ उस समय पंजाब के मुख्यमन्त्री कैरों ने अपने मंत्रिमण्डल की संख्या को कम कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तो हमारे मुख्य मन्त्री ने अपने मन्त्रिमण्डल का विस्तार कर लिया। वह किस लिए? सिर्फ इसलिए कि

(विद्युत्-प्रकाश अदृश्य)

कांग्रेस में एकता हो। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा शेम, शेम) इससे ज्यादा शर्म की बात है इस सरकार के लिए क्या हो सकती है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने एक पार्टी, कांग्रेस और सरकार का भेद मिटा दिया है। यह किसने मिटाया है? यह मिटाया गया है कांग्रेस दल के जरिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अपने आप धीरे-धीरे ........

कुछ माननीय सदस्य: इस कांग्रेस के राज्य में ऐसा ही अंधेरा है।

अन्य कुछ माननीय सदस्य: अंधेर! अंधेर!

श्री गिरधारीलाल व्यास (बालोन्द): इनका असर हो गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री): जब उजाला होता है तो चोरों का होता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: उपाध्यक्ष महोदय.......

अनेक माननीय सदस्य: नहीं! नहीं!!

(विद्युत् प्रकाश पुनः अदृश्य होने के कारण)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह शर्म आनी चाहिए, ईश्वर भी कह रहा है कि कितना अंधेर है!

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अंधेर की बात हो रही है, इसका नतीजा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अब जनतंत्र के प्रति भरोसे को पुनः स्थापित कैसे किया जाय, जनतंत्र की पुनः प्रतिष्ठा कैसे की जाय; इसका कुछ काम २६ तारीख की घटनाओं के द्वारा जाहिर किया गया? आज राजस्थान का मन यह सोचने लगा है, आज राजस्थान की विधान सभा के सारे मेम्बर, सारे विधायक सोचने लगे हैं कि राज्यपाल के क्या अधिकार है अध्यक्ष के क्या अधिकार है? क्या जब गवर्नर विधान सभा में आये तो अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं हैं, क्या विधान सभा विधान सभा नहीं है? आज इस विधान सभा का प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगा है। आज हिन्दुस्तान के अखबारों का मन यह विचार करने लग गया है कि क्या राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया हुआ होता है, जो राज्यपाल विधान सभा का चुना हुआ मेम्बर नहीं है, वह क्या चुने हुए प्रतिनिधि को सदन से बाहर निकाल सकता है? तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जनतांत्रिक सारी प्रक्रिया विधान सभा के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमने, को उस पर हमें शर्म नहीं है उस पर हमें गर्व है और उनके द्वारा एक विचारों की प्रक्रिया सबके दिमाग में शुरू हुई है। और आपके

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सम्पूर्णानन्द ! आप जिनके गौरव की बात करते हैं; मैं नहीं कहना चाहता, उनके गौरव की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और उनको पढ़ने का मौका मुझे मिला है और उनके जरिये मैं उनकी इज्जत करता था। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उस दिन मैंने देखा तो मुझे लगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह व्यक्ति, जो इतने उच्च आसन पर बैठा है, यह यू. पी. से निकाला क्यों गया ? यह यू. पी. की पोलिटिक्स में डस्टबिन की तरह क्यों बना ? यह उस दिन मुझे अहसास हुआ कि यह व्यक्ति विद्वान् जरूर है, पहले से जो सोच कर आवे वह कह सकता है। बड़ी विद्वता की बात होती है लेकिन उसी वक्त उपजती नहीं है कि किन परिस्थिति में क्या करना है-इसका उसको रत्ती भर ज्ञान नहीं है और इसी ने इसके लिए प्रवृत्त कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यू. पी. के राजनैतिक दंगल से निकाले हुए व्यक्ति ने यहां पर आकर हमारे राजस्थान को एक दण्डकारण्य समझ लिया है जिसमें जितने रिफ्यूजी हैं राजनैतिक उनको बसा दें। हमारे सम्पूर्णानन्द आ गये तो राजस्थान के दण्डकारण्य में खुद ही नहीं आये, बृजसुन्दर शर्मा जो चुने हुए व्यक्ति थे विधान सभा के अब मंत्री हो गये हैं, लेकिन जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, वह जिस परिषद् के अध्यक्ष थे, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उसका आज अध्यक्ष व्यक्ति कौन है ? क्या सम्पूर्णानन्द का बेटा है ? अगर नहीं तो वह कौन है ?......

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** सर्वदानन्द !

**श्री मानिकचन्द सुराणा:** उपाध्यक्ष महोदय......

**श्री बृजसुन्दर शर्मा:** नाटक करो।

**मानिकचन्द सुराणा :** राज्यपाल अपने बेटे को राजस्थान संगीत-नाटक अकादमी का अध्यक्ष-पद दिलवा दें तो कौन कहेगा की यह कोई फेवरिटिज्म है ? नहीं, नहीं. फेवरिटिज्म नहीं है। कानून का राज्य है, एजुकेशन मिनिस्टर ने आर्डर दिया होगा। एजुकेशन मिनिस्टर के कान में चीफ मिनिस्टर ने फूंक मारी होगी और चीफ मिनिस्टर के कान में गवर्नर ने फूंक मारी होगी। यह कानून का राज्य है, इसलिए आर्डर होगा वह बृजसुन्दर शर्मा का होगा या इनके सचिव का और कानून के राज्य में पक्षपात छिप सकता है जो किया गया है। क्यों साहब ! राजस्थान के लोक संगीत और संस्कृति का ज्ञान इस राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के इस वक्त के अध्यक्ष को है ? कितना हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय ? हो नहीं सकता। फिर राजस्थान का जेल सुधार कमीशन होगा उसका अध्यक्ष कौन बनेगा ? उसका अध्यक्ष बनेगा सम्पूर्णानन्द का भाई। अफसोस है......

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** परिपूर्णानन्द !

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** परिपूर्णानन्द, जेल सुधार के अध्यक्ष बनेंगे। क्यों साहब ? इन्हें राजस्थान की जेलों में रहने का मौका नहीं मिला। ये कांग्रेस के जितने क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने सामन्तशाही व्यवस्था का विरोध किया, जिनको राजस्थान की जेलों में रहने का मौका मिला भाई ज्वाला प्रसाद शर्मा, इनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :** मैं इतना निवेदन करूंगा कि मैं भी इसका मेम्बर था।

श्री अब्दुलजब्बार : चेयरमैन क्यों नहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे कहने दो। क्या बात है, सुनने का इत्मिनान रखो। इतना क्यों गुस्सा आ गया ? अपना दिमाग क्यों खाली कर दिया ?

सवाल यह है, मैं मेरे सम्माननीय सदस्य को यह कहूंगा कि जो उनके भाई हैं उनको जेल के मामले में बहुत कुछ जानकारी है। उन्होंने कोई भी फायदा नहीं उठाया। उन्होंने जो डॉक्यूमेन्ट पेश किया है वह बहुत अच्छा है और कुम्भाराम जी उसके मेम्बर थे, और मैं मेम्बर था। मैं अनुभव की बिना पर कह सकता हूं कि जो एक डॉक्यूमेन्ट दिया वह सब लोगों के पास पहुंचा है। उन्होंने कोई गेन नहीं लिया है, पर्सनल गेन नहीं उठाया है और सरकार पर अहसान हुआ है कि ऐसे आदमी की सर्विसेज लीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा कतई यह नहीं थी कि ज्वालाप्रसादजी उसके सदस्य नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के जिन लोगों ने जेलें काटी उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिये और कहां तक कहूं, पुलिस कमीशन बने और यू. पी. के राजनीति से निकले हुए मोहनलाल गुप्ता उसके सदस्य बनाये जावें। यह सब इस बड़े पद का प्रभाव है जिसको आप और हम कहते हैं; जिसको आप सिम्पल कहते हैं, यह उनकी पक्षपात का नमूना है। आप कहते हैं कानून का राज्य है इसमें कोई फेवरिटिज्म नहीं है, इसमें कानून का राज्य घुसा हुआ है कानून के द्वारा सेक्रेटेरियेट की विज्ञप्तियें निकली हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे तरीकों से इन सारी बातों को छुपाया नहीं जा सकता कि कानून के राज्य के नाम पर पक्ष-पात और भ्रष्टाचार का राज्य राजस्थान में कायम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का जिक्र यहां आया, उसके जिक्र में मैं माननीय राज्यपाल महोदय के राजभवन है उनके बारे में भी कुछ बातें रखना चाहूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस भवन में जो कन्सॉलीडेटेड फन्ड हैं उसमें से ७ हजार रुपयों की शराब आती है। २४ केसेज आते हैं जिसमें ७ हजार रुपयों की शराब राज भवन में आती है। उस पर न एक्साइज ड्यूटी है, न कोई उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, मगर उसका हिसाब नहीं रखा जाता कि वह किन-किन को सर्व की जाती है। हाल ही में ऑडिट ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि किन २ को यह शराब सर्व की जाती है। यहां पर एक बोतल १३) रु० की आती है जिसकी ब्लेक में कीमत ८०) रु०, ९०) रु० है। इसलिये जो शराब यहां पर सर्व की जाती है उसका कोई रेकॉर्ड नहीं है। यह राज्यपाल महोदय के ध्यान में लाई गई, तो कहते हैं कि कोई मेहमान आवें उनको शराब पिला दी जाती है। मैं जानता हूं कि संपूर्णानन्दजी शराब नहीं पीते . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : फिर भी वे नशे में होते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब वे शराब नहीं पीते तो उनको राज भवन में शराब बन्द रखनी चाहिये थी। वे भारतीय संस्कृति के जानकार हैं, उनको जानना चाहिये कि आप जिस दिन से राज्यपाल बने, भारतीय संस्कृति को प्यार होने के नाते ७ हजार के

श्री मानिकचंद सुराणा)

बजट को राज्य भवन के बजट में से कट क्यों हीं कर दिया ? आज उसका कोई हिसाब-किताब नही कि कितनी शराब किसको पिलाई ई । मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे इसमें राज्यपाल महोदय का कोई हाथ हो या नहीं ो लेकिन उनके नीचे जो सज्जन हैं नका हो । सारी शराब को ब्लेक मार्केट में चने का पाप उनके सचिवालय पर है ।

एक डिग्निटी है, राज भवन के बजट : बहस नही हो सकती । वह वोटेड हीं हुंता लेकिन चार्ज्ड है । यह खर्चा तो ारे सिर पर पड़ेगा, लेकिन उस पर बहस ों होगी क्योंकि कानून का राज्य है । गर इस सम्बन्ध में जब ऑडिटर जनरल ता है कि शराब का एकाउन्ट बताओ कि तनी शराब खर्च हुई । यह तो रूल है कि हिसाब बताया जावे । चार्ज के खर्च पर स नहीं होगी । उपाध्यक्ष महोदय, यह नून के राज्य के खोखलेपन का नमूना है र इस कानून के राज्य में भ्रष्टाचार के . में कोई सुनने वाला नहीं है । आज न ई तहसीलदार की शिकायत सुन सकता है, कलेक्टर की सुन सकता है और मिनिस्टर शिकायत तो कौन सुने । चीफ मिनिस्टर की शिकायत सुन सकते हैं मगर उनको कायत सुनने के लिये फुर्सत कहां ? की शिकायत हमने चीफ मिनिस्टर से की अभी यहां विद्यमान नहीं हैं । टी. कृष्णमाचारी की शिकायत दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने रेन्डम साइन करके की और राष्ट्रपति को मेमोरेन्डम साइन करके दिया । उस पर लबहादुर शास्त्रीजी ने क्या निर्णय या । उन्होंने कहा कि इस पर मैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से राय लूंगा और जब टी. टी. के. ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह भेजने का प्रश्न नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्शियस कहती है कि इसमें चीफ जस्टिस की राय लूं और लूंगा और इसमें टी. टी. के. का इस्तीफा हुआ । हमने समझा कि अब कोई मंत्री की शिकायत होगी तो चीफ मिनिस्टर के पास होगी और यदि चीफ मिनिस्टर की शिकायत होगी और कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर की शिकायत होगी, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रीन्सिपल फोलो किया वह करेंगे कि चीफ जस्टिस की राय उसमें लेंगे । लेकिन यहां यह प्रिन्सीपल फोलो नहीं हुआ । चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत होती है । कहना नहीं चाहता कि जिन परम्पराओं को टी. टी. के. की शिकायतों पर निभाया गया, निभाया जाए । चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो मेमोरेन्डम है जिसकी बात हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर से कर लेंगे क्योंकि वे उन्हें हटा सकते है । उनके विधान सभा में १०५ वोट हो जावें, लेकिन मिनिस्टर के भ्रष्टाचार की बात किससे कहें और कौन सुने जब राज्यपाल महोदय अपने भाई और बेटे को संगीत एकेडमी में मंत्रियों के जरिये और सचिवों के जरिये नियुक्त कराते है तो क्या राज्यपाल महोदय उनके खिलाफ कोई शिकायत सुन सकते हैं और निष्पक्ष फैसला दे सकते हैं ? वे निष्पक्ष फैसला नहीं दे सकते । चीफ मिनिस्टर की तो बात ही क्या है उनके सामने वर्षों हो गये हैं, बालकृष्ण कौल की शिकायत जाती है तो उनकी फाइल अलमारी में रख ली जाती है और यदि कोई उनके खिलाफ आवाज करे तो उनको उस फाइल को दिखा दिया जावे कि फाइल पड़ी हुई है । नाथूरामजी के खिलाफ

(श्री मानिकचंद सुराणा)

तो फाइल अलमारी में रख ली जाती है और हरिश्चन्द्रजी के खिलाफ बयान हो तो उनकी फाइल भी पेन्डिंग। आपने सारे मिनिस्टरों की फाइलें बना रखी हैं। कुम्भारामजी के खिलाफ हो तो फाइल पेन्डिंग। कहने का तात्पर्य यह कि जब कभी कोई व्यक्ति आपको आंख दिखावे तो आप उनको कहें कि यह आपके खिलाफ फाइल पेन्डिंग है और ऑर्डर निकाला जा सकता है।

अभी कुछ समय पहले कांग्रेस अधिवेशन के समय पद-त्याग का नाटक चला। चीफ मिनिस्टर यहां पर उपस्थित नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि पांच-चार सदस्यों को खड़ा कर दिया और यह बताया गया कि इस राज्य को कोई चला सकता है तो श्री मोहनलाल सुखाड़िया ही चला सकते हैं और दूसरा कोई नहीं चला सकता है। १०५ व्यक्ति आपके पीछे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पीछे १०५ व्यक्ति हैं तो आप एक उदाहरण तो बतावें कि हमने अपने इतने लम्बे चौड़े शासन-काल में भ्रष्टाचार के मामले में एक मिनिस्टर को पद से अलग कर दिया।

( समय समाप्ति-सूचक घंटी )

उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो किसी बात को दोहराऊंगा और न किसी बात को दुबारा कहने का लक्ष्य करूंगा। और मैं समझता हूं कि इस फ्लोर पर.......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आपको कहला दिया है कि इसको जल्दी खतम कर दिया जावे। मैं उनसे कहूंगा कि वे इसके लिये क्लोजर मूव कर दें, क्लोजर ले आवें।

श्री गिरधारीलाल व्यास ( आसीन्द ) : एक घण्टा तो हो गया है बोलते हुए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पंचायत मंत्रीजी के बारे में जो कुछ अभी कहा गया है, मैं जनतन्त्र के पहरियों से पूछना चाहता हूं कि ये चार्जेज और सारे बयान और ऑर्डिनेन्स माननीय मंत्री को मंत्री-पद से हटाने के लिये काफी नहीं है क्या? लेकिन आज वे इनको नहीं हटायेंगे, इनको भी छिपायेंगे ताकि वे भी मुख्य मंत्री की जेब में रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जनतन्त्र नहीं है, राजस्थान में १०५ व्यक्तियों का शासन नहीं है, राजस्थान में केबिनेट का शासन नहीं है, राजस्थान आज एक व्यक्ति का शासन बन चुका है, जो भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहता, राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करना चाहता, जो योजनाएं बनी हैं उनको क्रियान्वित नहीं करना चाहता। एक सुबूत तो दे दें सुखाड़ियाजी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, निरंकुशशाही के विरुद्ध यह एक्शन लिया। इसलिये हम मांग करेंगे कि दामोदर व्यास को हटाओ, अगर उन्हें नहीं हटाना चाहते तो जितनी भ्रष्टाचार की फाइलें बना रखी हैं कुम्भारामजी को हटाओ, एक करोड़ बीस लाख कुम्भारामजी गुड़ के मामले में खा गये, उनको हटाओ। दो साल पहले विजिलेंस कमीशन को रिपोर्ट दी, बिश्नोई कमेटी की

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रिपोर्ट दो साल पहले आई। ब्रिटिश ट्रेडिशन्स की बात करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि वहां कोई भी बातें छुपाई नहीं जा सकतीं। जो वार के सीक्रेट्स थे, जो युद्ध के सिक्रेट्स की फाइलें थीं उन सिक्रेट्स को हाउस आफ कॉमन्स के सामने चर्चिल ने रखा, पर विश्नोई कमेटी की रिपोर्ट को आपने राजस्थान में हाउस से छिपाया, उसके कन्टेन्ट्स मांगे गये तो कहा कि विजिलेंस कमिश्नर के पास फाइल चली गई है। विजिलेंस कमिश्नर डेढ साल से उस फाइल पर सो रहा है। कौन करेगा कार्यवाही ? दस साल बाद आप इन कुर्सियों पर नहीं रहेंगे। विजिलेंस कमिश्नर को मैं पूछना चाहूँगा कि वह रिपोर्ट कहां है, क्यों नहीं मोहनलालजी सुखाडिया उनसे पूछे कि वह रिपोर्ट कहां है ? १ करोड़ २० लाख का घोटाला गुड़ के मामले में हो, दो साल में भी मुख्य मंत्री उसकी जांच नहीं करा सकें, वह मुख्य मंत्री रहने के लायक नहीं हैं, उनको अपनी गद्दी को छोड़ना चाहिये पर न तो वे डेढ करोड़ के घोटाले की जांच ही करेंगे और न मुख्य मंत्री पद को छोड़ना ही चाहेंगे।

मथुरादासजी माथुर की तो बात ही क्या कहना ? वे सब बातों से ऊपर है। कुछ प्रेम कभी इधर, कभी उधर चलता रहता है। उनका प्रेम चलता रहता है। फिएट कार के अलॉटमेंट में जिसको चाहा दे दी, मर्जी आया उसको नहीं दी। कहने को कहा जाता है कि कानून का राज है पर मिनिस्टर को अधिकार है कि मैकेनिकल डिफेक्ट बताकर उस गाड़ी को बेचने का अधिकार दे सकता है और इस तरह एक एक गाड़ी में दस दस हजार का ब्लैक करने की खुली छूट दी जाती है, जिनसे वे प्रेम करते हैं उनको इस तरह एक एक गाड़ी में दस दस हजार का ब्लैक करने की छूट देते हैं, जैसे मुगल सम्राटों ने जिनसे प्रेम किया उसको मालामाल कर दिया। तो इस तरह दस-दस हजार का ब्लैक एक गाड़ी में चल सकता है। कोई कानून नहीं, मिनिस्टर का डिस्क्रिशन है और कहा जाता है राजस्थान में कानून का राज है, कोई कानून का राज नहीं।

नाथूरामजी मिर्धा ने पाबन्दी लगा रखी है कि चना राजस्थान से बाहर नहीं जा सकता, चाहे चना सड़ जाय, पर राजस्थान से बाहर नहीं जा सकता। राजस्थान में पंजाब से गेहूँ आ नहीं सकता। सारा हिन्दुस्तान चिल्ला रहा है कि जोन्स को खत्म कर दो, पर सुब्रह्मण्यम् जोन्स को खत्म नहीं कर सकते, श्री. सुब्रह्मण्यम् समझते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े कर दो, जोन्स सिस्टम को चला रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े कर दें कानून से। पर कानून के नाम से कोई साधारण आदमी है उसने ८ आने का ब्लैक किया तो उसका तो चालान, पर जिसके पास हजारों बोरियां हैं उसका चालान नहीं हो सकता, टेलीफोन पर चालान रुक सकता है। मैं कहता हूँ, तुम्हारा कानून का राज आज खोखला हो गया है।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हम राष्ट्र-विरोधी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राष्ट्र विरोधी पर एक बात कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी के आदमी को राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकता क्यों कि वे समझते हैं कि ज्यादातर

Page No. 72



(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अलग हो सकते है, पर राष्ट्र को सब आगे बढ़ाना चाहते हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) :** राष्ट्र विरोधी नहीं कहा गया है, आप गलत मतलब लगा रहे हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** कहा गया है कि "राष्ट्र का असम्मान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है।" मैं कहना चाहता हूं कि जो इस सरकार ने कुछ दिनों पहले एक लेवी का आदेश निकाला कि किसानों से लेवी ली जायगी। ५ एकड़ पर इतनी और ५ एकड़ से १० एकड़ पर इतनी लेवी होगी। नाथूरामजी ने बयान दिया कि लेवी लेंगे। कुम्भाराम जी ने कहा कि लेवी ली जायगी और दामोदरजी ने कहा कि लेवी का विरोध करने वाला राष्ट्र विरोधी है। मुख्य मंत्री ने विरोधियों को धमकी दी कि लेवी का विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। पर वह तुम्हारा लेवी का आदेश कहां है, जिसके लिये तुम कह रहे थे कि इसका विरोध करना राष्ट्र विरोधी है और यह कह कर विरोधियों को धमकी दे रहे थे? कानूनी राज था; लेवी लेना थी, फिर चला क्यों नहीं उसके पीछे काश्तकारों की सेंक्शन नहीं थी। किसान उसके लिये बगावत कर रहे थे। अगर यह लेवी का आदेश जारी रहता तो हम आपको धन्यवाद देते कि इस एकतन्त्र के कफन में अन्तिम कील गाड़ने वाले आप होते। पर अपने अपनी एक कलम से कह दिया कि हम लेवी के ऑर्डर को वापिस लेते है। क्योंकि उसके पीछे कोई नेचुरल जस्टिस नहीं था, लीगल वेलिडिटी नहीं थी। लीगल ऑथोरिटी जरूर थी, पर लीगल वेलिडिटी और नेचुरल जस्टिस का सिद्धान्त उसके पीछे नहीं था, इसलिए लेवी के आदेश को वापिस लेना पड़ा।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो कानून के खोल में, रूल ऑफ लॉ में बहस चला रहे हैं, मैं कहता हूं कि इस रूल ऑफ लॉ को राजस्थान में आप लोगों ने खोखला कर दिया और राज्यपाल के अधिकारों की बात कह कर जनता की पहली पीढ़ी के बेटे के जो अधिकार हैं, विधान सभा के जो अधिकार हैं उनका अतिक्रमण करना चाहते हैं। उन अधिकारों का अतिक्रमण कर नहीं सकते। हमने खिलाफत की है, हमने जनतन्त्र की रक्षा की है, यदि आप यह नहीं समझते हैं तो यह हमारी बदकिस्मती है। ये लोग समझते हैं कि कुछ उच्छृंखल लोग यहां आ गये। पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम हमारे अधिकारों की, विधान सभा के अधिकारों की रक्षा करेंगे और उसके लिये कोई भी दंड देंगे और उस दंड को सहर्ष सहने के लिये तैयार हैं।

**श्री हरिकिशन (राजगढ़) :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुराणाजी ने दो- चार बातें मेरा पर्सनल नाम लेकर कहीं, इसलिए मैं दो दो मिनट का समय चाहता हूं। माननीय सुराणाजी को मैं अपोजीशन के मेम्बर्स में एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी मानता हूं। ये जो उन्होंने बातें कहीं यह चार्ज तो मैं उन पर नहीं लगा सकता कि जानबूझ कर ट्विस्ट की या असत्य कहा, लेकिन मेरे ख्याल से जो भावावेश में वे कई बातें ऐसी कह गए कि वह भी बाद में सोचेंगे और वह खुद एग्री नहीं करेंगे। उन्होंने जो मोटी बात

(श्री हरीकिशन)

लेकर कही और १० बार रिपोर्ट किया वह इस चीज को लेकर कहा कि "King can do no wrong" और उनके कहने का मतलब था कि हम जो इस तरफ बैठते हैं ट्रेजरी बैंचेंज वाले वे सब कह रहे हैं कि माननीय राज्यपाल किंग हैं और उनको जो एब्सोल्यूट पॉवर्स पहले हिस्ट्री में थीं वे ही आज उनको देने के फेवर में हैं। इसको शायद मैं कहने की जरूरत नहीं समझता कि इसमें तथ्य की क्वार्टर परसेंट भी गुंजाइश नहीं है। आज माननीय सुराणा ने बार बार कहा कि विल आफ दी पीपुल सुप्रीम है, किंग सुप्रीम नहीं है; उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आज राज्यपाल किंग नहीं, वह सिम्बल है सॉवरेंटी एण्ड दी विल ऑफ दी पीपुल के; वह आपके ही सॉवरेंटी के सिम्बल हैं। आज के राज्यपाल की पुराने किंग से तुलना करके इस बहस को दूसरे रास्ते पर ले जाना इस सदन और जनता को गुमराह करना है।

जब हम पहले इस सदन में मेम्बर्स बन कर आते हैं, हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। सबसे पहले यह कहा जाता है कि खड़े होकर शपथ ग्रहण करें कि जो भारत का संविधान है उसका हम पूरी वफादारी से, सत्यता से पालन करेंगे। अगर माननीय सदस्य को संविधान से शिकायत है तो उसको अमेंड करने के दो रास्ते हैं। या तो इल्लीगल करें या लीगली करें तो उसकी जगह यह नही है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, संविधान में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई सदस्य अपनी शपथ ग्रहण किए बिना विधान सभा की बैठक में भाग ले ले तो उस पर सिर्फ ५००) रु० का जुर्माने का कायदा लिखा है।

**श्री हरिकिशन** : मैं छोटी-छोटी लीगल बातों को लेकर चलना नहीं चाहता। उसका जो एसेंस है, जो उसका मतलब है कि यदि आपको संविधान के प्रति वफादारी में जरा भी शक है तो आपको इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। गवर्नर की पोजीशन जो राष्ट्रीय झंडे की है वह उसकी है। आपको सरकार के खिलाफ जितनी शिकायत हैं मैं १०० गुना मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे भी शिकायत है, लेकिन इसका प्रतिकार यदि कल कहें कि राष्ट्रीय झंडे को पैरों के नीचे कुचल कर करें या राष्ट्रीय गान का तिरस्कार करें या जो उनका प्रतीक है, उनका तिरस्कार करें, तो बिल्कुल गलत है। आप हर मंत्री के खिलाफ जो बातें कहें वे सही हों और १० गुना और सही हों, उससे मुझे शिकायत नहीं। गवर्नर चीफ मिनिस्टर के ग्रेड में नहीं है। कल हमारे प्रधान मंत्री का आप तिरस्कार करें तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं, पर गवर्नर का ग्रेड राष्ट्रीय झंडे का है, अशोक स्तंभ, सिम्बल ऑफ दी विल ऑफ दी पीपुल, उसको स्वीकार करना है। यदि आप जान-बूझ कर फैसला करें कि हम न तो झंडे की इज्जत करें न संविधान की करेंगे, तो अलग चीज है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा (सोलायत)**: इस झंडे को कहां से लाए? यहां राष्ट्रीय झंडे का कोई सवाल नहीं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : राज्यपाल का अपमान न करने के लिए कोई कानून नहीं है, राष्ट्रीय झंडे के लिए संविधान के लिए कानून है।

श्री हरिकिशन : मैं इस बहस को गलत तौर पर नहीं ले जाना चाहता हूँ, न ही भावावेश के प्रवाह में जाना चाहता हूँ। ये चीजें फंडामेंटल हैं। अगर आप डिबेट का समय काटना चाहें या इन बातों के बारे में गलतफहमी लाएं तो इनको ५ दिन और दिए जायं ताकि हमारे दिमाग में सही पोजीशन आ जाय कि राष्ट्रीय झंडे की क्या इज्जत होनी चाहिए। मैं बहस को और नहीं बढ़ाना चाहता। केवल एक पोइंट था। मैं सुराणाजी की एक-दो बातों के लिए क्लेरीफिकेशन देना चाहता था कि "King can do no wrong" यह कतई गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "King can do no wrong" उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ४०० आदमियों को फांसी पर चढ़ा दिया था।

श्री हरिकिशन : कांग्रेस तो उसी रास्ते पर चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस की स्थापना भी तो एक अंग्रेज ने की थी, इसीलिए उनके रास्ते पर तो चलोगे ही। आप तो अंग्रेजों की संतान हो।

श्री हरिकिशन : इस चीज को सही सही समझिए कि राज्यपाल की संवैधानिक पोजीशन क्या है ? आज ये बातें बार बार कही गई। मैं समझता हूँ कि भावावेश में कही गई कि संपूर्णानन्द तुमको तमीज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसको तू कहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (मासोन्द) : यह आपकी संस्कृति है !

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपकी संस्कृति तो रवीन्द्र मंच पर नाटक देखने की है।

श्री हरिकिशन : अगर गलत कह रहा हूं तो विद्ड्रा करूंगा। आज उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो न तो उनकी पार्टी, न सदन को........

श्री मानिकचंद सुराणा : पोइंट ऑफ इन्फोर्मेशन, यदि डेढ़ घंटे या सवा घंटे के भाषण में मैंने २०० बार आप कहा और एक बार तुम कहा, तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है; तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांग सकता हूँ, ऐसी छोटी-मोटी बातों को नहीं उठाना चाहिए। आप २०० बार को न देखकर और एक बार को देखेंगे, तो यह आपकी मोटी अक्ल का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है।

श्री हरिकिशन : माननीय उपाध्यक्ष, बातें जब की जाती हैं तो गाली एक दफा दी जाती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : "तुम" कोई गाली नहीं है।

श्री हरिकिशन : अगर माननीय सुराणा की भावना यह है कि स्लिप कर गये तो मैं उस बात की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे कानों में जिस टोन में जो सारी बात आपने कही उस कन्टेक्स्ट मे वह मैंने कही।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अपने को और नहीं बढ़ाना चाहता........

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपने यह दस बार कहा कि आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

श्री हरिकिशन : अगर सौ बार कहना पड़े और आपके दिमाग में यह बात आ जाय

( श्री हरिकिशन )

कि यह फन्डामेन्टल इन्स्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनायी गयी उसका तिरस्कार करना है, आप तिरस्कार कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझ लिया जाय।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल भी बहस मैंने ध्यानपूर्वक सुनी और आज भी मैंने ध्यानपूर्वक इन माननीय सदस्यों की बातें सुनी जो कि मेरी ओर विरोधी पक्ष में बैठते हैं।

अभी माननीय मानिकचन्दजी सुराणा का भाषण मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मैं भी चाहता हूँ कि इस बहस में दो शब्द निवेदन करूं कल नहीं बोलते हुए मैंने अपने राइट को आज ही बोलने के लिये प्रिजर्व रखना ठीक समझा था।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मानिकचन्दजी सुराणा ने कहा कि "Soveringnty resides in the people." यह तो अनादिकाल का अनएक्सेप्शनल सिद्धान्त है; चाहे सम्राट हो, चाहे कोई संस्था हो, जब कभी लोगों ने यह निश्चय किया है, मैं छोटे-मोटे राजस्थान के राजा-महाराजाओं की बात नहीं करता हूँ, क्या सुंग डाइनेस्टी, क्या जार्स ऑफ रशिया, क्या मेरी लुई फ्रेन्च रिवोल्युशन, अनादिकाल से यह एक सर्व मान्य सिद्धान्त है" "Soverignity resides in the people"। अगर लोग इच्छा करते हैं कि शासन पलटे, राष्ट्र की सीमा पलटे या विधान पलटे तो उनकी इच्छा सुप्रीम है, सर्वोपरि है। इसके अन्दर कोई विवादास्पद बात हो, मैं नहीं मानता। उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ साथ मैं यह समझता हूं कि यह जनतान्त्रिक पद्धति है। यह मैं मानता हूँ कि आज इसकी प्रतिष्ठा दिन-ब-दिन बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। एशिया में भी, मेरे ख्याल में, जनतन्त्र की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर नहीं आती। किन्तु जब तक हम जनतन्त्र और जनतांत्रिक सिद्धान्तों को मानते हैं तो हमें दो-चार बड़े-बड़े मुद्दों को लेकर आगे चलना चाहिये। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि "Sovereignty resides with the people" तो उसके साथ साथ यह भी हमें मानना चाहिये कि "we have given unto ourselves a constitution" हमारी जनता के प्रतिनिधियों ने इकट्ठे होकर हमें एक विधान बना कर दिया। जनता को अधिकार है कि उस विधान को पलटे। जनता का अधिकार है कि अवैधानिक रूप से भी उसको पलटे। क्योंकि मनुष्यत्व (विरोधी पक्ष द्वारा "हीयर हीयर", का यह सबसे पहला प्रमाण है कि अगर मनुष्य अत्याचार को सहन करता है तो वह मनुष्य नहीं है, वह पशु है।

(विराम)

तो डेमोक्रेसी की ग्रेड फीचर यह है कि जब तक अल्पमत बहुमत के निर्णय को शान्त ढंग से माने तब तक वह जनतन्त्र है, वर्ना वह जनतन्त्र नहीं है, बहुमत का अत्याचार है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)** :No

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : Of course it is. If the minority admits to the verdict of the majority then it makes for democracy; otherwise it is the tyranny of the majority.

(विपक्ष द्वारा हीयर-हीयर)

मैं समझता हूं कि आज की जो यह बहस है और कल की जो बहस है वह महत्व-

(महारावल लक्ष्मणसिंह)
पूर्ण बहस ही नहीं है, मैं समझता हूं, यह एक ऐतिहासिक बहस भी है।

श्री दलपतसिंह (ग्राबू) : Point of information. And if it is tyranny of the minority then what ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: It is chaos.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then the majority should resign and go home.

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : पांच आदमी के प्रोग्राम करना चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। शान्ति से दो शब्द कहना चाहता हूं।

तो अगर हमें जनतन्त्र की पद्धति मान कर चलना है तो, मैं यह समझता हूं, कि मेरे दिमाग में यह स्पष्ट है, कि राज्यपाल एक सम्बोलिक हैड हैं। हम में मतभेद हों, मतमतान्तर हों, अपने अपने विचार प्रकट करने का सबको अधिकार है। व राज्यपाल हैं, वह कोन्स्टिट्यूशनल, वैधानिक हैड ऑफ स्टेट होने के कारण उनकी मजबूरियां हैं लेकिन उसके साथ साथ उनकी एडवाइजरी केपेसिटी भी है। अगर मंत्रीगण बार बार विधान की अवहेलना करें, उनकी स्वेच्छाचारिता और उनकी अनुकूलता के अनुसार ऑर्डिनेंस लायें तो यह निर्विवादित बात है कि राज्यपाल महोदय अपनी सलाहकारी, एडवाइजरी केपेसिटी में कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कह सकें कि "Thus far and no further" इससे अधिक आवेंगे तो विधान का उल्लंघन होगा है।

तो मेरे ख्याल से इस बारे में राज्यपाल के पद को बुरा कहना और क्रिटिसाइज करना, उसकी "तू-तू, मैं-मैं" करवाना, यह जनतन्त्र के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। राज्यपाल के ऊपर आक्षेप लगते हैं,

(विराम)

आप अपनी ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर विरोधी पक्ष पर अत्याचार करते हैं, उसके अधिकारों की अवहेलना करते हैं, आपको इसका खमियाजा उठाना है।

(विराम)

आप जनतन्त्र की अवहेलना करके, बेचारे उस राज्यपाल को मजबूर करके उसको यहां डिफेम कराते हैं।

(हीयर हीयर की आवाज)

श्री गिरधारीलाल व्यास : कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कॉन्ट्राडिक्सन नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह तो उनकी समझ का फर्क है। यह तो ऑपोजीशन में ही है कि दोनों तरफ से ताली पिटवाता है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : गवर्नर का इम्पीचमेन्ट करना यह गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने यह भी कहा कि बेचारी स्वतन्त्र पार्टी ने २० फरवरी को टैक्स विरोधी, नो-टैक्स अभियान मनाया; लेकिन करते-कराते नहीं है; नौसिखिये हैं। लेकिन मेरा जैसा आदमी यहां बैठ कर टांगा-टोली

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
करके दो-चार आदमी हाथ पकड़े और इधर-उधर हो, यह उचित नहीं समझता विरोध का तरीका।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जवान आदमियों का काम है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मत-मतान्तर हो सकते हैं लेकिन इस तरह का बहिर्गमन मुझे पसन्द नहीं है और मेरे सम्मान के भी विपरीत समझता हूं। मैं तो उस पद्धति का मानने वाला हूं जो एक स्टेप उसके आगे है और वह यह है कि जो अत्याचार को सहन करता है वह मनुष्य नहीं पशु है। हमारे पास उदाहरण हैं। प्रताप का उदाहरण हैं हमारे सामने, हमारे सामने रानी लक्ष्मीबाई झांसी का उदाहरण है, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार का विरोध किया। प्रताप ने २४ वर्ष तक क्या नहीं किया ? उन्होंने एक ही सिद्धान्त ऊपर रखा :

"तुर्क कहासी मुख पतो, इण मुख सुं इकलिंग,
ऊगे जाहीं ऊगसी, प्राची बीच पतंग।"

तो अगर मरना आता है, मुश्किल तो है, लेकिन एक दफा कमर बांध लें वह आदमी एक दफा छाती पर गोलियां खाय, मुंह पर गोलियां खाय, हट जाय, यह कभी नहीं हो सकता। अगर अत्याचार की पराकाष्ठा होगी तो उनको मजबूर करेंगे लेकिन यह टांगा-टोली और इधर—उधर नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजाओ न ताली। आपके फेवर की बात है।

(विराम)

उनके कानों पर कोई असर नहीं होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री पद पर बैठे हुए महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान की जनता का विश्वास खो चुके और खो चुके। केवल ४५ प्रतिशत वोट प्राप्त करके आप शासन पर आ बैठे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपस में तू-तू मैं-मैं वोट बंटवा कर, इन अत्याचारियों को यहां बैठे देख रहे हैं। अपन सब एक हो जायं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह असंभव है।

एक माननीय सदस्य : इन तिलों में तेल नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यही कारण है कि आपका बोलबाला है और हमारा मुंह काला है।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम महारावल साहब के नेतृत्व में विरोधी दल सब एक होकर इनका मुकाबला करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सुन कर तो उधर वालों को ब्लड-प्रेशर हो जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं स्वतंत्र पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता, एक विरोधी दल का तुच्छ सिपाही ही रह कर इस अत्याचारी सरकार का मुकाबला करना चाहता हूं। इसके साथ ही हमें सैन्स ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिये। मैं बहुत ही स्पष्टतया और विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय की एक्जाल्टेड पोजीशन को इस जनतन्त्र के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अन्दर तू-तू और मैं-मै में नही खीचे। अगर उन पर हम किसी प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं तो यह फिर डेमोक्रेसी नहीं, फिर तो यह डेडलोक है। अगर डेडलोक ही क्रिएट करना है तो पहले सदन के बाहर क्रिएट करें, लेकिन अगर सदन मे आप करना चाहते हैं तो जहां आपके साथ एक हद तक सहमत होते हुए भी मेरी मजबूरियां हैं आपका इसमें साथ देने में।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा इस संबंध में न कहते हुए आपके द्वारा राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इन माननीय सदस्यों का शेष सत्र की अवधि के लिये निलम्बित किया जाता है तो यह एक बदले की भावना को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, यह आपकी भावना स्वस्थ जनतंत्र का परिचायक नहीं है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप सजा के रूप में और कोई व्यवस्था कर सकते हैं, उसके लिये हमारी सर्वथा इन्कारी नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा वे माफी भी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं जैसा कि वे फ्लोर ऑफ दी हाउस पर व्यक्त भी कर चुके हैं और मेरे ख्याल में उनका यह कहना कुछ हद तक वाजिब है। जब उनको सुनने वाला कोई नहीं, जैसा कि माननीय सदस्य विट्ठल भाई ने कहा, मैं लिख लिखकर थक गया, कोई सुनने वाला नहीं; इस बहरी और अन्धी सरकार ने सुना नहीं; तो 'तंग आमद बजंग' आमद' आप इस तरह से फुट गेन्द बना कर फेंकते रहेंगे; तो हो सकता है उस फुट गेन्द को हम इतनी जोर से किक करेंगे ताकि वह आपको कुर्सी से उठाकर फेंक दें। मेरा यह आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं इन proportion to the mistake that has been committed, ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो मैं समझता हूं वह अनुचित नही होगी।

इस प्रकार से यह जो प्रस्ताव लाया गया है यह आपकी नादिरशाही और हठधर्मी का परिचायक है जनतन्त्र का दम घोंटने वाला है। इस प्रकार के प्रस्ताव का हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज इस समय जब कि हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस करने, लेकिन आज बहस हो रही है राज्यपाल के स्वयं के बारे में।

मैं यह स्पष्ट कर दूं, वह दुर्भाग्य लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि सत्ता पर बैठने वाले लोगों की है। इस दुर्भाग्य को लाने की जिम्मेदारी स्वयं राज्यपाल की भी है। आज हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार करना था वहाँ हमें राज्यपाल पर बहस करने लग गये।

इसका कानूनी पहलू स्पष्ट रूप से विस्तारपूर्वक मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने रख दिया है। हमारा कार्य कोई प्री-माईन्डेड या प्री-कन्सीव्ड कतई नही था। हमारा यह कार्य उस घुटन का परिचायक था जो सत्ता पर बैठने वाले मंत्रियों ने पैदा किया। हमारे कार्य में कोई अशिष्टता नही थी। अध्यक्ष महोदय के क्या अधिकार हैं, इस बारे में बिहार हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। जब राज्यपाल महोदय १६५२ में वहां अभिभाषण करने आये उन्होंने आते ही ज्योंही अपना भाषण का एक शब्द पढ़ना शुरू कर दिया तभी से सेशन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की कार्यवाही शुरू हो जाती है. जिन महानुभाव ने यह प्रस्ताव रखा उन्होंने अपनी दलील के अन्दर यह कहा है कि उस समय सदन शुरू ही नहीं था। मैं आपकी जानकारी के लिये हाईकोर्ट का जजमेन्ट जो ए० आई० आर० के पृष्ठ २३४ पर है उसमें संविधान की धारा १७६ व १७५ के सम्बन्ध में क्लेरिफाई करते हुए कहा है कि जिस समय राज्यपाल अपने भाषण का पहला शब्द कहते हैं उसी समय से सदन का आरम्भ हो जाता है। हमने जो कार्यवाही की है वह सदन के आरम्भ हो जाने के बाद की है। संविधान की धारा १७४ के अन्दर राज्यपाल की स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया गया है; उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यपाल महोदय को क्या अधिकार हैं? वे सदन को डिजॉल्व कर सकते हैं, उसको प्रोरोग कर सकते हैं। उसके बाद ही वे पॉवर रिज्यूम कर सकते है। इसके पहले सदन के अन्दर जो अधिकार हैं वे सब स्पीकर को अधिकार हैं, वे सब स्पीकर में वेस्ट होते हैं। जब तक वे लेजिस्लेचर को डिजोल्व नहीं कर देते तब तक वे अपने पॉवर यूटिलाइज नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया है कि हमने सदन का अपमान किया है, हमने अभद्र व्यवहार किया है उस प्रस्ताव मे यह भी कहा गया है कि हमने संविधान पर लांछन लगाया है। मैं आपसे निवेदन करूं बड़ी इज्जत के साथ खड़े होकर इस सदन में माननीय रामानन्दजी ने अपनी बात कहनी चाही थी। वे मुश्किल से दो ही मिनिट बोले होंगे, उस बोलने के दौरान वे राज्यपाल महोदय का ध्यान उन बातों की ओर इंगति कराना चाहते थे जिनको उन्होंने राज्यपाल मोदहय को पत्र द्वारा इंगित करा दिया था। वे राज्यपाल महोदय को अर्ज करना चाहते थे, एक के बाद दूसरे ऑर्डिनेन्सेज टेक्सेज के सम्बन्ध में ऑर्डिनेन्सेज, शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में ऑर्डिनेन्सेज लगातार ऑर्डिनेन्सेज ला रहे हैं उसकी ओर वे ध्यान दिलाना चाहते थे।

(३.०० म.प.)

शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में ऑर्डिनेन्स आप लगातार निकालते चले जाते हैं। ऑर्डिनेन्स पर ऑर्डिनेन्स। सीलिंग बिल को पोस्टपोन करने का ऑर्डिनेन्स और खास कर उस समय जब कि सदन शुरू होने वाला हो और उस सम्बन्ध में भी ऑर्डिनेन्स कि जो पशुकर इस सदन ने रिजेक्ट कर दिया था उसके सम्बन्ध में भी आप ऑर्डिनेन्स जारी करना चाहते हैं, मानो एक तरह से यह सारा राज्य ही ऑर्डिनेन्सों का हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या बात है? राज्यपाल महोदय एक गम्भीर व्यक्ति हैं, एक साहित्यकार हैं। राज्यपाल महोदय ने बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, राज्यपाल महोदय दो-चार मिनट रामानन्दजी अग्रवाल को सुन सकते थे। हो सकता था कि वे बंधे हुए हों तो उस पर विचार व्यक्त न करते। पर सभापति महोदय, यह तो वे कह ही सकते थे कि आप पधारिये मेरे घर पर, आपको मैं समय देता हूं आपकी बातें सुनने का। इन बातों पर आपस में बैठकर विचार किया जा सकता है। जब श्रीरामानन्द अग्रवाल ने उनको चिट्ठियां लिखीं, और अन्य माननीय सदस्यों ने चिट्ठियां लिखीं रामकिशनजी ने लिखीं, उनका उत्तर देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इस सदन में जब एक वर्ष बाद देखते हैं, वे जब आसन से यह बात कह सकते थे और माननीय सदस्य उनके घर पर जाकर इस बात का विचार कर सकते थे, पर केवल दो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मिनट में इस विद्वान ने, इस प्रकांड पंडित ने

× × × ×

उन्होंने वार्निंग देना तक मुनासिब नहीं समझा × × × × संविधान की आज्ञाओं का पालन करना तक ठीक नहीं समझा ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य के कुछ कहने के लिए खड़े होने पर, "बैठ जाओ, बैठ जाओ" की कई आवाजें एक साथ)

(शोरगुल —अश्रव्य)

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह) "× × × ×" इस शब्द को एक्सपन्ज किया जाय कार्यवाही में से ।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच में इन्टरप्शन ठीक नहीं ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : अरे भाई ! गलत तो मत बोलो ।

**श्री मानसिंह महार** : बाद में कह लीजिये, नोट कर लीजिये; पर बीच में इन्टरप्शन क्यों ?

**श्री उपाध्यक्ष** : यदि माननीय सदस्य ने···आॅर्डर प्लीज ! आर्डर !!···"राज्यपाल" ऐसा शब्द कहा है तो वह एक्सपन्ज किया जावे ।

**श्री मानसिंह महार** : × × × × सही बात कहने में क्या डर है ? सही बात कहने में कोई संकोच नहीं । सत्य तो सत्य ही होता है । सुखाड़िया का झालावाड़ ने विरोध किया । वे चमकेंगे तो हमें खुशी होगी ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : गवर्नर का पद और गवर्नर एज पर्सन इसमें हमें डिफरेन्श करके चलना होगा ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : राज्यपाल महोदय ने एक इशारे से इस राजस्थान के सदन के प्रांगण में ऐसा दृश्य उपस्थित किया जैसा भारतवर्ष में कभी भी, कहीं भी उपस्थित नहीं हुआ । भारत में ही नहीं, प्रजातन्त्र वाले किसी देश में भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी, जिसका हवाला आप देते नहीं थकते, जिसकी प्रोसीडिंग्ज़ को आप बार-बार कोट करते हैं, उसके आज तक के सारे इतिहास में भी इस प्रकार का दृश्य उपस्थित नहीं हुआ, जो माननीय सम्पूर्णानन्द ने अपनी अदूरदर्शिता से इस सदन में उपस्थित कर दिया ।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : अपने रूल्स में भी नहीं हुआ यह तो ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : महारावल डूंगरपुर जो विरोधी दल के नेता हैं वे इस बात को कह रहे थे कि राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में निहायत आदर से शब्दों का प्रयोग किया जावे, मैं उसके अन्दर विश्वास करके चलता हूँ और मैं कोई अनादर के शब्द या अनादर की भावना उनके प्रति करने का विचार नहीं रखता हूं । लेकिन जिन परिस्थितियों के अन्दर इन सारी चीजों का जन्म हुआ वे परिस्थितियाँ बहुत स्पष्ट हैं ।

---

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री येमेन्द्रनाथ हांडा)

महारावल साहब फरमा रहे थे कि किसी सदन के सम्मानित सदस्य की एक लात ऊपर और एक लात नीचे, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महारावल साहब आप भी इनमें होते तो आपकी लात भी उसी तरह घसीटी जाती जैसे डाबरिया की घसीटी गई एक लात ऊपर और एक लात नीचे। उस वक्त राज्यपाल को अहसास नहीं था। एक के बाद दूसरे को सदन से उठाया गया। जब रामकिशन जी ने जो कि काफी समझदार और गम्भीर व्यक्ति हैं और उनके खुद के कहने के मुताबिक कि सारे जीवन में केवल दो बार बार वे उत्तेजित हुए। एक बार माननीय दामोदरलालजी व्यास को देखकर और एक बार बहुत साल पहले किसी मौके पर उत्तेजित हुए थे। वे भी इस अवसर को देखकर इस काण्ड को देख कर उत्तेजित हो गये उपाध्यक्ष महोदय। उन्होंने भी बड़ी नम्रतापूर्वक अर्ज किया पर उनको भी सदन से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कोई अपराध नहीं था कि इस राज्य के अन्दर अकाल की विभीषिका नाच रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात के लिए दोषी ठहराये गये हैं। हम किसी बात के लिए दोषी नहीं हैं। हमने किसी विधान का उल्लंघन नहीं किया है। हमने अपने सिद्धान्त के मुताबिक कार्य किया है। हमने कोई अभद्रता नहीं की है। यह कहना अपराध नहीं हो सकता, उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां अकाल की छाया है, आर्डिनेन्सों का राज्य है; बल्कि यह कहना अपराध है कि हम राष्ट्र विरोधी हैं। लोग यह बात कहते हैं हमसे जब कि भारत की सीमाओं पर हमारा बहादुर जवान अपना खून डाल रहा था उस वक्त इस राज्य का रेवेन्यु मिनिस्टर सीलिंग बिल को पोस्टपोन कर रहा था। खुद मैंने माधुराम जी के बयान अखबारों में पढ़े कि जिन्होंने इस बात पर रिजेन्टमेन्ट प्रकट किया कि क्या अधिकार था रेवेन्यू मिनिस्टर को कि कैबिनेट के बिना फैसले के सीलिंग बिल को उठाकर ताक में डाल देते। पर गंगानगर के कुछ मोटे जमींदार और जागीरदारों से अपनी जेब को तर करके रेवेन्यू मिनिस्टर ने एक क्षण नहीं लगाया और सीलिंग बिल को छः महीने के लिए पोस्टपोन करा दिया गया। राज्य का मुख्य मंत्री, राज्य के समस्त पार्टियों के नेता लोग इस बिल की दुहाई दे रहे थे कि इससे अधिक अन्न पैदा हो सकेगा, जब मंत्री लोग और उनके बड़े-बड़े पिछलग्गू अपने-अपने घरों में गमले रखकर अनाज पैदा कर रहे थे उस समय ३६ लाख एकड़ धरती राजस्थान कैनाल की बेकार पड़ी थी, भाखरा क्षेत्र में ६० हजार एकड़ क्षेत्र बिना अलॉटमेंट किये पड़ी रही, गंग नहर की ४० हजार एकड़ धरती बिना परमानेन्ट अलॉटमेन्ट के पड़ी थी। १२ हजार एकड़ धरती जयसर फार्म के नीचे दबी थी। केवल दो हजार एकड़ पर फसल हुई था। तो यह सब क्या राष्ट्रद्रोह नहीं था? कितना अनाज इससे हो सकता था इस धरती के अन्दर से। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं था? हमें कहते हैं कि अभद्र व्यवहार किया राष्ट्र का द्रोह किया। सारे भारतवर्ष में जितनी धरती चार परसेन्ट के पास है, उतनी ९६ पर्सेन्ट किसानों के पास है और ऐसी हालत में भी राजस्थान का रेवेन्यू मिनिस्टर सीलिंग के कानून की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त था और खास कर उस समय जब कि देश को अनाज की सख्त जरूरत है। हमें कहते हैं अभद्र व्यवहार किया, इसके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
सामने तो सीलिंग कानून की धज्जियां उड़ाना भद्र व्यवहार है ! लूणकरणसर में चार-चार दिन तक पानी पीने के लिये नहीं पहुंचा, यह भद्र व्यवहार था उनका !

सारे बीकानेर डिविजन में अकाल राहत कार्य नहीं किया जावे, ३६०० करोड़ रुपया अमेरिका से ले लें और १५०० सौ करोड़ रुपया ब्याज का दें और दो सौ करोड़ की जो कि सत्तर हजार टन अनाज पैदा कर सकती है। राजस्थान नहर का हम वार फुटिंग पर निर्माण नहीं कर सके और देश को पी. एल. ४८० से मुक्त नहीं करा सके। यह सब तो भद्र व्यवहार है। राजस्थान के दरवाजे पर पंजाब के वाटर लोगिंग से इकट्ठे हुए पानी को, जिसकी पोटेन्शियेलिटी मौजूद है गंगनहर भाखरा में और राजस्थान नहर में डालकर देश के भाग्य को नहीं बदल सकते। अगर इस बात को कहें तो यह देशद्रोह और अभद्रता ! आपके इन ३६०० करोड़ रुपयों में तो राजस्थान नहर जैसी १८ नहरें बन सकती थीं। नहीं बनाई। यह आपकी भद्रता थी, यह आपका देश प्रेम था ! एक हजार करोड़ रुपया राजा-महाराजाओं को दे दिया, पर इसमें राजस्थान नहर जैसी कई नहरें बन सकती थीं। पर आपने नहीं बना कर देश-प्रेम का परिचय दिया, भद्रता का परिचय दिया ! यही तो आप समझते हैं न, और ये बातें चूंकि हम कहते हैं, तो देश द्रोही हो गये और अभद्र बन गये।

उपाध्यक्ष महोदय, आबू पहाड़ पर बड़े ठंडे मिजाज से इन सरकार ने घोषणा की कि प्राथमिकता के आधार पर केबिनेट डिसीजन जारी हुआ कि भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर हरिजनों को स्वर्णकारों को, मिलिटरी अफसरों को, जमीन अलॉट की जावेगी। रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट भी आने वाली है और यह स्पष्ट है कि राजस्थान केनाल पर एक हजार जागीरदार ८६ मिलिटरी अफसर और एक नेफा के बार्डर पर लंगड़े हुए सिपाही को जमीन देनी थी। पर आज तक राजस्थान केनाल पर पर्मानेन्ट अलॉटमेन्ट के रूल नहीं बन सके हैं जब कि देश के सिर पर आज अन्न का संकट मंडरा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ११० मील का टुकड़ा पंजाब सरकार ने जितने समय में बना लिया उतने समय में हम ३१ मील का टुकड़ा बना पाये हैं और वह नहर जिसके ऊपर देश का भाग्य निर्भर है, जो कि सारे देश को सेल्फ सफिशियेन्ट बना सकती है यह इतनी मन्थर गति से चले तो यह राष्ट्रद्रोह नहीं तो और कौनसा द्रोह है ? पंजाब नहर को देखलें और जो राजस्थान का टुकड़ा बना उसको देखलें एक-एक हजार फीट के वर्टीकल और होरिजेन्टल क्रेक्स हैं। देश का जवान खून दे रहा है और बोर्डर एरिया गंगानगर के ऊपर पानी की बून्द तक नहीं पहुंचे और सारा का सारा क्षेत्र अकालग्रस्त हो, जवान अपना खून ढोल रहे हों उस समय स्थिति यह हो कि लोगों की फसल तबाह हो रही हो और उस बोर्डर क्षेत्र में बैठे हुए शरणार्थियों को कुर्की की जा रही हो, उनसे ब्याज दर ब्याज वसूल किया जा रहा हो, भूमिहीन किसानों से किश्तें वसूल की जा रही हों और वसूली का ताण्डवनृत्य सारे के सारे गंगानगर जिले में नाच रहा हो और वह भी उन क्षेत्रों में नाच रहा हो जहां कि

Page No. 83



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

फसल का दाना नहीं हो और यह हमसे कहते हैं कि हमने यह अभद्र व्यवहार करके राष्ट्रद्रोह किया है, हमने राष्ट्र का अपमान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से कहूंगा कि राष्ट्र का अपमान हमने नहीं किया है, राष्ट्र का अपमान आप करते हैं। १ करोड़ २० लाख रुपये का गुड़ खा गये चौधरी कुम्भारामजी और एक साल बाद नोहर में जाकर दर्द हुआ जब कि भाषण देने वाले थे........

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) आप कितना गुड़ खा सकते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो एक छटांक से ज्यादा नहीं खा सकता।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा): हांडी भर भर कर जरूर खाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जरूर तर रही होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जांच तक नहीं है। फाइलें दबा दी जायें, मिस्लें दबा दी जायें और इनाम उनको यह दिया जाय कि उन्हीं को बाइज्जत रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया जाय और वह तो बाल बाल बच गये इस राज्य के मुख्य मन्त्री बनने का ख्वाब उनके मित्र लोग ले रहे थे। जब सुखाड़िया जी का सामान विवेकानन्द मार्ग पर आ रहा था, जब वह अपने बच्चों के लिए साइकलें खरीद रहे थे, जब वह अखबारों में बयान दे रहे थे तो चौधरी कुम्भारामजी के भाई बन्धु ख्वाब ले रहे थे कि वह मुख्य मन्त्रीजी की कुर्सी पर बैठ जायेंगे। मेरे साथी मानसिंहजी महार का कहना था कामराजजी के सामने चिल्लाये कि चोरों को हटा कर डाकुओं को मत बिठाइये। उपाध्यक्ष महोदय, वह सूरजभान कांड आज भी गंगानगर के लोगों को नहीं भूला है; वह शंकरिया और भूरा डाकू जो कि गंगानगर जेल को तोड़ कर भागे थे गंगानगर के लोग अभी उनको नहीं भूले हैं और जो चौधरी कुम्भारामजी के यहां ट्यूब-वेल उनके खेत में है वह गंगानगर के लोगों की छाती में कील सी गड़ रही है। बोर्डर एरिया में ट्यूब वेल्स नहीं लगे, घरसाला में नहीं लगे नारा वाली में नहीं लगे, गोमावाली में नहीं लगे; लेकिन ३४ एस. टी. जी. में जरूर लगेगा। नियम है कि जयपुर के १० मील में कोई एग्रीकल्चरल लैण्ड पर मकान नहीं बना सकता है, लेकिन २० रुपये गज की जमीन चौधरी कुम्भाराम को जमीन पर मकान बन रहा है, उपाध्यक्ष महोदय और हमसे यह कहा जाता है कि हम अभद्र व्यवहार करते हैं! किसी को खुश करने के लिए ई. एस. आई. को जमीन दे दी जाती है। और उसके अन्दर अंगूर लगाने के लिए लोन दे दिया जाता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : डूब मरो!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और तो और इतनी जमीन से संतोष नहीं हुआ तो वह पोलिटीकल सफरर ३४ एस टी. जी. के अन्दर मय मुआवजे के कुम्भारामजी अपनी जमीन लेकर बैठे हैं और उनके मुख्य मन्त्री बनने का ख्वाब उनके कुछ मित्र ले रहे हैं। क्योंकि वह पोलिटीकल सफरर हैं और उन्होंने राजनीति में बहुत कष्ट उठाये हैं। इसलिए उनको जमीन मिल गई।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसी चीजें थीं जिनको हम अर्ज करना चाहते थे लेकिन स्पेसिफिकली अर्ज हम श्री सम्पूर्णानन्द जी से उस सम्बन्ध में करना चाहते थे जो कि उन्होंने एक चांसलर के रूप में किया। चांसलर के रूप में एक शिक्षा संस्था के अन्दर एक पुनीत सरस्वती के मन्दिर के अन्दर, जो वकल सम्पूर्णानन्दजी ने किया वह व्यक्तिगत रूप से ही अर्ज किया जा सकता था। जिसके सम्बन्ध में रामानन्द जी ने एक के बाद दूसरा पत्र माननीय राज्यपाल महोदय को लिखे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो चित्र जोधपुर यूनिवर्सिटी का हो चुका है अगर मैं वह चित्र आपके सामने कहूं तो जरा गौर फरमाइये एक के बाद दूसरी फैकल्टी की प्रोफेसर्स अपॉइन्टेड हैं उनके नाम पढ़ कर सुनाता हूं केमिस्ट्री की फैकल्टी में मिस्टर जे.बी. सक्सेना डी. एन. माथुर के.एस.माथुर, ए. के. श्रीवास्तव। मैथेमेटिक्स की फैकल्टी में श्री एम. एम. माथुर, एस. एम. माथुर, जी. एस. माथुर, कुमुद माथुर, आर. के. सक्सेना., एच. एस. श्रीवास्तव। इङ्गलिश की फैकल्टी में श्री जे. एस. सक्सेना, टी. आई. माथुर, एल. आई. माथुर, हिन्द्री की फैकल्टी में पी. एल. माथुर·······

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह माथुरों की बाढ़ आगई क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां, बाढ़ आ गई और दूसरी जगह प्रोफेसर्स पैदा होना ही बन्द हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय, कॉमर्स की फैकल्टी में आर. डी. सक्सेना, बी. एन. सक्सेना, आर. एन. सक्सेना जे. एम. माथुर ज्योतिस्वरूप माथुर। कोई एक भी फैकल्टी बता दीजिये जहां कि इस विशेष वर्ग के लोग न हों। नेशनल इन्टीग्रेशन का यह प्रतीक है। नेशनल इन्टीग्रेशन की बातें करते हैं और उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मिस्टर एस० कुमार जिन्होंने कि उस यूनीवर्सिटी का भट्टा बैठाया, जिन्होंने इस यूनीवर्सिटी के अन्दर इन सारी चीजों को जन्म दिया, जिन्होंने केवल एक डीन ऑफ फैकल्टी को ५० हजार रुपये की रद्दी खरीदवाई और केवल उसको प्रोत्साहन करने के लिये और उसको रिसर्च स्टुडेन्ट्स के जिम्मे डाल दिया। उन्होंने फर्स्ट क्लास को रिजेक्ट करके अपने भाई को अपाइन्ट किया और सोशियोलोजी में एक फर्स्ट क्लास लेडी को न रखकर एक थर्ड क्लास को अपाइन्ट किया। जिनकी कुल ५०० एप्लीकेशन्स आईं उसके लिये ३ सदस्यों की एक कमेटी थी जिसमें श्री एल० एल० जोशी, मिस्टर झा और मिस्टर जान मौजूद थे। उन्होंने ४ घन्टे में ५०० एप्लीकेशन्स को डिस्पोजआफ कर दिया और प्री-मेडीकेटेड लोगों को वहां पर लगा दिया। जिनकी वजह से वह एक शिक्षण संस्था नहीं रही बल्कि एक नर्क बन कर रह गया है। इसी वाइस चान्सलर ने जब रजिस्ट्रार का टर्म खत्म हो गया तो एक ऑर्डिनेन्स के जरिये उसके टर्म को एक्सटेन्ड कर दिया। यह चान्सलर के सिवाय और किसको कहा जाये? और किस्मत से चान्सलर साहब के दर्शन २६ तारीख को हुए। जो पत्र एक के बाद एक उनको लिखे गये उनका उत्तर देना चान्सलर साहब ने उचित नहीं समझा। हम लोग यह बात कहना चाहते थे चान्सलर साहब से, यूनीवर्सिटी वाले चिल्लाते रहे, कोहराम मचता रहा, वाइस चान्सलर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
ने क्या कुछ नहीं किया, क्या बातें नहीं हुई ?

राजस्थान यूनीवर्सिटी के आंकड़ों को खींचकर उसको डेफीसिट में डालकर जोधपुर यूनीवर्सिटी को बनाया । वहां के विद्यार्थियों ने शिकायतें कीं । उनमें आपने इन्क्वायरी कन्डक्ट नहीं की लेकिन जोधपुर यूनीवर्सिटी के अन्दर केवल एक रजिस्ट्रार को रखने के लिये आपने पर्सनली दखल दिया और जोधपुर यूनीवर्सिटी में आपने साम्प्रदायिकता को जन्म दिया ।

यह बात हम कहना चाहते थे उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद से श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, पकवासा, पट्टाभिसीतारमैया की कही हुई बातें सदन के अन्दर दोहरानी पड़ती हैं । ब्लिट्ज को इंटरव्यू देते हुए विजयलक्ष्मी पण्डित ने यह बात स्पष्ट कही थी कि गवर्नर सफेद हाथी है, मैं खुद एक सफेद हाथी हूं । पकवासा ने यह बात कही कि हम सफेद हाथी हैं, पट्टाभिसीतारमैया ने यह बात कही कि हम सफेद हाथी हैं, बीस से तीस लाख रुपये का खर्चा इन पर होता है लेकिन इन चुन कर आए हुए माननीय सदस्यों के मुंह पर ताले पड़े हुए हैं, इनके मुंह पर ताले पड़े रहते हैं जबकि इस राज्य के अन्दर यहां की इकोनोमिकल और इण्डस्ट्रियल डायरेक्टर की सर्वे रिपोर्ट, जिसका रिकार्ड मेरे पास है, राजस्थान की ७० प्रतिशत जनता बीस नये पैसे प्रति दिन पर गुजारा करती है वहां पर बीस से तीस लाख रुपये हर वर्ष इन सफेद हाथियों पर खर्च किये जाते हैं, यह श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित कहती हैं, पकवासा और पट्टाभिसीतारमैया कहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, साठ हजार रुपये की मदिरापान की जाती है जब कि लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती । आपकी धोती खुलने वाली है, जनता आपकी धोती खोलने वाली है............

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : यह धोती आपके कफन में काम आएगी ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : नया मुल्ला है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने प्रजातंत्र की सेवा की है, हमने इस देश की सेवा की है । हमारे लक्ष्मणसिंह जी भले ही कुछ कहें, मैं कम से कम यह मानता हूं और मेरा विश्वास है कि हमने बहुत सही बात की है । हमारा अभद्र होने का कतई इरादा नहीं है, हमने कोई अभद्रता नहीं की और हम बारह में से कोई अभद्र है नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी देश की आजादी में होम डाला है, हमने भी इस वतन की आजादी में हिस्सा लिया है, हमने भी इस वतन के लिए अपने अरमानों और हौसलों का इस देश की आजादी के लिए होमा है । हम भी अगर चाहते तो आई. ए. एस. और आर. ए. एस. हो सकते थे, हम भी इस सरकार के पुर्जे हो सकते थे, हम भी इस सरकार के दलाल हो सकते थे; लेकिन हमने ठोकर मारी है इन चीजों को कुछ सिद्धांतों के लिए, कुछ आदर्शों के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह कामना करके चलना, यह विचार करके चलना और यह सुझाव देना, जैसा कि माननीय सदस्य महारावल साहब ने और सतीशचन्द्रजी ने कहा कि हम क्षमा मांगें, हम कोई क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, हमने कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
हमने कोई कुसूर नहीं किया। यह ब्रूट मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करके हमको अभद्र कह सकते हैं, हम पर यह चार्ज लगा सकते हैं लेकिन हमने यह राष्ट्र के लिए कार्य किया है। मेरी आत्मा में पूरा विश्वास है कि राजस्थान की दो करोड़ जनता और हिन्दुस्तान की ४५ करोड़ जनता यह चाहती है कि हम सही रास्ते पर जावें।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आप १२ ही सही, रास्ते पर जा रहे हैं ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : बारह का ही प्रश्न नहीं है, नैतिक सहानुभूति सारे विरोधी दल की है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनको गुमान है कि आज ये ब्रूटल मेजोरिटि के आधार पर फैसला कर लेंगे, लेकिन ये सारे मंत्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं, ये चौधरी कुम्भारामजी विराजमान हैं, जिन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर्स, राजस्थान के मिनिस्टर, पंजाब के मिनिस्टर्स की एक फौज ले जाकर तीन हजार वोटों से हनुमानगढ़ में हमको हराया। ये जो यहां बैठे हैं, अधिकारियों की मदद लेकर हनुमानगढ़ में हमको हराया है

( शोरगुल )

जिन्होंने कि आर्य नगर में रातों रात भट्टे लगाए और आर्य नगर के तीन सौ मकानों पर सुबह बुल डोजर चलाए।

( शोरगुल )

जिन्होंने रेल मंत्री को ले जाकर पोलिंग स्टेशन को बदलवा दिया। मैं इनको चेलेंज करके कहता हूं और उनके सारे १२ मंत्रियों को कहता हूं कि हमको निकाल दो सदन से। तुम गंगानगर में आओ, तुम्हारी जमानतें जब्त करवा देंगे।

**महारावल श्री लक्षमण सिंह (डूंगरपुर)** : ये जीपें लाये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : हां, जीपों की बाढ़ आगई। कानून बदल गया, एक्साइज का कानून बदल गया, फूड का कानून बदल गया, मलौटपुर के अन्दर पंजाब का जो गेहूं था वह आने लगा। जो गेहूं चालीस रुपये मन बिक रहा था वहां पंजाब का बीस रुपये मन का बिकने लगा और पंजाब के बाजारों में यहां की शराब बिकने लगी। आउट पोस्टें तोड़ दी गई और यह सब करके चौधरी साहब कहां से तीन हजार वोटों से जीत कर आये हैं। ये गंगानगर में आयें और हमसे मुकाबला करें। हमने जो कुछ किया है वह हमने जनता के हित के अन्दर किया है, पूर्ण आत्म विश्वास के साथ किया है, अपने संविधान से कोई अभद्रता नहीं की है। हमने जो कुछ किया है अपनी नैतिकता की दृष्टि से किया है, जुल्म के खिलाफ टक्कर लेने के लिए किया है, जो रात-दिन जनता को कुचलते रहते हैं तुम्हारे राज्य में और जो राज्य के अन्दर समाजवाद कह कर समाजवाद के उद्देश्य हैं उनको ही खत्म कर रहे हैं, समाजवाद के सिद्धान्तों को ही खत्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने आवाज बुलन्द की है और पूरे विश्वास के साथ की है।

**श्री मानसिंह महार** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष कल से जो बहस चल रही है · ·

(कुछ माननीय सदस्य और बोलने के लिए खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष:** आर्डर प्लीज ! एक साथ दो नहीं बोलें।

**श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :** आपकी नजर मेरी तरफ इशारा कर रही है।

**श्री मानसिंह महार :** उपाध्यक्ष महोदय सदन के समक्ष कल से······

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं समझता हूँ कि आप बोल चुके हैं।

**श्री मानसिंह महार :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोला हूँ।

**(शोरगुल)**

पहले कानूनी मसले पर बोला था

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** मेरे दल के सदस्य को भी समय मिलना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष:** उस वक्त आप कानूनी मसले पर बोले थे, अब आप कौनसे मसले पर बोलेंगे।

(शोरगुल)

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):** मैं अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सदन हित में होगा कि पहले ये अपना पॉइन्ट ऑफ व्यू कह दें उसके साथ ही इधर की तरफ की क्या मजबूरी है वह भी सामने आवे और उसके बाद विरोधी पक्ष के लोग उसका जवाब दें।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** सवाल तो यह है कि उनके मुंह पर तो ताला लगा हुआ है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :** उपाध्यक्ष महोदय आप मेरी बात पर व्यवस्था कर दें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम उनकी बात सुन सकें और वे हमारी बात सुन सकें, वे हमको समझावें और हम उनको समझावें और उसके लिए व्यवस्थित डिस्कशन हो, यह आवश्यक है। कम से कम जो प्रोसीक्यूशन है, वह एक तरफ से अपनी बात रख दें, उसके बाद आप बोलेंगे और हम भी अपनी बात कह सकेंगे, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा उसका देने जवाब का और इसमें कोई बात तो ट्रेस आउट कर सकेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर):** माननीय सदस्य ने कहा कि जो बातें प्रोसीक्यूशन में हैं, कह दे; मैं समझता हूँ कि सदन के सामने कोई प्रोसीक्यूशन नहीं है, एक प्रस्ताव है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं, मैंने अपना एक्सप्रेशन यह दिया है कि आपके सामने हमारी मजबूरी भी आ जावे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, आप यह डिसाइड कर दें कि यह बहस कब तक चलेगी ?

**श्री मानसिंह महार (आमेर) :** यह तो बहुत अहम मसला है, बहुत देर तक चलना चाहिये।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** आप जवाब तो दें मेरी बात का।

**श्री उपाध्यक्ष :** (श्री महार से) आप प्रारम्भ कर चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष ....

श्री उपाध्यक्ष : आप लीगल पोइन्ट पर बोल चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : अब मैं इनको डिफेन्ड करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कल जब सरकारी पक्ष के चीफ व्हिप की तरफ से यह मोशन आया, सब्स्टेन्टिव मोशन, उसके सिलसिले में मैंने एक बात कही थी, मैंने यह कहा था कि जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ यह मोशन लाने का, जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ कि १२ सदस्यों को सदन से निकाला जाय सत्र के अन्त तक, वह कॉज ऑफ एक्शन सही है या गलत है, इसका फैसला पहले होना चाहिए। मेरा कल पहला आर्ग्युमेन्ट यह था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस मसले को टाला गया, इस पर विचार नहीं किया, चेयर ने इस पर रूलिंग नहीं दिया और यह कह दिया कि सब्स्टेन्टिव मोशन है इस पर बहस हो सकती है। मेरा दूसरा मसला यह था कि उनको निकाला गया वह सही है या गलत कदम है, इसका फैसला पहले होना चाहिये क्योंकि यह अहम मसला है, ऑल इन्डिया पोइन्ट है। ऑल इन्डिया ही नहीं मैं बताडूं कि जिनको निकालने को सोचते हैं, मैं सूचित करना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी को कि आज या कल आप उनको निकालने की बात करेंगे, तो ये परसों ही सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे। आप इस बात को गौण रख कर बात करते हैं, यह गलत है। आप लीगल पोइन्ट को पहले देखिये। यह देखिये कि गवर्नर ने जो एक्शन लिया, वह कांस्टिट्यूशनली सही है या गलत। यह दुर्भाग्य की बात है, मुझे दोहराना पड़ता है कि इतनी बहस के बाद भी यह मसला वैसे ही पड़ा है। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये, उधर मन्त्री पक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको कल के बाद २४ घन्टे का समय और मिला, इस बीच आपने लीगल आस्पेक्ट से जांच कर वाली होगी। यदि कर वाली है तो सम्बन्धित मन्त्रीजी से या चीफ मिनिस्टर साहब से आशा करूंगा कि वे इस बारे में एक स्टेटमेन्ट सदन में दें, ताकि इस पर सही ढंग से बहस हो सके। आप मैटर को मिक्स मत करिये। यदि कोई गलती की है तो उसका निराकरण करें। मेरी मान्यता है कि सदन से सदस्यों को निकालने का अधिकार हमारे अध्यक्ष महोदय को है न कि गवर्नर को। जिन १२ आदमियों को गवर्नर ने निकलवाया, वह अन-कॉंस्टिट्यूशनल है। मैं अब भी नम्र निवेदन करता हूं कि आप उस पक्ष के मित्रों को समझाइये। आप उनसे कहिये कि सजा मत दीजिये वे बहुमत में है........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मिनिस्टर सो रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : वे बहुमत में हैं इसलिये हाउस के फैसले के बाद निकाल सकेंगे लेकिन मैं आपको जता देता हूं कि भारतवर्ष को धोखा देकर मत निकालिये, आप काम कीजिये काम के तरीके से और लोगों को यह कहने का मौका मत दीजिये कि राजस्थान की विधान सभा में काठ के उल्लू बैठते हैं जिन्होंने बिना लीगल आस्पेक्ट देखे ही काम किया। मैं भी इसमें हो आता हूं लेकिन मैं यह सुनने को तैयार नहीं हूं। आप सुनने के आदी हैं क्योंकि हर जगह जाते हैं, वहां यही होता है लेकिन मैं नहीं हूं इसक,

(श्री मानसिंह महार)

आदि । इसलिये सदन का और मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह मेरी पहली बात है ।

दूसरी बात यह है कि मेरी बायीं तरफ बैठने वाले मित्रों ने ऐसा एक्स्ट्रीम काम क्यों किया इस पर भी विचार करें । मैं इस बारे में अभी नहीं कह रहा हूं सही किया या नहीं । इसका विश्लेषण भाषण के अन्त में करूंगा जब फैसला दूंगा, क्या सजा देनी चाहिये या मुक्त किया जाय, लेकिन इससे पहले कारणों की ओर जाऊंगा........

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : आपने फैसला दे तो दिया ... ....

**श्री मानसिंह महार** : मेरे फैसले से तो बरी हो ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : फैसला इसलिये दे दिया कि निकाला गया वह गलत है । यह आपका फैसला हो गया ।

**श्री मानसिंह महार** : मैं निवेदन करूं, यह बहुत अहम मसला है । अब तक १४ भाषण हुए गवर्नर और राजप्रमुख के, लेकिन कभी यह बात नहीं हुई । इस प्रकार राजप्रमुख के भाषण हुए या गवर्नर के भाषण हुए लेकिन किसी विरोधी पक्ष के सदस्य ने कभी ऐसा किया हो । विधान सभा में कम्युनिस्ट भी बैठते थे, एस. एस. पी. के लोग नहीं थे, लेकिन एस. पी. वाले बैठते थे और भी विराधी पक्ष के लोग बैठते हैं लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रीम स्टेप नहीं लिया । क्या कारण हुआ यह देखना है कि अब इन मित्रों ने यह कार्यवाही क्यों की ? इस तरफ हम आयेंगे तो मैं समझता हूं, सरकारी पक्ष वाले यह बात मानेंगे कि हमारी गलती जरूर है, विरोधी पक्ष वाजिब बात कहता है तो हम सुनते नहीं, यह सही है आज जो एक्स्ट्रीम स्टेप्स इन मित्रों ने लिया उसका कारण यह है कि सुखाड़ियाजी ने जो केबिनेट रिशफल की, उसमें दो डकैत कहिये या डाकू कहिये उनको शामिल किया........

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : मैं सिर्फ भाषा के लिए कहूंगा, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाय । कम से कम संयत भाषा में बात करें ।

**श्री मानसिंह महार** : हाई कोर्ट के फैसले में किसी को अपराधी माना जाता है वही मन्त्री बन कर बैठ जाय तो मैं कहूंगा....

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मन्त्री, शिक्षा) : (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

**श्री मानसिंह महार** : मैं आपसे अर्ज कर रहा था........

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : On a point of order, Sir, मैंने ऐसी बात इन्टरफियरेन्स करने के लिये नहीं कही जिससे आप बुरा मानें । कोई बात इस तरह की कही जाय तो उस पर आपका रूलिंग होना चाहिये । पहले भी आपके रूलिंग हुए हैं । बैठे रहने से चलेगा नहीं । कम से कम ऐसे शब्द नहीं रहने चाहिये ।

**श्री मानसिंह महार** : आप चेयर को डांटते हैं, शर्म आनी चाहिये ! उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष इन कारणों पर प्रकाश डाल रहा था ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यहां

(श्री उपाध्यक्ष)

सभी सम्माननीय सदस्य उपस्थित हैं वे बहुत ही कुशल भाषा में बड़ी सुन्दर सुसंयत भाषा में एक दूसरे को कुछ बात कह सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जब आर्ग्युमेन्ट्स सुन्दर तरीके से रखे जा सकते हैं, अभद्र भाषा से बचा जा सकता है तो उससे बचना चाहिये। चोर, डाकू इत्यादि विशेषण हैं उनका प्रयोग न किया जाय और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के शब्दों से हमेशा बचा जायगा।

**श्री मानसिंह महार :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि जो डाकुओं जैसे कारनामे करें उनका पार्लियामेंटरी भाषा में किस तरह से वर्णन करें, उनको निहायत ईमानदार कहें या क्या कहें ? पार्लियामेन्टरी भाषा का दूसरा शब्द बता दें तो मैं उसका उपयोग करूं। मैं कम पढ़ा-लिखा हूं, जानता नहीं हूं। जो उपयुक्त शब्द हों वो बता दें।

मैं जितना संयत हो सकता हूं; जितनी मृदु भाषा बोलने की योग्यता होगी उतना बोलकर सामने बैठने वाले मित्रों की तारीफ करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इस प्रकार की बात जब कही जाती है, जबकि उधर बैठने वाले मित्र भी सब सीमाओं को छोड़ देते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, जब कोई सीमा दुनिया में रहती नहीं है तो हमें भी सीमा के पार जाना पड़ता है जैसे कि इस पक्ष में बैठने वाले मित्रों को जाना पड़ा।

(विराम)

मैं उनका केस प्लीड करता हूं। आपसे कहता हूं, उधर बैठने वाले मित्रों से, भाषा का सवाल आया, मेरी भाषा पर मेरे एक मित्र ने ऐतराज किया तो एक भाषा का ही दिग्दर्शन करा दूं। राजस्थान मंत्रिमण्डल में एक बहुत वरिष्ठ.......

**श्री उपाध्यक्ष :** अपना रिजोल्यूशन भाषा पर नहीं है।

**श्री मानसिंह महार :** बिल्कुल उसी पर चल रहा हूं, यह क्या हो रहा है। मैं वही चीजें बता रहा हूं। आज गवर्नर का अपमान क्यों होता है, मंत्री का अपमान क्यों होता है और इसके लिए हम बाध्य क्यों होते हैं ? एक वरिष्ठ सदस्य, जिनका नाम मैं बाद में बताऊंगा। अभी नहीं। पहले अपनी बात कह लूं फिर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी सवाई-माधोपुर के दौरे पर वह गये। तो सवाई माधोपुर की जनता को अनाज का कष्ट था, कुछ जमीन का कष्ट था, सरकारी ऑफिसरों के तबादले के बारे में, पटवारियों के बारे में कष्ट था—इन कष्टों को दूर करने की बात उनके पास जब नहीं गई तो उन्होंने उन मंत्रीजी का काले झंडों से स्वागत किया। सायंकाल जब सवाई माधोपुर में क्या हुआ, जो मैं मंत्रीजी का काले झण्डों से स्वागत की बात कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों की सही बात थी, ब्लैक फ्लेग डिमोन्स्ट्रेशन आखिर एक न्यायिक चीज है, वह इसलिए किया जाता है कि हमें आपके कारनामों से असंतोष है। तो पब्लिक मीटिंग में मंत्रीजी क्या कहते हैं ? आज मेरा काले झण्डों से कुछ लोगों ने स्वागत किया। इस काले रंग से तो मेरा बड़ा प्रेम है। वे कहते हैं, यह नहीं पूछते लोगों से कि आपको क्या दुःख है, आपको क्या दर्द है ? कहते हैं, इस काले रंग से तो मेरा विशेष प्रेम है। यह पब्लिक मीटिंग में कहा है। मैं २० तारीख को सवाई माधोपुर में मेरी पार्टी की ओर से टैक्स विरोधी दिन

# Page No. 91



(श्री मानसिंह महार)
मनाने गया था। वहां मुझे हजारों आदमियों ने कहा है, किसी एक आदमी ने नहीं। तो वह कहते हैं, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माताजी काली घाघरी पहिने हुई थीं इसलिए पैदाइश से ही काले कपड़े से प्रेम है। एक ब्लैक फ्लेग डिमोन्स्ट्रेशन इस राज्य के राजस्व मंत्री के खिलाफ हो और वह डिमोन्स्ट्रेशन का इस भाषा में जवाब दें......

**श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई आदमी इरादे के साथ शरारत के नाते से बात कहे तो आपको उसको देखना चाहिए।

**श्री मानसिंह महार** : बिल्कुल, आपका नाम लेकर कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आंख खुली हुई है, आप कान और दिमाग को भी खोलिये। × × ×

**श्री कुम्भाराम आर्य** : आप प्रति करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आपने वाक्य कहा है, यह एक्सपंज किया जाता है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा)** : उपाध्यक्ष महोदय, वह भी एक्सपंज कर दीजिये, जो मैंने लिख कर दिया है। वह आपकी मेज पर है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर....

**श्री मानसिंह महार** : आप "उल्लू" शब्द के लिए तो पहले टाइम की प्रोसीडिंग्ज उठा कर देख लीजिये।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : "शरारत" शब्द है वह किसी प्रकार से अनपार्लियामेन्ट्री आज तक ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्री में भी नहीं हुआ....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व)** : It is unparliamentary.

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : और हिन्दुस्तान और राज्य की विधान सभा में किसी का कोई व्यवहार शरारती कहा जा सकता है। यह सभ्य भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग आज तक मान्य रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वर्ड के बारे में। क्योंकि वर्ड्स जो एक्सपंज होते हैं वह कौन से वर्ड एक्सपंज किये जा सकते हैं इसको विचारिये क्योंकि कानूनी राज्य है और प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के सम्बन्ध में जो नियम हैं उनमें यह है कि जो वर्ड बिल्कुल आपत्तिजनक हों और जिनको असभ्य करार किया हुआ, जो आक्षेप लगाते हैं, उस प्रकार के शब्द को अनपार्लियामेन्ट्री माना जा सकता है..

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : आपकी रूलिंग पर डिबेट हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इसलिए मेरा निवेदन है कि यह शब्द प्रोसीडिंग्ज से निकाला नहीं जा सकता।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि यह शब्द जो "शरारत" है यह पार्लियामेन्ट्री है या अनपार्लियामेन्ट्री ? तो इस प्रकार के कई शब्द हैं जो प्रयोग में आते हैं—कई शब्द तो सीधी प्रकार से अभद्र होते हैं और

---

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

इसलिए उनका प्रयोग अवांछनीय होता है। और कुछ शब्द विशेषणात्मक दृष्टि से अवांछनीय हो जाते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग द्वारा, जिन शब्दों के किसी वाक्य के साथ प्रयोग द्वारा अगर किसी विशेष माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेपात्मक या सीधा आक्रमणकारी अर्थ निकलता है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारी स्वच्छ परम्परा के अनुसार अवांछनीय ही उसको समझना चाहिये और उसका प्रयोग इतने हद तक नहीं किया जाना चाहिए। हम आर्ग्यूमेन्ट का लेवल बिल्ड-अप कर सकते हैं और तरह से भी, किन्तु शब्दों की अभद्रता में जब हम चले जाते हैं तो मैं स्वयं मानता हूं कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट के चयन में कमी आ जाती है अथवा हमारे पास भाषा इतनी उपलब्ध नहीं होती कि जिसके प्रयोग से ढंग से बात कही जा सके, अच्छी भाषा के अन्दर भी इतनी तीखी और कटती हुई बात कही जा सकती है जो ज्यादा चोट कर सके सुनने वाले के ऊपर। बाकी जब गाली से कुछ कहा जाता है तो वहां व्यक्ति को अच्छी भाषा पर कमान्ड नहीं होता इसीलिए गाली से कहने की बारी आती है। इसलिए मैंने पार्लियामेन्ट्री और अनपार्लियामेन्ट्री शब्द के ऊपर एक बात रख दी।

**श्री मानसिंह महार** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के जंजाल में नहीं पड़ता हूं। मैं तो थोड़ा बहुत इधर के मेरे मित्रों की मदद में कह रहा हूं। मैं आर्ग्यूमेन्ट आगे डेवलप करता हूं कि मैं कोई आर्ग्यूमेन्ट ऐसा तीखा पेश करता हूं कि मेरे मित्रों की सहायता ज्यादा हो जाती है तो मंत्री पक्ष के लोग तिलमिला उठते हैं।

**श्री कुंभाराम आर्य** : यह सही नहीं है।

**श्री मानसिंह महार** : बिल्कुल सही है। आज थोड़ा आप बोले तो सही। मुझे मजा आज आ गया। आप मैदान में आये हैं, यह पहला मौका है; यह मेरा सौभाग्य है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : सदस्यों के कष्ट पर खुद मजा ले रहे हैं।

**श्री मानसिंह महार** : अरे बैठ भाई! क्यों "मीं-मीं" करके मेरा टाइम खराब करे?

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष कह रहा था कि मसला बहुत अहम् है, अगर....

**श्री दलपतसिंह (आबू)** : Your advocacy is unnatural.

**श्री मानसिंह महार** : मंत्री मण्डल का कोई सदस्य बाहर जाता है और उसको वहां काले झंडे दिखाये जायें तो कहते हैं, काले रंग से विशेष प्रेम है क्योंकि काली घाघरी में पैदा हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, यह अहम मसला है। यह सोचने की बात है............

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)** : फिर रिपीट कर रहे हैं।

**श्री मानसिंह महार** : हम कहां जायें, कैसे करें। कहिये आप, क्या करें? ब्लैक फ्लेग डिमोन्स्ट्रेशन एक हाइएस्ट डिसकन्टेन्टमेंट दिखाने के लिए हो, उसको इस प्रकार कन्टेम्प्ट से देखा जाय, तो हम कहां जायें? इस प्रकार की बात कही जाती है। मंत्रियों के दफ्तर में जाकर कोई बात कही जाय तो उस पर ध्यान नहीं देते। मैं आप से जोर से कहता हूं एक ताजी बात जो एक दूसरे महकमे के बारे में है, चौधरी साहब के बायें हाथ में

(श्री मानसिह महार)
सटे विराजमान मंत्री हैं उनके बारे में ताजी बात कहता हूं।

गये वर्ष में मेरे गांव में बिजली लगी। मेरे गांव में बिजली लगी और बिजली लगने के बाद........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर)** : मुबारिक हो।

**श्री मानसिह महार** : फिर क्या हालत हुई वह देखिये कि हमारे यहां पर बीस-तीस दिन तक, जब गेहूं और जौ को पिलाने का टाइम आता है, बिजली काट दी जाती है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : जलन हुई उन्हें ?

**श्री मानसिह महार** : बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा हाउस को तो कंट्रोल कीजिये।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : आप जैसे हाउस के सदस्य बोलते हैं तो हाउस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप दूसरों की दुहाई देते हैं।

**श्री मानसिह महार** : उपाध्यक्ष महोदय, आज के पांच दिन पहले मैं गया, तो जौ और गेहूं में अब जीव पड़ रहा है, बाल आ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो गेहूं में पानी देना आवश्यक है। तो जब मैं गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने प्रथम शिकायत यह की कि साहब चार दिन से बिजली नहीं आ रही है। मैंने सोचा कि क्या बात है। इसलिए वहां के सब-स्टेशन पर गया और वहां जाकर मैंने कहा—क्या बात है चार दिन से बिजली बन्द है। जयपुर से बन्द है तो मैं वहां जाकर लोगों की शिकायत दूर करूं। तो बोले, नहीं साहब, महार से आगे गुलाब बाड़ी और ढोली बिजली जा रही है। वहां देने के लिए वहां के लाइन मैन ने बिजली काट दी है। तो मैंने कहा कि तब तो सामोद में भी बन्द होगी।

**श्री कुंभाराम आर्य** : अध्यक्ष महोदय, आप कौनसे गांव की बात कहते हैं ?

**श्री मानसिह महार** : महार।

**श्री कुंभाराम आर्य** : वह आपका गांव नहीं है।

**श्री मानसिह महार** : मैं वहां का सरपंच हूं। वहां का जागीरदार हूं।

वे गांव आपके नहीं है समझे कि नहीं। वह आपका दुर्गापुरा नहीं है जहां कि घुस गये हो डाकुओं की तरह से। और मैं यह कहूंगा कि यह कहना मेरा अपमान है कि महार मेरा गांव नहीं है।

( शोरगुल—व्यवधान )

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : Again repetition of unparliamentary language.

**महारावल श्री लक्ष्मणसिह** : Both please seek the protection of the chair.

**श्री मानसिह महार** : मैं वहां पर एक "रुस्तम रुस्तम" करके लाइन मैन था उससे मिला और कहा कि भाई यह क्या अन्याय करते हो। हमारे यहां पर बिजली नहीं आ रही है और इस कारण हमारे यहां पानी नहीं मिलता है और साखें जली जा रही हैं। उसने कहा कि ऊपर के आदेश यह थे कि सामोद से लाइन बन्द मत करो और दूसरी जगह से बन्द कर दो। मैंने पूछा कि आगे से काम हो सकता

(श्री मानसिंह महार)

है या नहीं तो उसने कहा कि हम तो कहीं से लाइन बन्द करें तो हो सकता है। मगर उनको आदेश थे। तो मैंने कहा कि ऊपर वालों से जाकर मैं इस सम्बन्ध में कहूं। तो उसने कहा कि कल से नहीं काटेंगे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया वही ठीक है गलती हो गई। तो यह विक्टीमाइजेशन इस तरह से होता है, यह मैंने कहा।

( शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य )

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह से विरोधी पक्ष वालों का विक्टीमाइजेशन किया जाता है।

**श्री हरिश्चन्द्र** (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अगर विक्टिमाइजेशन करना होता तो बिजली नहीं ले जाते।

**श्री मानसिंह महार** : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनकी हद तो देखिये XXXX की !

(बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल तथा व्यवधान )

**श्री हरिश्चन्द्र** : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर............

**श्री मानसिंह महार** : मैं पहले कह दूं, आप बाद में बोल लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, उनियारा में बिजली लगाई गई........

**श्री उपाध्यक्ष** : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

**श्री हरिश्चन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो XXXX शब्द माननीय सदस्य ने प्रयोग किया है उसको एक्सपन्ज किया जाना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : If it has been used, it is expunged.

**श्री मानसिंह महार** : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कितना नीचा स्तर है, इन मंत्रियों को यह बताना चाहता हूं।

**श्री हरिश्चन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, ये कितना नीचा काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को मत भूलिये कि आप अपने भाइयों के पेट पर छुरी चलाना चाहते थे।

( शोरगुल )

**श्री मानसिंह महार** : मैं आपसे भीख नहीं मांगना चाहता हूं।

( शोरगुल–व्यवधान)

**श्री हरिश्चन्द्र** : यह हमारा नीचा स्तर है या आपका नीचा स्तर है आप मुझसे ऐसी बात कहते हैं। आपको सारी बातें बताऊंगा....

(शोरगुल–व्यवधान)

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : इसीलिये तो इनको जलन हुई कि आपने सही काम कर दिया और आपकी बात नहीं चली।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : दोनों भाइयों के बीच में यह सड़क न निकले।

**श्री मानसिंह महार** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनियारा में बिजली

---

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

# Page No. 95



(श्री मानसिंह महार)
का उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री पधारे...........

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सड़क नहीं निकली है।

एक माननीय सदस्य : इधर से भी बोलने वाले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल और आज से बतावें कि आपकी तरफ से कौन बोला है? कांग्रेस से कोई बोलता ही नहीं। ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस की तरफ से कोई है ही नहीं। आपकी तरफ से न कल बोला न आज बोला।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप चाहते हैं कि हाउस में मुठभेड़ हो।

श्री मानसिंह महार : तो उपाध्यक्ष महोदय, उनियारा के बिजली का उद्घाटन करने माननीय मंत्री महोदय जाते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-प्लीज ! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस पर राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस होगी उस पर आप कह सकते हैं। यहां पर आप जो कॉन्स्टीयूशनली रोग है उस पोइन्ट पर कहें।

श्री मानसिंह महार : मैं बिल्कुल पोइन्ट पर कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप प्रस्ताव पर बोलें।

श्री मानसिंह महार : तो मैं कह रहा था कि उनियारा में बिजली का उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्रीजी पधारे थे तो वहां पर कहते हैं कि यहां पर विरोधी पक्ष के एम.-एल.ए. हैं। मगर ये हमारे दोस्त हैं इसलिए यहां बिजली आगई वर्ना दो वर्ष तक बिजली नहीं आती। यह मैं उनके विचार बताता हूं।

(श्री हरिचन्द्र के खड़े होने पर)

श्री मानसिंह महार : अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : आप पूछ लीजिये।

श्री मानसिंह महार : आपने यह नहीं कहा, आप यह कह दीजिये। आप नट जावें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने नहीं कहा।

श्री मानसिंह महार : मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे बढ़ कर कोई बात नहीं हो सकती; यह चमड़े की जुबान है, मगर आदमी है तो उसकी जुबान ही है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपकी जुबान जरा कन्ट्रोल में रहे तो ठीक है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : मिट्टी में मिलने की ताकत है, तब जुबान खोलते हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : आपने अपने भाषण में कहा था, आपने हमारे सामने कहा।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने क्या कहा ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने यह कहा था कि विरोधियों को आपने चुन कर

# Page No. 96



(श्री मथुरेशविहारी माथुर)
भेजा है। आप हमारा पल्ला पकड़ेंगे तो आयन्दा भी कार्य करेंगे और यह बिजली लगा दी है।

आपने यह बसवा में अपने भाषण में कहा। जब आप बसवा तहसील में उसका उद्घाटन करने आये तब कहा था। यह बात आपने मेरे सामने कही और मैं यह बात चार गवाहों से साबित कर सकता हूं।

**श्री हरिश्चन्द्र** : मैंने यह कहा होगा कि कांग्रेस ने यह काम किया है।

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !!

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : आपने कहा कि हमारा पल्ला पकड़िये।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने यह कहा कि कांग्रेस ने यह किया है तो यह भी गलत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : जब मुख्य मन्त्रीजी यह मानते हैं कि ऐसा कहना भी ठीक है........

(शोरगुल-व्यवधान)

**श्री हरिश्चन्द्र** : कांग्रेस सरकार ने काम किया है। स्वतन्त्र पार्टी ने तो किया नहीं।

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !!

(४.०० म. प.)

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज !

**श्री मानसिंह महार** : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष एक बहुत अहम मसला रख रहा हूं। मैं उन कारणों का विश्लेषण कर रहा हूं जिनसे मजबूर होकर राज्यपाल के अभिभाषण के समय हमारे माननीय सदस्यों को कुछ बातें कहनी पड़ी। मुख्य मन्त्रीजी अपने मन्त्रिमण्डल में सुधार करें। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि अगर मंत्री लोग विरोधी पक्ष की बात नहीं सुनें, बिजली का उद्घाटन करने जायें तो इस प्रकार की ऊट-पटांग बातें करें और काले झंडे बतायें तो इस प्रकार की बातें करें........

**श्री चन्दनमल बैद** (उप-मन्त्री, विद्युत्) : इस खेत में सड़क नहीं निकलवायें........

(शोरगुल)

**श्री मानसिंह महार** : अजी रहने दीजिये, अब आप थोड़े दिन के ही हैं, क्यों खुशामद करते हैं ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : आप पट्टा लिखा कर लाये हैं ?

**श्री मानसिंह महार** : इस कुर्सी का तो पट्टा लिखा कर लाया हूं जिस पर कि बैठा हुआ हूं।

**श्री चन्दनमल वैद** : ६२ से पहले किस कुर्सी पर बैठे थे ?

**श्री मानसिंह महार** : वह तो छुट्टी पर गया था, मैं कुर्सी का चिपक महादेव नहीं हूं ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मंत्रियों का रवैया....

**श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री)** : आगे भी छुट्टी लेने का विचार है ?

**श्री मानसिंह महार** : अब तो आपके साथ लूंगा छुट्टी ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आज सुखाडियाजी चले गये तो आपके मन्त्रि-मण्डल के कई लोग छुट्टी ले लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : छुट्टी ले लेंगे ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : नहीं फूलचन्द जी ! आपका नम्बर आने वाला है, पर चन्दन मलजी का नम्बर चला जाय, अगर मुख्य मन्त्री चले जांय तो ।

**श्री मानसिंह महार** : अबकी तो उन्होंने बहुत खुशामद की है सुखाडियाजी की आपको रहने दीजिये ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, हम मन्त्रि-मन्डल के सदस्यों के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट हैं ।

**श्री दिनेशराय डांगी (उप-मन्त्री, सिंचाई)** क्यों चूंटिया भरा था हमने ?

**श्री मानसिंह महार** : चूंटिया तो भरो तो वह कर दें कि जिंदगी भर याद रखो । अरे । तुम तो वही हो जो प्रतापसिंह कैरों को मरवा आये । कायर ! डरपोक ! ....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

**श्री मानसिंह महार** : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ दिनों पहले डांगी साहब, छत्रसिंह हरजी को कॉन्स्टीट्यूएन्सी में पहुंचे और वहां कहते हैं कि पांच-सात राजपूतों को मार डालो तो इन राजपूतों से पिंड छूट जाय । यह आपके कांग्रेस के उपमन्त्रियों का नमूना है, जो कांग्रेस जातिवाद के खिलाफ बात करती है, इस तरह जातिवाद का जहर फैलाते हैं ये लोग........

(शोरगुल)

नट जाओ, डांगी साहब जो नट जायें तो हरजी ठाकुर मौजूद हैं ।

(शोरगुल)

**श्री दिनेशराय डांगी** : नहीं कहा, हमको मारते हो ।

(शोरगुल)

**श्री छत्रसिंह (आहोर)** : नाथूरामजी और आप थे, आप सदन के सामने झूठ बोलते हैं··

(शोरगुल)

**श्री दिनेशराय डांगी** : आपकी रूह मुझ से कांपती है, आपने कहा था डांगी साहब ने गाड़ी चलाई, गाड़ी तोड़ दी····

**श्री छत्रसिंह** : मैंने नहीं कहा । मैं कहूं क्या आपके बारे में ? आप गोली से किसी को नहीं मरवा सकते····

(शोरगुल)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मिनिस्टरों की बात करो, इन छोटे डिप्टियों की क्या बात करते हैं ?

**श्री मानसिंह महार** : मैं जनसंघ के मुख्य सचेतक की राय मानता हूं और ऐसे कीड़े-मकोड़ों को छोड़ता हूं।

**एक माननीय सदस्य** : डर गये।

**श्री मानसिंह महार** : जिस राजस्थान में ऐसे उप-मंत्री बैठे हैं, जिनका पी. ए. पाकिस्तान से षड्यन्त्र करने में शामिल है···

(शोरगुल)

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा) : अभी वह केस सबजुडिस है; आप बात कर रहे हो सबजुडिस केस की····

(शोरगुल)

**श्री मानसिंह महार** : मैं निवेदन कर रहा था कि इस राजस्थान में.................

राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल में ऐसे फिफथ कॉलमिस्ट मन्त्री बैठे हैं, विभाग भी कौनसा, डिप्टी मिनिस्टर होम, डिप्टी मिनिस्टर होम का पी. ए. . . .

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह आगरे का किला अब भी रोता है ·········

(शोरगुल)

**श्री मानसिंह महार** : आपको····

(शोरगुल)

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : वह आगरे का किला अब भी रोता है, मुसलमान की क्या बात करते हो ?

(शोरगुल)

**श्री मानसिंह महार** : तुम जैसे कपूत बेटे होंगे तो रोवेगा ही।

(शोरगुल)

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : बापरे ! बापरे ! ! . . .

**श्री मानसिंह महार** : हायरे ! पागल हो गया आचार्य ! हाय राम गया आचार्य ! !

(शोरगुल)

(श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री मानसिंह महार के साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : आज तो सबसे पहला नम्बर ले गये, आचार्य साहब !

(शोरगुल)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह साहब होली का भाड़ू बोल रहा है क्या ?

( शोरगुल—श्री निरंजननाथ आचार्य बोलते रहे–अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! आर्डर !

**श्री मानसिंह महार** : जिस केबिनेट में पाकिस्तान के फिफथ कालमिस्ट बैठे हैं, जिस मन्त्रि-मण्डल में गुड़ घोटाला कांड का करोड़ों रुपया खाये हुए बैठे हैं . . . . .

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मेरा सुझाव है कि मेन्टल होस्पिटल के डा० व्यास को फोन कर दिया जाय, उधर बार बार दौरे पड़ रहे हैं।

**श्री मानसिंह महार** : मेरे इन मित्रो के लिए सरकारी पक्ष की ओर से जो प्रस्ताव आया है उसको पारित नहीं किया जब मन्त्रि-मंडल के सदस्यों को रीज़नेबल बात कही जाती है तो उन बातों पर ध्यान नहीं देते, दामोदरजी व्यास ने भरतपुर जिला परिषद के लिए एक आर्डिनेन्स निकलवाया······

**श्री उपाध्यक्ष** : यह सब आप रिपीट कर रहे है।

**श्री मानसिंह महार** : आप देखिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं किस बात पर आ रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करूं कि एज आर्डिनेन्स यह निकाला कि अगर एम. एल. ए., एम. पी. ने किसी कारण से शपथ नहीं ली हो तो उनको वोटिंग का अधिकार होगा, पंचायत एक्ट में एक और भी बहुत अहम आर्डिनेन्स लाकर रद्दोबदल की है, वह यह है कि किसी भी सरपंच, पंच या इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव के खिलाफ कोई अगर थोड़ी बहुत भी शिकायत हो तो सरकार को अधिकार है कि उसको इमीजियेटली सस्पेन्ड करे।

यह बहुत घातक चीज है, मोरल टरपीट्यूट की बात हैं। यह दीखने में कुछ नहीं है लेकिन हो सकता है कि हमारे मन्त्रिमण्डल के अधिकांश सदस्य जो बगरू और दौसा के डाक बंगलों में किसी नटनी के साथ रहते हैं उसको लाकर अर्जी दिलवा सकते है कि फलाने सरपंच ने मेरे खिलाफ इस प्रकार की बात की उसकी जांच कुछ नहीं और आर्डिनेन्स निकाल दिया कि··········

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (शिक्षा मन्त्री) : इलेक्शन पिटीशन में भी यह बात की थी।

**श्री मानसिंह महार** : जरा जोर से कहिये तो यह घातक चीज है उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। यह बात डिक्टेटरशिप से कम नहीं है। आज हमारी सरकार जो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ अग्रसर हो रही है। यह नहीं, मेरी कॉन्सटीट्यूएन्सी के अन्दर और जोधपुर में रूपसिंह की कॉन्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर···

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं समझता हूं कि आप प्रस्ताव के बिल्कुल बाहर जा रहे हैं।

**श्री मानसिंह महार**—: मुझे अगर आप यही फरमा दें कि बोलो मत तो मैं आपके हुक्म को शिरोधार्य करूंगा लेकिन मैं यह विश्लेषण यूं कर रहा हूं कि इन मित्रों को इतने भावावेग में क्यों आना पड़ा। उन्होंने ऐसा काम किया कि हमारे राज्यपाल किंग ऑफ इङ्गलैंड के मुकाबले हमारे राज्यपाल का यह बीच, ऐसी गल्ती कर दी कि बीच में बोल दिया, यह भारी पाप! मैं समझता हूं कि जो सजा दी जा रही है वह बहुत तुच्छ है इनको सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए।

**श्री मुकटबिहारीलाल गोयल** : (बयाना) कम से कम ६ महीने की फांसी देनी चाहिए।

**श्री मानसिंह महार** : जिस भूमिका के के अन्दर इन मित्रों को मजबूर होकर इस प्रकार व्यवहार करना पड़ा वह तो केवल टोकिन प्रोटेस्ट था। वे राज्यपाल को बताना चाहते थे कि आप जो रोज रोज आर्डिनेन्सों पर आंख मींचकर दस्तखत करते हैं वह गलत है। राज्यपाल बहुत ही निक्योरिटी में घिरे रहते हैं उन तक ये बातें नहीं जाती जनता-जनार्दन का क्या रीएक्शन है वह राज्यपाल तक नही जाता और जब हम लोग

(श्री मानसिंह महार ) :

चिट्ठियां लिखें तो राज्यपाल का जवाब नहीं। जवाब न मिलने पर इन मित्रों ने सोचा कि शायद चिट्ठियां भी रास्ते में उड़ाई गई। ये राज्यपाल महोदय की बोनाफाइडी को चेलेंज नहीं करते। उन्होंने सोचा कि राज्यपाल को जो डाक भेजते हैं उनको भी सरकार सेन्सर करके बीच में रोक लेती है। अब इनके पास क्या चारा था ? या तो जाते राज्यपाल के बंगले पर और वहां कोई कांड करते। इसको उन्होंने उचित नहीं समझा। यहां पर राज्यपाल महोदय पधारे तो इन्होंने बहुत इनोसेंटली, क्योंकि सदन की परम्परा ये और हम बहुत जानते हैं, अगर दो चार मिनट हमारे दुख दर्द की बातें हम कहते हैं तो आप जैसे, लिबरल उपाध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष महोदय जैसे लिबरल आदमी हमको पांच मिनट के बदले १० मिनट कर लेते हैं तो इजाजत देते हैं। इनको मालूम नहीं कि उस दिन राज्यपाल महोदय खुद ही स्पीकर का काम हाथ में लेंगे, नहीं तो बैठ भी जाते। ये अपने आर्ग्युमेंट को डेवलप कर रहे थे, इतने में 'आर्डर, आर्डर' के कानों में तीन शब्द आए। मैंने सोचा आज पुराना १९५२ वाला आर्डर चला आया और आर्डर खत्म होते ही हमारे सार्जेन्ट साहब ने सलाम मारी और लपके और साम्यवादी मित्र को उठा लिया। मैं आपसे शिकायत करना चाहता हूं, वह इनका रिमूवल नहीं था, १२ सदस्यों का किडनैप किया गया इनका मुकदमा दायर होना चाहिए और यह केस हाई कोर्ट में आपकी तरफ से जाना चाहिए। हम आपकी प्रोटेक्शन में जीते हैं इस चेयर की प्रोटेक्शन में। अगर चेयर का प्रोटेक्शन नहीं हो तो ये मंत्री हमें गोली से उड़वादें लेकिन आपका प्रोटेक्शन है उस दिन हमारा दुर्भाग्य था कि आपका प्रोटेक्शन इन लोगों के सर पर से उठ गया १० मिनट के लिए और यह किडनैप का कांड हुआ और बोडिली लिफ्ट किया गया। इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपकी तरफ से हाई कोर्ट में रिट होनी चाहिए यह आपके अधिकारों का हनन है—चेयर के अधिकारों का.....

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : Fantastic ;

**श्री मानसिंह महार** : वकील बहुत हैं जो फ्री ऑफ चार्ज पेरवी करने को तैयार हैं मैं लाऊंगा। यहां श्री सतीशचन्द्र वालंटीयरी करते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : फिर रेप मत कह देना, उसका नहीं करूंगा।

**श्री मानसिंह महार** : दुर्भाग्य से इनमें से कोई रेप के लायक नहीं, नहीं तो वह भी हो जाता। तो वास्तविकता की तरफ जा रहा हूं, सदन को बिलकुल सही स्थिति की तरफ ले जा रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया।

**श्री मानसिंह महार** : एक घंटे में से लोगों ने १५ मिनट ही बोलने दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : दूसरों के अधिकारों का हनन न करें।

**श्री मानसिंह महार** : मैं अब एक इम्पोर्टेन्ट मसला सरकार को बताना चाहता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

**श्री मानसिंह महार** : १२ माननीय सदस्यों को सारे सत्र के लिए निष्कासित किया जायगा तो इतना समय तो हम लेंगे जितना समय वे १२ आदमी डेढ़ महीने में ले लेते । उतने समय पर तो हमारा अधिकार है, हम ले लेंगे । यह आज खत्म होने वाला मसला नहीं है । बहुत अहम मसला है । यह भारत के रेकार्ड में एक नयी ऐतिहासिक परम्परा पड़ी है । यह कोई सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है । हिन्दुस्तान की भी नहीं, बल्कि एशिया की डेमोक्रेसी में एक ऐतिहासिक घटना है । यह वह घटना है जिसकी गूंज आपके राजस्थान या जयपुर में ही नहीं है बल्कि भारत के कोने २ में है । भारत में ही नहीं है इसकी गूंज चीन में भी है और हमारे जो राईटिस्ट कम्युनिस्ट्स हैं उनकी आवाज तो रूस में भी पहुंच गई है । रूस भी आंख निकाल कर कह रहा है कि हमारे आदमियों को भी डेढ़ महीने के लिए निष्कासित कर रहे हो । यह पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी का हनन है । इंग्लैंड और अमरीका तो इन चीजों को मानते ही आए हैं । जैसा मैंने कल बताया था, वह क्या करे । वे देखते हैं कि भारत भी इस प्रकार की घटनाए होने के बाद एशिया के और देशों के पद-चिन्हों पर जा रहा है ।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

मैं खत्म कर रहा हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मित्रों ने जो कुछ किया वह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए इनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दें । जैसे डाक्टर अपनी खुद की बीमारी में अपने को दवाई नहीं देता इस तरह से इन मित्रों ने भी देखा कि यह हमारा खुद का मामला है, वे देखते है कि वे डेढ़ महीने के लए निकाल रहे हैं, वे अपने लिए नहीं कह सकते, यह हमारा ही फर्ज है कि हम उनकी पैरवी करें और सरकारी पक्ष के दिमाग में यह बात डालें कि डेढ़ महीने का समय बहुत ज्यादा है ।

कुछ दस दिन, पांच दिन की बात हो, एक-दो दिन की बात हो तो हम मान लेते, टोकन बात होती तो हम मान लेते; लेकिन यह नहीं, और पूरे सत्र के लिये, यह सोचकर कि बजट सेशन आखिरी सेशन है और हमारी परेशानियां अधिक हो जावेंगी इसलिए उनको निकाल दिया जाय, यह कोई उचित बात नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय । इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते ।

मैं आपसे कहूं कि इस पक्ष में बैठने वाले मेरे जो मित्र हैं उन्होंने जो कुछ किया उसका दायित्व इस सरकार पर है । उनकी जो कुछ बातें है उन्होंने नहीं सुनी । ये कहते हैं कांग्रेस की मदद करो तो बिजली लग जाय, कांग्रेस की मदद करो तो ठेकेदारों से कमीशन दिला दें ।

( समय समाप्ति-सूचक घंटी )

जो इस प्रकार की बात करते है, जो ठेकेदारों को फाइनेन्स करते हैं, मुझसे कहलाते हैं वे लिस्ट सदन में आयेंगी, ठेकेदारों के फाइनेन्स करते हैं । ठेकेदार उनके महलों में रहते है, उनको सस्ते २ ठेके दिलाये जाते हैं । इन दलालों से हम परेशान हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up your speech,

श्री मानसिंह महार: टाइम बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट।

श्री मानसिंह महार : तीन मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट में आप इसको खत्म कर दें।

श्री मानसिंह महार : आप हुक्म दें और उसकी तामील न करूं तो मेरा जैसा नालायक नहीं।

तो मैं कह रहा था कि इन मित्रों ने जो कुछ किया उन दलालों से दुखी होकर किया। आज कहा जाता है कि बिजली चम्बल से नहीं आ रही है, मंत्री लोगों को फायदा हो गया। ट्रान्सफोर्मर्स ८० लाख और २ करोड़ के जगह-जगह से खरीद हो गए, कमीशन मोटा-मोटा मिल गया। मरे तो हम जैसे गरीब जिनको बिजली नहीं मिली। सड़कों में भी यही हो रहा है। किसी पर्टीक्यूलर महिला सदस्या की कॉन्स्टिट्यूएन्सी में सड़क जाय तो दो मील का उसको चक्कर देकर ले जाया जाय उसकी चिन्ता नहीं। रोड़ावास गांव है बैराठ कॉस्टिट्यूएन्सी है उसके पास होकर सड़क जाने के लिए उस को दो मील का चक्कर दिया गया, कितने सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, आप यह समझ सकते हैं।

श्री बलपतसिंह (आबू) : आपके खेत में सड़क जा रही थी तो आपने आब्जेक्शन लिया कि दो मील से होकर निकालो क्योंकि इससे छुट भाइयों को नुकसान होता है।

श्री मानसिंह महार : मैं आपसे अर्ज करूं कि झूठ बोलने की भी कोई हद होती है और मैं जानता हूं कि मंत्रीजी ने इन लोगों को गुमराह कर रखा है। ये तो बेचारे कभी वहां गए भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानसिंह महार : मेरे ऊपर चार्ज लगाएं और मैं न बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ....

श्री मानसिंह महार : मैं मम-अप तो कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : कर लीजिये।

श्री मानसिंह महार : बैराठ कॉन्स्टिट्यूएन्सी में रोड़ावास गांव है उस गाँव को छुपाने के लिये तीन गावों से जो सड़क जा रही थी उसको छुड़वा कर सड़क को दो मील का चक्कर दिया गया।

ऐसी हालत में हम लोगों के पास क्या रह जाता है। अभी तो गवर्नर के साथ हुआ है। यही सरकार का रवैया रहा तो इन मन्त्रियों के साथ उससे भी बदतर होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़े दुख का विषय है और जिस वातावरण में इन सारे मसले पर विचार करना चाहिये उस वातावरण से सदन बार बार बाहर निकलता जा रहा है। मेरा यह विनम्र निवेदन है सारे सदस्यों से कि इस मसले पर एक बहुत हल्के रूप से नहीं बल्कि इस मसले पर सही तौर पर, जिम्मे-

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

दारी के साथ, उसको समझते हुए उस वातावरण में विचार किया जाय। इस वातावरण में, मैं विरोधी पक्ष से उम्मीद करता हूं कि जो भी बात मेरी समझ में आयी मैंने कभी उनकी बातों की ताईद करने में गुरेज नहीं किया।

आज तकरीरें होती हैं, लेकिन इस सदन के अन्दर जो अहम मसला है इस सदन को चलाने का, यह सदन चले या नहीं, कार्यवाही आगे बढ़े या नहीं, मौलिक रूप से सदन के सामने जो समस्या है उसका समाधान सही तौर से करें, उस तरफ ध्यान दें, बनिस्बत इसके कि हमको बहुत सी दिक्कतें हैं, उनके अन्दर हमारी बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, व्यक्तिगत शिकायतें हो सकती है सरकार से और कॉन्स्टिट्युएन्सी की भी शिकायतें हो सकती हैं। कुछ मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन उन शिकायतों के लिये इस वातावरण का उपयोग किया जाय तो यह हास्यास्पद होगा कि फलां मंत्री ने कार्यवाही नहीं की, इसलिये इस सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया जाय।

इस मसले पर जितना दुख दूसरे सदस्यों को है उससे कहीं ज्यादा दुख इस प्रस्ताव को लाने के लिये सबसे ज्यादा मन्त्रि-मण्डल और कांग्रेस को दुख है कि सदन में चार साल तक काफी अच्छी तरह टीका-टिप्पणी करते हुए जनतन्त्र को चलाते रहे और एक दूसरे को समझने में दिक्कतें नहीं आयीं और चार साल बाद कई साथियों के साथ, जिनके साथ चार साल तक कन्धे से कन्धा भिड़ा कर चलते रहे, जब चुनाव का वक्त आ रहा है कुछ साथियों के साथ इस प्रकार के व्यवहार के लिये मजबूर होना पड़ा है जिसकी उम्मीदन सरकार को जब सत्र बुलाया उस वक्त थी, न गवर्नर को थी और न सदस्यों को और पार्टियों को ही थी कि हमारे चार दिन इस चीज में खत्म हो जायेंगे कि इस प्रकार की घटना घट जावेगी और उस पर सदन को सोचना पड़ेगा। मैं यह कहूंगा कि ट्रेजरी बेन्चेज को यह प्रस्ताव लाने में कोई खुशी नहीं है। यह भी कहूंगा कि इस सब चीज के विषय में कुछ कारण कुछ लोगों की निगाह में यह हो सकते हैं कि यह स्थिति बर्दाश्त काबिल नहीं है लेकिन उसकी तरकीब एक ही है, इसका इलाज एक ही है कि १२ आदमी जो ८ लाख जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं वे ३॥ करोड़ जनता के प्रतिनिधियों को कोर्स नहीं कर सकते। (विराम) मैं उस बेक ग्राउन्ड में और राजनैतिक स्थिति की ओर से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं।

कांग्रेस एक संस्था और पार्टी है। दूसरी पार्टीज भी है। जनसंघ एक पार्टी है, स्वतन्त्र पार्टी एक पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी यह विधान लायी जिसने यह स्टेबिलिटी दी, मैं सेन्टीमेण्टली इस बात को रखना चाहता हूं कि कांग्रेस इस विधान को लायी वह किसी पार्टी के लिये नहीं लायी, वह किसी डिक्टेटरशाही के लिये नहीं लाई, जनतंत्र के लिये और उसकी सोवरेन्टी के लिये लायी। वह विधान २० साल से चल रहा है। इस यज्ञ में सभी पार्टीज हिस्सा ले सकती हैं। तीसरी दफा चौथी दफा हम इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं।

( श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा )

इस वक्त हम खड़े हैं मैं कहना चाहता हूं कि चार पार्टियां हमारे यहां ऐसी है जो जनतंत्र में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी जनसंघ पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी, और सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन इनके अलावा एक पार्टी ऐसी जो पोलीटेरिएट डिक्टेटरशिप में विश्वास करती है। उनका यह इरादा है कि वे किसी भी तरह से हो इस जनतंत्र को बदनाम करें, इस तरह का वातावरण पैदा करें जिससे जनता में अविश्वास पैदा हो, यह एक पार्टी का प्रोग्राम है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपकी यह फूट पैदा करो और राज्य करो वाली नीति यहां चलने वाली नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह गुन्डागर्दी किनके हाथों से हुई है, आपको यह पता है ? विधान सभा के सदस्यों को मुक्के मार कर, धक्के लगा कर निकाला जाता है, क्या उस पर एतराज नहीं कर सकते? यह किसने किया है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात श्री सुराणा साहब ने रखी उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं अभी जब विरोधी दल के नेता बोल रहे थे तो उन्होने झट कह दिया कि कि हम उनकी लीडरशिप में एकत्रित हो जायेंगे लेकिन जब सजा की बात आयी तो वे चुपचाप होकर बैठ गये। मेरा मकसद डिवाइड एण्ड रूल करने का नही था। डिवाइड करके रूल करने वाले चल भी नही सकते, क्योंकि आज किसी एक आदमी की सरकार नहीं है, जनता कि सरकार है। अगर जनता ही डिवाइड होती है तो हम और आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन जहां तक जनतंत्र का सवाल है उसमें आपकी पार्टी और मेरी पार्टी दोनों उसके सिद्धांतों पर चलेगी।

इसलिये मैं अर्ज कर रहा था, एक पार्टी ऐसी है जिसका एक ही मकसद है। वह पार्टी क्या करती है कि देखती है कि किसका दरवाजा खुला है उसमें प्रवेश कर उसको तोड़ फोड़ करने की चेष्टा करती है। यह मैं दिल से बात कहता हूं बनावटी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका मौका आने पर आपके साथ मे भी उनका विरोध करूंगा। सरकार ने कुछ चीजें ऐसी भी की है जिनका विरोध हो सकता है। लेकिन एक पार्टी ऐसी जो यह देखती है कि नये हुए घाव में उंगली डालकर उसको सहलाना चाहती है, ऐसी हालत करना चाहत. है जिससे लोग गुस्से की स्थिति में आ जायं। गुस्से की हालत में वह हालत हो जाती है कि दिमाग काम नहीं करता। यह मनोविज्ञान की मान्यता है। जब गुस्सा आता है तो तर्क करने की क्षमता नहीं रहती है इसमें तर्क की कोई बात भी नही थी। कुछ पार्टीज का इस प्रकार का मकसद रहा है और दिन रात वे इस चेष्टा में लगे रहते हैं, कि चीन स्पोर्टस जो है, जिनको डी.आई.आर.के तहत गिरफ्तार कर रखा है उनको बाहर लाने के लिए वातावरण पैदा किया जाय। वे लोग ऐसा वातावरण बनाने के लिए जहां नयाघाव होता है उसमें उंगली डालकर उसको कुरेदना चाहते हैं और वे यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि यहां केऑस हो जाय, और उन्होने ऐसा मौका चुना।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पोइन्ट ऑफ इनफोरमेशन, सर, मैं आपकी इतला के लिए सूचित करना चाहता हूं कि डी० आई० आर० को खत्म करने के लिए सब से बड़ा रोल स्वतन्त्र पार्टी अदा कर रही है जो चीन को दुश्मन मानते हैं। आपने लेफ्ट कम्युनिस्टों को पकड़ रखा है इस अपराध में तो आप उन पर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उनके खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाते ताकि जनता को उनकी हालत का पता चल जाय। हमारी पार्टी डी० आई० आर० की विरोधी है। जनसंघ पार्टी का इसमें क्या रोल है, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन आज तीन पार्टियां देश में इस डी० आई० आर० का विरोध कर रही हैं। प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि हम इसको जल्दी हटाने वाले हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह मैं मानता हूं आपकी पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी इस डी० आई० आर० का विरोध कर रही हैं। हम भी इस पक्ष में हैं कि डी० आई० आर० की स्थिति हमेशा कायम न रहे। मैं इस बात पर आपसे एग्री करता हूं लेकिन मैं यह भी सोचता हूं कि कुछ लोगों को आज भी चीन की तरफ समझा जा रहा है, उनको पकड़ा है खैर इस बारे में जो भी आल इण्डिया पॉलिसी होगी उसी के अनुसार यहां कार्य होगा। यह केवल राजस्थान में ही इस प्रकार की बातें हो यानि इनको गिरफ्तार किया हो यह बात नहीं सारे देश में गिरफ्तारियां हुई हैं इस बारे में कौनसी पार्टी इनीशियेटिव लेकर आगे बढ़ रही है, यह मैं नहीं कह सकता। मैं कोई डी० आई० आर० का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, यह रहे या नहीं रहे। लेकिन यह बात आप सोचें कि जिनके हाथ में डेमोक्रेसी को चलाने का जिम्मा है उनका एक कर्तव्य है।

मैं अब दूसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कुछ लोग गुस्से में थे, उन्होंने उस समय उससे काम लिया। उसके बाद जब यह काण्ड हो गया, उसके बाद कुछ लोग फिसल जाते हैं और कहते हैं उनका राज्यपाल को रोकने का इरादा नहीं था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह कोई किस्सा नहीं है माननीय सदस्यों का राज्यपाल की आलोचना करने का इरादा नहीं था। गवर्नमेन्ट ने जब ऐसे कार्य किये तो राज्यपाल का ध्यान दिलाने का उनका फर्ज था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह किसने कहा कि हमने जानबूझ कर नहीं किया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त" वाली बात करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप तो फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें करते हैं। हम जानते है कि आप किसके कहने से बोल रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे शान्ति से यही कहना चाहता हूं कि आप सब ने और हमने डेमोक्रेसी में विश्वास किया है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं क्या यह ऐसा मौका था जिसका इस प्रकार से फायदा उठाया जाय कुछ चीजें सरकार को बदनाम करने के लिए क्या यह उनका कार्य नहीं था ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) यह : सरासर गलत बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था, आप इन्कार कर सकते हैं लेकिन दूसरे इन्कार नहीं कर सकते। मैं यह बात सदन के लिए कहना चाहता हूं हर व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप से सोचने का अधिकार है और कहने का अधिकार है लेकिन क्या वह समय इसके लिए उपयुक्त था। मैं अपोजीशन के नेता से पूछना चाहता हूं, किसी दूसरे की कीमत पर बड़ी दिल अफजाई करना बड़ी बात है लेकिन जिम्मेदारी के साथ किसी बात को करना किसी बात पर बड़ा दिल करना बड़ा मुश्किल होता है और उस समय कुछ अन थेंकफुल जोब भी करनी पड़ती है।

मैं जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं क्या इस तरह की हरकतें उनके शासनकाल में होती तो आप क्या करते? क्या आप ऐसे लोगों को छोड़ देते? मैं इन कम्युनिस्ट साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपकी पोलीटेरिएट डिक्टेटरशिप होती है उस समय ऐसी हरकत होती है तो आप उन लोगों को गोली नहीं मार देते?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उस समय गवर्नर साहब के पास भी यदि पिस्तौल होती तो वे भी गोली मार देते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऐसी हालत में जो पार्टी जनतन्त्र में विश्वास करती है उनसे मैं इल्तजा करता हूं कि कुछ भी वे करें सोच समझ कर करें, किसी के पीछे घिसटते हुए न जाएं। स्वतन्त्र रूप से करें। उनका वेन्टीलेशन डेमोक्रेसी का बना है। आपको ऐतराज है तो भी सरकार को सुनना पड़ेगा। बहुमत की बात भी आपको सुननी पड़ेगी। उनके लिये जायज है तो माननी भी पड़ेगी। आपके एक दो के कहने से नाजायज नहीं हो सकती। सरकार एक आदमी के पीछे नहीं चलेगी, १।। करोड़ जनता के नुमाइन्दों के पीछे चलेगी। जायज-नाजायज आपके खयाल से नहीं होगा। एक बहुमत वाली पार्टी राज्य करती है तो वह जनता से अपने सिद्धान्तों के बल पर उनके वोट हासिल करके मेजोरिटी बनाकर राज्य करती है। १।। करोड़ जनता अपने हितों को खूब समझती है। उसने आज कांग्रेस को बहुमत में चुनकर सत्ता में भेजा है। आज कांग्रेस को एक अनथेंकफुल जोब मिला है।

मैं एक बात कहूं। कानून का इन्टरप्रिटेशन क्या है, मैं इसमें नहीं जाता। मैं कानूनदां नहीं हूं। पर वे कानून की इतनी बड़ी दुहाई दें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे अजमेर में क्या हुआ? एडल्टरेशन एक्ट के मातहत एक दूध वाले का चालान हो गया। पानी मिलाया था उसने दूध में। जुर्माना हुआ उस पर हजार रुपये का। कोई मुकुटजी जैसा वकील उसको मिल गया। उन्होंने फरमाया कि तू अपनी दूकान पर एक बोर्ड लगा दे और क्या लगा दे? यह लगा दे कि "यहां पर पानी में दूध मिलाकर बेचा जाता है।" फिर देखते हैं तेरा कोई कैसे चालान करता है। और वाकई यह बात सच निकली कि जब पानी में दूध मिला कर बेचने लगा तो तुम्हारा कानून कुछ नहीं रहा।

ऐसे ही आज जितने तर्क हुए कानून की दृष्टि से, कानून का सहारा लेकर कोई प्रोवीजन नहीं है, इस बात को कहकर कोई लॉलैसनैस नहीं की जा सकती। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो इस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सदन के १।। करोड़ जनता के प्रतिनिधियों को भी आजादी है, अधिकार है कि वे क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं सुनना चाहते। अब अगर १।। करोड़ जनता के प्रतिनिधियों को १२ लाख के प्रतिनिधि अपने अधिकारों के उपभोग करने से वंचित करना चाहें तो यह कोई चीज नहीं है।

और भी, भगतसिंह का नाम लेते हैं। मैं किसी की बात नहीं करता। भगतसिंह ने जो बम फेंका असेम्बली में उसे जस्टिफाई करता हूं। पर उसकी दुहाई ये दें "मिट्टी न पिट्टी का शोरबा।" मैं आपको याद दिलाऊं वह आधी से ज्यादा नोमिनेटेड होती थी। पिछलग्गू सरकार के उसमें बैठा करते थे। जनता के प्रतिनिधि वे नहीं होते थे ठाकुर और वे लोग बैठा करते थे। चुने हुए लोग नहीं बैठते थे, हमको यह पसन्द नहीं था। यहां चुने हुए लोग हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आज भी तो आप उनसे क्या कम हैं?

( शोरगुल—अश्रव्य )

आज की यह सरकार उस गवर्नमेन्ट से हजार गुना बुरी है, बदतर है। पापी है।

( भारी शोरगुल )

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस फैक्ट को रखना चाहता हूं। मैं अर्ज यह कर रहा था कि वह सरकार विदेशी थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह डालडा घी का पीपा उनसे अच्छा है!

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह हांडी तो बिल्कुल खाली बोल रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जनता में गलतफहमी नहीं रहे इसलिये यह बात कहना चाहूंगा। एक बात भगतसिंह वाली। उस सरकार से सबको लड़ना चाहिये और लड़ने का अधिकार है। इसके साथ साथ उस गवर्नमेन्ट के खिलाफ आप बम नामक चीज फेंकें और यह कहा गया कि हम स्वराज्य लेंगे। तो वह हमारा एक विश्वास था। किसी गुलाम मुल्क में, पैदा होना न होना हमारे हाथ में नहीं था। पर उस विदेशी शासन को हटाने के लिये आवाज उठाते-उठाते मर जावें, फांसी पर चढ़ जावें यह हमारा विश्वास था। इसलिये यह हम सब करते थे।

आज अंग्रेज गये। देश में डेमोक्रेसी का राज्य कांग्रेस लाई। जनता लाई। कांग्रेस किसी मकान का नाम नहीं है। कांग्रेस उस सबकी भावना और तुम्हारे बाप-दादाओं की भावनाओं का फल है जिसकी वजह से देश में जनतन्त्र आया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप लोग ज्यादातर इससे मुंह छिपाते हैं। आजादी की लड़ाई किसको कहते हैं यह आप लोग क्या जानें? आप तो दूध पीने वाले मजनूं हैं। कांग्रेस की हुकूमत नहीं रहती तो मालूम पड़ता इन मजनुओं को। मरे ढोर को जैसे छोड़ कर भाग जाते हैं वैसे भाग जावेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दूसरी बात; जो सिंसियरली कहते हैं, ईमानदारी की बात कहते हैं मैं उनको बहुत ही वेलकम करता हूं। आज नहीं हैं मेरे दोस्त रामकिशन जी। मैं रामकिशनजी से पूछना चाहता हूं और मैं मुकुटबिहारीलालजी से पूछना चाहता हूं।

**श्री सांवलियाराम** : ये तो जेल से मांफी मांग कर आये हैं।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : यह मुंह और मसूर की दाल! जिस पर कत्ल का मुकदमा किया हुआ है........

(शोरगुल—अश्रव्य)

मैंने कोई भी काम किसी पर अहसान के लिये नहीं किया। मैंने कुर्बानी अपने जीवन की देने का साहस किया था।

और ये कहें; ये लड्डू खाने वाले मजनू, ये दूध पीने वाले मजनू! जो........

(शोरगुल—अश्रव्य)

सुखाड़िया साहब ने........

(शोरगुल)

जमीन के टुकड़ों के लालच में और दूसरे लालच के हाथों बिक गये। कुछ तो शरमाओ। मानसिंह की गोदी में बैठ कर चन्द टुकड़ों में बिक गये। ........

(शोरगुल—अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज!!

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जो सदन में हैं निवेदन करना चाहूंगा। क्या आप विरोधी सदस्यों पर इस तरह के आक्षेप करवाना चाहते हैं, बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए। और अगर करवाना चाहते हैं तो उनसे करवाइये जो कांग्रेस के बहुत सक्षम कार्यकर्त्ता शुरू से रहे हैं। उनसे क्या करवाते हैं जिनको कल आपने विरोधी दल से उठाया है कुछ लालच देकर। जिनके कोई सिद्धान्त नहीं, नीति नहीं; क्या उनके मुंह से आक्षेप कराना ही आपने ठीक समझा है? कुछ मान्यताओं और सीमाओं को बनाइये।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं थोड़ा निवेदन करूं। मैं बोलना नहीं चाहता था। पर अब जो बात सामने आई है, उस पर यह भी निवेदन कर दूं कि मैं किसी माननीय सदस्य पर आक्रमण करवाना तथा और तरह की बात करवाना, यह माननीय सदस्य भी जानते हैं कि मेरी वृत्ति में नहीं है।

इस सदन में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि मैं समझता हूं कि इससे जिन चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं राजस्थान में कुछ काम करना चाहते हैं, लाभ नहीं मिलने वाला है।

लेकिन इस पक्ष से अनेक बातें कही गईं, उस पक्ष से कही गईं या क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य अपने आपको टटोल कर देखें तो अनुभव होगा कि जिस प्रकार की स्थिति यहां बन रही है और उस पर जो वातावरण बन रहा है मैं बहुत नम्रता से फिर यह निवेदन करूंगा कि हमे जो यहां पर चीजें करनी हैं, सारा राजस्थान किस प्रकार से आगे बढ़े, उसकी प्रगति हो, यह विधान सभा राजस्थान के उन कई गम्भीर प्रश्नों को हल करती है, उनकी तरफ निगाह रख कर चलती है, क्या उसमें यह वातावरण हमें कुछ मदद कर सकेगा?

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अब मैं दुख से बैठा रहता हूं, सुनता हूं और दिल में कोई खुशी नहीं होती कि जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, मैं उस पर दरख्वास्त करूंगा आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों से कि इस सारे वातावरण को गम्भीर बना कर, समझ कर हम आगे को कार्यवाही करें। इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न करें, इसके बारे में तो हमेशा ध्यान रख कर चलता हूं। सारा वातावरण सही प्रकार का बने, इसके लिये दूसरों से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह की स्थिति बनाने में वे भी मदद दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने एक बात रखी कि कोई पार्टियां अपने सिद्धान्तों में सख्त होती हैं। जो पार्टियां डेमोक्रेसी में विश्वास करती हैं उन पार्टियों को आगाह रहना चाहिये ऐसी पार्टियों और तबकों से कि जो तबके डेमोक्रेसी को हर तरह नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और इस लिए हमें और भी जागरूक रहना चाहिये। यह एक वह तरीका है, यह वह चलन है कि दोस्ती न सही अदावत ही सही, कम से कम बातचीत के सिलसिले में तो रहो। इन लोगों के तरीकों का शिकार यदि देश हो गया तो दुश्मनी और दोस्ती के ताल्लुक भी खत्म हो जायेंगे, इसलिए इन पार्टियों का शिकार नहीं होना चाहिए।

बहुत कुछ सिद्धान्तों की बातें होती हैं तो उस समय मुझे हंसी आती है। हंसी यों आती है कि मैं भी आर्डीनेन्सेज़ के खिलाफ रहा हूं। और आगे तक रहूंगा। यह चर्चा का विषय है नहीं, फिर भी चर्चा आई है तो इसमें सुकरात और प्लेटो और गांधीजी को बात को लाया गया। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इनको क्यों बीच में घसीटा जाता है। बात तो यह है कि खास तौर से आप नहीं जानते, छोटे से टुकड़े की होगी है आपके यहां भी होती होगी। कुछ लोग थोड़े से थे और भाइयों में झगड़ा हो गया और उसकी वजह से एक जगह कोई साहब आ गये। आ गये, बहुत अच्छी बात है और उसके बाद में कोई साहब उन भाइयों में मिल गये तो कहने लगे कि निकलो घर से। जब यह झगड़ा आया, उसके बाद की बात नहीं करता हूं लेकिन एक बात मेरे दिल में साफ है और उसमें सम्माननीय सदस्य मुकुटबिहारीलालजी की बात भी कह दूं। जब श्री दामोदरलाल जी व्यास का इलेक्शन हुआ तो उनकी पार्टी का केन्डीडेट खड़ा हुआ, लेकिन वे वजूहात क्या थे, यह कौनसी पोलीटिकल ईमानदारी की बात थी कि साथ नहीं दिया। खाली मुकुटबिहारी जी रह गये और वह रामकिशनजी खुद भाग गए, क्योंकि उनको इनाम मिल गया था........

श्री रामानन्द अग्रवाल: (अलवर) उनको इनाम मिल चुका था, इसकी सफाई की जानी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं यह देख कर आया हूं।........

श्री रामानन्द अग्रवाल: पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य ने अभी अपना भाषण देते हुए एक बहुत ही गम्भीर बात कही है कि धौलपुर में चुनाव लड़ते हुए रामकिशनजी इनाम लेकर बैठ गये, तो यह एक आरोप है.......

# Page No. 110



**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जिन्होंने चुनाव लड़ा है यानी दामोदरलालजी व्यास ने, उन्होंने इनाम दिया इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आपकी तो आदत है मेरी बातों को नहीं सुनने दिया जाय। यह तो आपका पेशा है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपने कहा है। जो कहा है उससे आप निकलते क्यों हैं ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : इसमें निकलने की कोई बात नहीं है। जनता की सोवरेन्टी के लिए एक बात कहना चाहता हूं। इन्सान बनना कठिन है, देवता बनना सरल है। इस लिए इन्सान बनो, इन्सान।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : इन्सान बनो या जमूरा ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : वह तो आप पहले से ही हैं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : और तो सब ठीक है लेकिन इस जो किन के बॉक्स को तो जरा बन्द कराओ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : और जो किन के बॉक्स में इनको बन्द कर दो।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : इसके साथ ही आपका अविश्वास इस सरकार में इस हद तक बढ़ जाये कि आपको इलेक्शन के अन्दर जनता को बताना चाहिए और गवर्नमेन्ट फेल हो और इस गवर्नमेन्ट के जो मास्टर हैं जो सोवरिन पीपुल हैं उनको जगाने का आपको पूरा हक है, आपको कोई नहीं रोकता। आप यहां आकर कॉन्स्टीट्यूशन को दबाना चाहते हैं और हम १५० आदमियों के कानों और आंखों के ऊपर अत्याचार करते हैं इसके बजाय तो तरीका यह है कि जाओ इस गवर्नमेंट के आकाओं के पास, जाओ इस कॉन्स्टीट्यूशन के बनाने वालों के पास, जनता के पास जाकर कहो और फिर ५ साल बाद आ जाओ जीत कर। यदि आपकी बातों में तंत हुआ तो आप यहां आ जाओगे वर्ना तुम्हारी बातों में तंत नहीं होगा, तो हम फिर आ जायेंगे।

**श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री ज्वालाप्रसाद जी ने जो चुनौती दी है मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान में जो गृह मन्त्री जी हैं इस बात के गवाह होंगे कि किसी पार्टी की पब्लिक मीटिंग होती है तो उसमें सबसे ज्यादा पब्लिक होती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : हमें फिर भी जनता के वोट मिलते हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : हम तो ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, काम में विश्वास करते हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : आपको ज्यादा वोट मिलते हैं, इससे तो हम इन्कार नहीं करते इनको चाहे हमारी अपेक्षा पांच गुना ज्यादा वोट मिलें। इनको ४५ परसेन्ट मिलते हैं और हमको ५५ परसेन्ट मिलते हैं। लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन राजस्थान के अखबारों में आप यह पढ़ लें कि राजस्थान में तीन पार्टियां संयुक्त सोशलिस्ट

(श्री माणिकचन्द सुराणा)
पार्टी, जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी का संयुक्त फैसला हो गया तो समझ लेना कि आपकी सरकार गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): मुझे उपाध्यक्ष जी, सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि से यह सुन कर आश्चर्य हुआ जो समाजवाद के अन्दर इतना विश्वास करने वाले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): हमारा ध्येय तो केवल कांग्रेस के भ्रष्ट अधिनायकवाद को समाप्त करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले। यह तो समझौता होगा सुखाड़िया साहब ६७ में, आप जनरल सेक्रेटरी यदि बन कर नहीं गये तो यह कुर्सी आपके लिए मुबारिक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: ६७ में पता चलेगा कि किसकी कुर्सी कितनी बाकी रहती है और कितनी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: Order please! समय समाप्त हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सुखाड़िया साहब! यह महारावल साहब वाली कुर्सी इतनी प्रतिष्ठित हो गई है कि आप इसके ऊपर बैठने के काबिल हो गए हैं।

(शोरगुल–व्यवधान)

अभी तो बातचीत हो शुरू हुई है, अभी से इतना घबराने लगे!

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: टाइम बढ़ाइये, आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज़! सदन का समय जब तक यह भाषण समाप्त न हो जाये ५–७ मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर): हमारे लिए क्यों नहीं बढ़ाया गया?

श्री उपाध्यक्ष: यह तो समाप्त हो गया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपने मांग ही नहीं की।

श्री मानसिंह महार: कांग्रेस के आदमी बोलें तो समय बढ़ा दिया जाय, यह नहीं हो सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): हम वाकआउट करेंगे; हम डरते नहीं हैं, यह नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: यहां कौन डर रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: ऐसी कोई बात नहीं है, यदि मुकुटबिहारीलालजी कल कहते तो पांच मिनिट बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा*: I am the first spokesman of the Congress. I have taken only 25 minutes. Let them have patience to hear me.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): आप ग्रेंट देकर टाइम नहीं ले सकते।

# Page No. 112



श्री मानसिंह महार : आप चेयर को प्रेटन करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमको भी पूरा समय दिया जाय।

माननीय सदस्य सुराणाजी ने और हमारे सतीशचन्द्रजी ने एक बात कही..

श्री मानसिंह महार : On a point of order, Sir....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ऐसा करोगे तो बोलने नहीं देंगे। कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : यह क्या बात हुई? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने समय बढ़ा दिया है, अब यह कुछ नहीं कह सकते।

श्री मानसिंह महार : अगर समय बढ़ाने का विरोध होगा तो वोटिंग करना होगा। यह नहीं हो सकता कि ऐसे ही समय बढ़ा दें। यह कैसे हो सकता है कि हमारी पार्टी के सदस्य बोलें तब तो समय नहीं दिया जाए और उस पार्टी के बोलें तो समय बढ़ा दिया जाय, यह नहीं हो सकता। कल तो यह बात हो गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसको तो हाउस डिसाइड करेगा।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल ११ बजे प्रारम्भ होगी।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

(विराम)

Resolution will be considered and Shri Jwala Prasad will continue his speech.

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ५ बज कर २ मिनट पर मंगलवार, दिनांक २ मार्च, १९६६ म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर देखिये)

सांचोर पंचायत समिति को बोर्ड द्वारा वितरित धन राशि की सूची

| क्रम सं० | नाम संस्था । समिति | नाम उद्योग | इकाई | ऋण | सहायता |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | पंचायत समिति सांचोर | कुम्हारी | भट्टी शेड | २४०० | ४०० |
| २ | घाणी तेल सहकारी समिति अरणाय | तैल | हिस्सा पूंजी | २१०० | — |

## परिशिष्ट २

**( समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर )**

**स्टेट रोडवेज की बसें**

५०. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डोन सु.) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) राजस्थान में स्टेट रोडवेज की बसें किस-किस रूट पर कितनी कितनी चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) सरकार को इन बसों से सन् १९६२ से १९६५ तक कितना लाभ अथवा नुकसान रहा है ?

(३) सन् १९६५ में किस-किस रूट पर सरकार कितनी कितनी बसें चलाने का विचार रखती है ?

(४) तहसील महुवा से करोली व गंगापुर रूट पर राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसें चलाने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है और ये कब तक चलेंगी ?

**उत्तर**

(१) मार्गों की सूची मय उन पर चलने वाली गाड़ियों, सदन की मेज पर रख दी है ।

(२) सन् १९६२-६३, १९६३-६४ व १९६४-६५ में क्रमशः पूंजी पर व्याज सहित लाभ निम्न प्रकार है:—

सन् १९६२-६३ २५,२४,६६०) रु०
सन् १९६३-६४ २५,१५,८६४) रु०
सन् १९६४-६५ २७,२७,५०७) रु०

सन् १९६२ के लाभ व हानि के आंकडों का राजस्थान महालेखापाल द्वारा अंकेक्षण हो चुका है लेकिन १९६३-६४ व ६४-६५ के आंकड़े प्रोविजनल हैं ।

(३) सन् १९६५ में सर्व प्रथम अजमेर-भीलवाड़ा व भीलवाड़ा-उदयपुर मार्गों पर गाड़ियाँ चलाने का विचार था ।

(४) निगम का निकट भविष्य में यानी मार्च-१९६७ तक इन मार्गों पर राष्ट्रीयकृत बसें चलाने का विचार नहीं है।

**प्रतापगढ़ में स्थित 'सरकारी महल' की मरम्मत**

५१. **श्री हुरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सत्य है कि प्रतापगढ़ शहर के बीच में स्थित सरकारी महल जो कि हजारों रुपयों की बिल्डिंग है मरम्मत के बिना खराब होती जा रही है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करवाई जायगी ?

(२) क्या यह सही है कि इस महल के कुछ हिस्से पर चद्दर थी उसके उड़ जाने के बाद उनका अभी तक वापिस फिटिंग नहीं करने से सारा पानी अन्दर गिरने से सारी बिल्डिंग खराब हो रही है ? यदि हां, तो कब तक चद्दर लगवा दिए जायेंगे ?

(३) क्या यह सही है कि पहले सरकारी सभी दफ्तर इसी महल में चलते थे और बाद

Page No. 115



(श्री हरलाल मीणा)
में कन्या पाठशाला चलती थी व अब महल की मरम्मत नहीं होने से कन्या पाठशाला भी अन्य जगह चलती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि यह महल काफी लम्बा चौड़ा है और इसकी मरम्मत नहीं होने से आस-पास के पड़ोसियों के नीचे की दूकान वालों को हमेशा इसके गिरने का भय बना रहता है ?

(५) क्या इस बिल्डिंग की मरम्मत करने का एस्टीमेट भी असिस्टेंट इंजीनियर ने बना कर सरकार को भेज दिया है ? यदि हां, तो इस तरफ क्या उचित कदम उठाया गया व भविष्य में इसकी मरम्मत कब तक करवाई जायगी ?

उत्तर

(१) इस भवन का अधिकांश भाग जीर्ण अवस्था में है जिस पर मरम्मत पर व्यय किया जाना अनावश्यक है।

(२) चद्दर लगाने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

(३) जी हां।

(४) भवन विशाल व जीर्ण अवस्था में है।

(५) मरम्मत इस अवस्था में अनावश्यक है और इस भवन का सपती निर्वर्तन (Disposal) विचाराधीन है।

बारां में गटर के पुनर्निर्माण में धन का दुरुपयोग

५२. श्री दयानन्द सोन (बारां-सु): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि बारां की जनता ने 'गोल कमरा' नामक स्थान पर स्थित गटर गलत ढंग से होने के कारण बरसात में सड़क पर चार-पांच फुट पानी भर जाने एवं जान-माल को खतरा होने से तार आदि स्वायत्त शासन विभाग व मंत्री को दिए थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(२) 'गोल कमरे' की गटर में से पानी निकालने व गंदगी दूर करने हेतु प्रशासक ने सन् ६३-६४ में कुल कितना रुपया खर्च किया ?

(३) क्या यह सही है कि नव-निर्वाचित बोर्ड ने इसी गटर को जो प्रशासक द्वारा तुड़वा कर ठीक करवाई गई थी, पुनः तुड़वा कर हजारों रुपया खर्च किया ? यदि हां, तो बोर्ड द्वारा सन् १९६४ में कितना रुपया व्यय किया ?

(४) क्या यह सही है कि वर्तमान बोर्ड ने ही सन् ६५ के फरवरी माह में पुनः इसी गटर को तुड़वाया है और पुनः बनवाया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

(५) क्या सरकार इस प्रकार से किये गये धन के दुरुपयोग के लिए नगरपालिका अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। नाली का कुछ हिस्सा तुड़वाकर बरसाती पानी उसी समय निकलवा दिया गया।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(२) गोल कमरे की गटर में से पानी निकालने व गन्दगी दूर करने हेतु प्रशासक ने सन् १९६३-६४ में ५,१९७.६८ पैसे का खर्चा गया।

(३) ३९६ रुपया खर्च हुआ।

(४) यह सही नहीं है कि वर्तमान बोर्ड ने इस गटर को दुबारा बनवाया है, केवल गटर के पुराने मलबे को निकाला जा कर नाली को पूर्व स्थिति में वापिस किया गया है तथा कई जगह पर मरम्मत की गई है। इसी गटर को आगे और पीछे दोनों ओर लम्बाई में नव निर्माण कराया गया है।

(५) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

**बूंदी में राजस्थान रोड वेज़ का मोटर स्टेंड**

५३. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी में राजस्थान रोड वेज़ के मोटर स्टेण्ड पर यात्रियों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है? इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(२) क्या यह सही है कि बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का बना हुआ स्टेशन जहां पहले मोटर स्टेण्ड था, राज्य सरकार द्वारा खरीद करने की कार्यवाही चल रही थी।

(३) यदि हां, तो उस स्टेण्ड का अब क्या हुआ?

(४) क्या यह सही है कि रोड वेज़ का डीपो बूंदी में कायम करने की योजना थी किन्तु मकान के अभाव में उसे कोटा ले जाया गया।

(५) बूंदी में रोड वेज़ की कितनी बसें रोजाना निकलती हैं और कितनी स्टेण्ड पर रात में रहती हैं?

**उत्तर**

(१) जी हां। इस विषय में इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के बने हुये पुराने बस स्टेण्ड को सरकार से खरीदने की मांग कोर्पोरेशन से आई है। उस पर निर्णय नहीं हुआ है। और यह विचाराधीन है।

(२) राज्य सरकार ने इसे खरीद लिया है।

(३) उसका अभी और विभागों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

(४) जी नहीं।

(५) बूंदी व बूंदी होकर अन्य स्थानों को जाने वाली कुल गाड़ियों का योग ६० है, तथा चार गाड़ियां रात को बूंदी में ठहरती हैं।

**दौसा से गंगापुर चलने वाली बसों का मोडल**

५४. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर)—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दौसा से गंगापुर चलने वाली गाड़ियां काफी पुरानी तथा खराब हालत में है? इस रूट पर किस किस मॉडल की बसें पास की गई हैं?

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(२) नियमानुसार इस रूट पर किस मॉडल की बसें चलनी चाहिये ?

उत्तर

(१) दौसा से गंगापुर चलने वाली बसें अधिकांश १९५२ से नीचे मॉडल की हैं। इस रूट पर चलने वाली बसों की लिस्ट भी उनके मॉडल के साथ सदन के पटल पर रखदी गई है ?

(२) इस रूट पर १९५२ व उससे ऊपर के मॉडल की गाड़ियां चलनी चाहियें।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**पहाड़ी बीवां रोड का निर्माण**

५५. श्री मजलिस खां (कामा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पहाड़ी बीवां रोड की मंजूरी हो चुकी है ? क्या यह भी सही है कि इस सड़क के टेण्डर भी हो चुके हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ठेकेदार जान बूझ कर इस सड़क के निर्माण-कार्य शुरू नहीं करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका ठेका कैंसिल करने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) कार्य प्रगति पर है प्रश्न नहीं उठता।

**कोटा डीपो की बसें**

५६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा डीपो से विभिन्न मार्गों पर रोजाना कितनी बसें जाती हैं तथा कितनी वहां आती हैं ? कृपया टाइम व रूट मय मायलेज के बतलाने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि कोटा डीपो की करीब ४० से अधिक रोडवेज बसों में से करीब २२ खराबी के कारण नहीं चलाई जा रही हैं ? कृपया रोडवेज की कुल बसों और उनमें से चलने वाली व खराब शुदा बसों का पिछले एक साल का गोशवारा बताने की कृपा करें।

(३) कोटा डीपो की बसों से होने वाली सरकारी आमदनी का पिछले सालों का विवरण देने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) कोटा डीपो से विभिन्न मार्गों पर जाने व आने वाली गाडियों की संख्या मय मार्गों व माइलेज की सूची तथा समय-सारणी के साथ सदन के पटल पर रख दी गई है।

(२) कोटा डिपो की दिसम्बर सन् १९६५ तक कुल गाड़ियों की संख्या ४४, जिनमें से २४ गाड़ियां खराब थी। रोडवेज की कुल गाड़ियों की संख्या, मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या व खराब गाड़ियों की संख्या की सूची जनवरी सन् १९६५ से दिसम्बर सन् १९६५ तक की स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(श्री यातायात मंत्री)

(३) कोटा डिपो की गाड़ियों से आय पिछले वर्षों में निम्न प्रकार थी :

सन् १९६४-६५ : ११,०१,६२४.३२ रुपये
सन् १९६५-६६ दिसम्बर तक
१४,४६,६२१.०६ रुपये

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पी. डब्ल्यू. डी. टोंक के मुख्यालय का स्थानान्तरण**

५७. श्री विजयपाल (डूंगरपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी० डब्लू० डी० टोंक का मुख्यालय टोंक होने के कारण सवाई माधोपुर जिले की सड़कों की देख-भाल ठीक तरह नहीं हो पाती है और उन सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है ?

(२) क्या सरकार इनके मुख्यालय को बजाय टोंक के सवाई माधोपुर रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बिजोलिया**

५८. श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़)-क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में क्रय-विक्रय सहकारी समिति बिजोलिया के नाम से किसी समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ है ? यदि हां, तो वक्त रजिस्ट्रेशन इस समिति की कौन कौन सी सहकारी समितियां सदस्य थी और अब कुल सदस्य संख्या कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्रय-विक्रय समिति का हिसाब अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है और उसके चुनाव कर लिए गये है ? यदि हां, तो चुनाव के लिए बैठक कब बुलाई गई थी और कौन कौनसी समितियों के प्रतिनिधि सदस्य की हैसियत से उपस्थित हुए थे ? क्या यह भी सही है कि उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या उस वक्त डिफॉल्टर थी और वे चुनाव में भाग नहीं ले सकती थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि उस उक्त क्रय-विक्रय समिति की जनरल कमेटी का कोरम पूरा नहीं हुआ और नये सदस्य बना लिए गए, और बाद में गैर कानूनी कार्यवाही पर पर्दा डालने के लिए सदस्यों के घर जाकर कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराये ? यदि नहीं, तो यह जांच किस प्रकार की गई ?

उत्तर

(१) जी हां, रजिस्ट्रेशन के समय २३ सहकारी समितियां सदस्य थी जिनकी सूची परिशिष्ट के संलग्न है। इस समिति की अब कुल सदस्य संख्या ६० है।

(२) इस समिति का ऑडिट ३० जून, ६४ तक का हो चुका है समिति का चुनाव दिनांक १२-७-६४ को हुआ। और दिनांक १३-७-६४ की बैठक में निम्न १२ सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

# Page No. 119



(श्री सहकारी मंत्री)

| नाम समिति | प्रतिनिधि |
|---|---|
| १. पत्थर सोम सहकारी समिति लि०, केशरपुरा | श्री बालकृष्णशर्मा |
| २. बहुधन्धी सहकारी समिति लि०, लक्ष्मी निवास | श्री मन्नालाल |
| ३. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, बागला की खेड़ी | श्री अम्बालाल |
| ४. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, उमाजी का खेड़ा | श्री नाथूलाल |
| ५. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, चरन विलास | श्री चतुर्भुज |
| ६. बहुधन्धी सहकारी समिति लि०, बिजोलिया | श्री शिवनन्द जी |
| ७. सब्जान उत्पादक सहकारी समिति, बिजोलिया | श्री किशन जी |
| ८. गांधी वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०, बिजोलिया | श्री उदयलाल जी |
| ९. बहुधन्धी सहकारी समिति लि०, नयावास | श्री छोगाजी धाकड़ |
| १०. ,, , खेड़ीपुर | श्री बद्रीलाल जी |
| ११. ,, , आरोली | श्री मोहनलाल जी |
| १२. चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, जावदा | श्री केशवराम जी |

(२) जी नहीं ।

( सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**बीकानेर में रेल्वे क्रासिंग के पास कच्चा बरसाती पानी**

५९. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रेल्वे क्रोसिंग गेट नं० १ बीकानेर के पास एक कच्चा बरसाती नाला है जो रेल्वे की सीमा में है और इस नाले के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नाले में सारे शहर की गंदी नालियों का पानी आता है व नाले के कच्चा होने के कारण गन्दा पानी वहीं जम कर मच्छर व बदबू देने लगता है ?

(३) क्या यह सही है कि सारे शहर के लोग इस नाले में पाखाना करने आते हैं ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(४) क्या यह भी सत्य है कि नॉर्दर्न रेल्वे ने इस गंदे पानी को ५०० फीट की दूरी पर बांध लगा कर बन्द कर दिया है ?

(५) क्या यह भी सही है कि नॉर्दर्न रेल्वे व नगर परिषद् की आपसी लड़ाई से मोहल्ले वाले गंदगी से अत्यन्त पीड़ित हैं ?

(६) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद् द्वारा नाले की सफाई नहीं की जा रही है ?

(७) क्या नगर परिषद्, बीकानेर ने राज्य सरकार को सिफारिश की है कि वह रेल्वे मंत्रालय को उक्त नाले को पक्का बनाने के लिये निवेदन करे।

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है कि रेल्वे क्रोसिंग गेट नं० १ के पास बरसाती नाला रेल्वे की सीमा में है और उसके दोनों तरफ मकान हैं।

(२) शहर के काफी हिस्से का गन्दा पानी इस नाले में आता है और इस नाले से होकर बहता है।

(३) सम्भवतः आस पास के रहने वाले कुछ नागरिक इसमें पाखाना जाते होंगे।

(४) जी नहीं।

(५) नगर परिषद् व रेल्वे के बीच कोई झगड़ा नहीं है यह नाला, रेल्वे बाउन्डरी जो कि दिवलोक से घिरी हुई है, के बीच में है और बाउन्डरी के अन्दर होने से रेल्वे को सफाई रखनी चाहिए। नाली कच्ची होने के कारण, कीचड़ बदबू देने लगता है जिससे पड़ोसियों को अवश्य कष्ट होता है।

(७) नगर परिषद् बीकानेर द्वारा इस नाले की उचित व्यवस्था करने के लिए नार्दर्न रेल्वे को लिखा जा चुका है। किन्तु राज्य सरकार की मार्फत रेल मंत्रालय को इसे पक्का बनाने के लिए कोई सिफारिश परिषद् द्वारा नहीं की गई है।

**शुद्धि-पत्र**

(मंगलवार, दिनांक १ मार्च, १६६६)

| स्कम्भ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २८२ | १७ | वाव | बीच |
| ३०० | २ | वोई | कोई |
| ३०२ | ८ | :कोटा द्वारा | (कोटा) द्वारा |
| ३०४ | अन्तिम से २ | नेक्स्ट श्री लक्ष्मीचन्द | नेक्स्ट; श्री लक्ष्मीचन्द |
| ३०६ | ३ | **श्रोमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** | **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** |
| ३११,३१६ | शीर्षक | माच | मार्च |
| ३१६ | ६ | **श्री जेठमल बरवड** | **श्री जेठमल बरवड़** |
| ३१६ | १३ | **श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल** | **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** |
| ३२२ | अन्तिम से ४ | डैवलपमेंट | डेवलपमेन्ट |
| ३२४ | ,, ५ | **श्री सतीशचन्द अग्रवाल** | **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** |
| ,, | ,, २ | **श्री परसराम मदेरणा आप** | **श्री परसराम मदेरणा : आप** |
| ,, | अन्तिम | लम-स | लम्प-सम |
| ३२५ | ,, | ह। | है। |
| ३२६ | अन्तिम से ४ | एस्टीमेटस | एस्टीमेट्स |
| ३२७ | ,, २ | महोदथ | महोदय |
| ३३२ | ५ | ५०। | ५० |
| ३३५ | शीर्षक | माच | मार्च |
| ,, | अन्तिम से ३ | किथा | किया |
| ३३६ | ६ | अ | आप |
| ३३७ | २० | **श्री सतोशचन्द्र आवाल** | **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** |
| ३३६ | १ | मान्य | माननीय सदस्य |
| ,, | १६ | पालियामेंटरी | पार्लियामेन्टरी |
| ३४५ से ३५० | शीर्षक | वांसवाडा की अकाल स्थिति-१ मार्च, १६६६-विषयक स्थगन-प्रस्ताव | तारांकित प्रश्नोत्तर-१ माच, १६६६-तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ३५० | २१ | श्री | श्री |
| ३५५ | ६ | अतरांकित प्रश्नोत्तर | अतारांकित प्रश्नोत्तर |
| ३५६ | अन्तिम से ४ | ४०० | ४ ०० |
| ,, | अन्तिम | बनेरा | बनेड़ा |
| ३६१ | ४ | विषय के | विषयक |
| ३६६ | ४ | ऑथी रटीज | ऑथोरिटीज |
| ३६६ | ३,२६ | अग्रवाल | अग्रवाल |
| ३७१ | ३ | सुखाडिया | सुखाड़िया |
| ३७३ | १ | ,, | ,, |
| ३७४ | १ | **श्री मणिकचन्द्र सुराणा** | **श्री माणिकचन्द सुराणा** |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ३७७ से ५४० | शीर्षक | मेज पर रखे गये पत्र-१ मार्च, १९६६-अभिभाषण संबंधी प्रस्ताव | अभिभाषण के समय व्यवधान –१ मार्च, १९६६-करने सम्बन्धी प्रस्ताव |
| ३७७ | ७ | श्रोअध्यक्ष | श्री अध्यक्ष |
| ३८१ | ८ | श्री विट्ठल | श्री विट्ठल भाई |
| ३८४ | १४ | में | में |
| ,, | अन्तिम से ७ | पाटियां | पार्टियां |
| ३८५ | ७ | ब | वे |
| ३८६ | ३ | क्या, | क्या है, |
| ,, | १९ | चुनोती | चुनौती |
| ३८७ | १ | ,, | ,, |
| ३८९ | ४ | को | की |
| ,, | अन्तिम से ७ | म | में |
| ,, | अन्तिम | सचिवा | सचिव |
| ३९० | ९ | श्रोर | श्रौर |
| ,, | १६ | सभ्राटों | सम्राटों |
| ३९२ | २७ | सकतो | सकता |
| ३९३ | ५ | कुछ | कुछ |
| ,, | १६ | कॉन्स्टीटूयूशन | कॉन्स्टीट्यूशन |
| ३९५ | २० | का | को |
| ,, | २६ | श्रोर | श्रौर |
| ३९६ | २ | हस्तानांन्तरित | हस्तान्तरित |
| ,, | ७ | ता | तो |
| ४०० | २१ | शनता | जनता |
| ४०१ | अन्तिम | Th | The |
| ४०२ | १२ | S ate | State |
| ,, | १५ | F r | For |
| ,, | २१-२२ | Occsion | Occasions |
| ,, | २२-२३ | Conside s | Considers |
| ,, | २९ | penly | Openly |
| ,, | ३० | an t quely ? | and quietly |
| ४०३ | १५ | ज्याटा | ज्यादा |
| ,, | अन्तिम | राज पर | राख पर |
| ४०४ | ६ | नम्बर | नम्बर |
| ,, | १९ | कोइ | कोई |
| ४०५ | २ | मनुष्यों | मनुष्यों |
| ४०५ | ५ | राव श्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, (पदासीन) | (राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन) |
| ,, | १० | डेमोक्रेसा | डेमोक्रेसी |
| ,, | ११ | डेमोक्रेसी | ,, |
| ,, | अन्तिम से ८ | बताबें | बतावें |
| ४०६ | ७ | रामकिशनजी तथ्य | रामकिशनजी ने तथ्य |
| ,, | १७ | मालूल | मालूम |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ४०६ | २१ | में | मैं |
| ,, | २२ | होगा | होऊंगा |
| ४०७ | १० | बिक्री | बिक्री |
| ,, | १८ | निबेदन | निवेदन |
| ,, | २३ | ओर | और |
| ,, | २६ | गांधा | गांधी |
| ४०८ | ६ | ब्रिटिश | ब्रिटिश |
| ४०९ | अन्तिम से ५ | दमोदरलाल | दामोदरलाल |
| ४११ | १५ | हैं | – |
| ४१४ | २ | **मानिकचन्द सुराणा** | **श्री मानिकचन्द सुराणा** |
| ४१५ | १ | चेयरमेंन | चेयरमैन |
| ४१६ | अन्तिम | को | से |
| ४१८ | ८ | मिनिटर | मिनिस्टर |
| ४२३ | अन्तिम से ४ | अपने | आपने |
| ४२५ | शीर्ष | (श्री हरीकिशन) | (श्री हरिकिशन) |
| ४२६ | १६, २४ व २५ | **Soveri ngnty** | **Sovereignty** |
| ,, | २६ | शाशन | शासन |
| ,, | ३० | उपाध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| ४३० | १५ | क्यों क | क्योंकि |
| ,, | १६ | "हीयर हीयर", | "हियर हियर") |
| ४३१ | शीर्ष | (महारावल लक्ष्मणसिंह) | (महारावल श्री लक्ष्मणसिंह |
| ,, | २० | व | वे |
| ,, | अन्तिम से ३ | **For** | **Far** |
| ४३२ | १ | ती | तो |
| ,, | ३ | करबाना | करवाना |
| ४३५ | १३ | का | को |
| ,, | १५ | वदले | बदले |
| ४३६ | ६ | प्रस्ताब | प्रस्ताव |
| ४३९ | अन्तिम | पीठ | –पीठ के |
| ४४० | ९ | कहो | कही |
| ४४१ | शीर्ष | (श्री ये गेन्द्रनाथ हांडा) | (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) |
| ,, | ९ | बद | बाद |
| ४४२ | ३ | ना रम जी | नाथूरामजी |
| ,, | २५ | था | थी |
| ,, | २६ | नहा | नहीं |
| ४४५ | १० | : (आसीन्द) | (आसीन्द) : |
| ४४७ | शीर्ष | (श्री योगेन्द्रनाथ हांड) | (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) |
| ,, | ११ | बद | बाद |
| ४४८ | ११ | खरद | खरीद |
| ,, | अन्तिम से २ | चिंल्लाते | चिल्लाते |
| ४४९ | १५ | दोहरानो | दोहरानी |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ४५० | १२ | सेबा | सेवा |
| ४५१ | १ | ि या | किया |
| ४५२ | ५ | **श्री योगन्द्रनाथ हांडा** | **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** |
| ,, | १२ | शराव | शराब |
| ४५३ | २१ | सदन | सदन के |
| ४५४ | १० | देने जबाब | जवाब देने |
| ,, | १७ | प्रस्ताव | प्रस्ताव |
| ,, | अन्तिम से ५ | चहिये। | चाहिये। |
| ४५५ | १५ | आग्यु मेन्ट | आर्ग्युमेन्ट |
| ४५६ | १५ | अदमियों | आदमियों |
| ,, | अन्तिम से ७ | माका | मौका |
| ,, | अन्तिम | इसक | इसका |
| ४५७ | १ | आदि। | आदी। |
| ४५६ | २५ | निबेदन | निवेदन |
| ४६७ | २० | व्यबधान | व्यवधान |
| ४७३ | ११-१२ | सुखाडियाजी | सुखाड़ियाजी |
| ४७७ | २२ | बहत | बहुत |
| ४७८ | २१ | **श्री मुकटबिहारीलाल गोयल** : (बयाना) | **श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : |
| ४७९ | १४ | हे, | है, |
| ४८१ | १६ | कौने २ | कौने कौने |
| ४८३ | १ | श्रीं उपाध्यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| ४८४ | ५ | कभो | कभी |
| ,, | १२ | लीर्जिये | लीजिये |
| ,, | अन्तिम से २ | मसो | मसले |
| ४८५ | ११ | समस्था | समस्या |
| ४८७ | ५ | ऐंसी | ऐंसी है |
| ,, | अन्तिम से ७ | कि | — |
| ४८८ | १४ | मे | में |
| ,, | १७ | ऐसा | ऐंसी है |
| ,, | २० | चाहत | चाहती |
| ४९० | १५ | (कोलायत) | — |
| ,, | २४ | हुं | हूं |
| ४९१ | ४ | हुं | हूं |
| ,, | अन्तिम | को | की |
| ५०० | ४ | आदमिा ों | आदमियों |
| ५०४ | ७ | **श्री ज्वालाप्रशाव शर्मा** | **श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** |
| ५१० | ४ | खर्चा गया। | खर्चा किया। |
| ५११ | २० | थूंदी | बूंदी |
| ५१६ | ८ | ७.सबुान | साबुन |

———